बिहार सरकार
वित्त विभाग

सम्राट चौधरी

उप मुख्यमंत्री (वित्त), बिहार सरकार

बजट भाषण

2024 - 25

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आपकी अनुमति से मैं वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए राज्य का वार्षिक आय–व्ययक (बजट) अनुमान सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ।

सर्वप्रथम, मैं प्रदेश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि राज्य सरकार सामाजिक समरसता तथा समग्र विकास को ध्यान में रखते हुये प्रदेश के सामाजिक–आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के प्रयास में कोई कमी नहीं रहने देगी। हमारी सरकार सुशासन एवं न्याय के साथ विकास के मंत्र को लेकर समाज के सभी तबकों के विकास के लिये तत्पर रही है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के आकलन के अनुसार, वैश्विक स्तर पर आर्थिक वृद्धि दर वर्ष 2022–23 में 3.1 प्रतिशत रही जबकि देश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7.24 प्रतिशत रही (राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार)। इसी अवधि में बिहार की अर्थव्यवस्था 10.64 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ काफी तेजी से बढ़ी है जो एक बड़ी उपलब्धि है। मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि बिहार की यह वृद्धि दर देश के अन्य राज्यों एवं केन्द्र प्रशासित प्रदेशों से अधिक है जबकि 10.2 प्रतिशत के साथ असम दूसरे स्थान पर तथा 9.2 प्रतिशत के साथ दिल्ली तीसरे स्थान पर है।

महोदय,

राज्य के लिए यह गर्व की बात है कि विगत एक दशक में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आकार में डेढ़ गुना से अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। आधार वर्ष 2011–12 के स्थिर मूल्य पर वर्ष 2012–13 के 2.57 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2022–23 में यह 4.42 लाख करोड़ रुपये हो गया है।

औद्योगिक क्षेत्र में राज्य सरकार के अनेक नीतिगत हस्तक्षेपों यथा, विभिन्न प्रकार के औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, स्टार्ट अप नीति इत्यादि का प्रभाव राज्य के विनिर्माण क्षेत्र में देखने को मिला है। इसके फलस्वरूप इसका आकार वर्ष 2012–13 के 9,714 करोड़ रुपये से लगभग चार गुना बढ़कर वर्ष 2022–23 में 37,743 करोड़ रुपये हो गया है। इसी अवधि में, बिहार में परिवहन एवं संचार के क्षेत्र का आकार 20,372 करोड़ रुपये से बढ़कर 46,729 करोड़ रुपये हो गया है। यह वृद्धि दो गुनी से भी अधिक है। इसी प्रकार, वर्ष 2012–13 में पशुपालन प्रक्षेत्र का आकार 12,525 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2022–23 में 28,621 करोड़ रुपये हो गया है। साथ ही, मत्स्य पालन प्रक्षेत्र का आकार 3,768 करोड़ रुपये से बढ़कर 7,970 करोड़ रुपये हो गया है। इन दोनों प्रक्षेत्रों में दो गुनी से अधिक वृद्धि दर्ज की गयी है। वहीं भंडारण में लगभग चार गुनी वृद्धि दर्ज की गयी है अर्थात यह

2012–13 में 78 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2022–23 में 301 करोड़ रुपये हो गया है। इससे यह सिद्ध होता है कि राज्य सरकार के प्रभावी कृषि केन्द्रित योजनाओं के परिणामस्वरूप कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों के किसान पूर्णरूपेण लाभान्वित हो रहे हैं।

राज्य में आर्थिक विकास के साथ–साथ सामाजिक विकास में भी कई उपलब्धियाँ हासिल की गयी हैं। राज्य सरकार आम जन अर्थात लगभग 13 करोड़ आबादी के कल्याण हेतु प्रतिबद्ध है। इसलिए, इस बजट में शिक्षा एवं स्वास्थ्य के साथ अन्य सामाजिक जरूरतों को भी प्राथमिकता दी गयी है।

आप अवगत हैं कि मातृ मृत्यु अनुपात में सुधार महिलाओं के पोषण, स्वास्थ्य एवं सशक्तिकरण की स्थिति में सुधार का संकेतक है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि अद्यतन उपलब्ध प्रतिदर्श निबंधन प्रणाली (SRS) के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2015–17 एवं 2018–20 के बीच मातृ मृत्यु दर में बिहार में 47 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर यह गिरावट 25 अंक रही है। इस प्रकार, बिहार में मातृ मृत्यु दर की गिरावट की रफ्तार राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। मातृत्व स्वास्थ्य में सुधार किसी भी राज्य के लिए बेहतर लोक सेवाओं का आईना है। संस्थागत प्रसव के मामले में जहां बिहार में 2005–06 से 2019–20 की अवधि में 56.3 प्रतिशत अंकों की वृद्धि हुई है वहीं राष्ट्रीय स्तर पर 49.9 प्रतिशत अंकों की वृद्धि हुई है। यह बिहार के उत्तम स्वास्थ्य अवसंरचना का द्योतक है।

शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तरों पर ड्रॉप आउट में भारी गिरावट दर्ज हुई है। वर्ष 2015–16 से 2022–23 के बीच प्राथमिक शिक्षा में 25 प्रतिशत, उच्च प्राथमिक स्तर में 39.4 प्रतिशत तथा माध्यमिक स्तर पर 40 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई जो एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बच्चों की शिक्षा के द्वारा उनके सपनों को साकार करने के लिये, राज्य सरकार ने सभी 66 अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालयों एवं 21 अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों को 10+2 स्तर तक उत्क्रमित करने का निर्णय लिया है। नये सभी आवासीय विद्यालयों को 10+2 स्तर तक की शिक्षा के लिए स्वीकृति दी गयी है। साथ ही, प्रत्येक आवासीय विद्यालय में सीटों की संख्या को 400 से बढ़ाकर 720 करने का निर्णय लिया गया है।

चतुर्थ औद्योगिक क्रांति के मद्देनजर, राज्य सरकार के विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत कम्प्यूटर साईंस एवं इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में आर्टिफिसियल इंटेलीजेंस (AI), ड्रोन तकनीक, विद्युत वाहन, 3–डी प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग (Machine learning) इत्यादि आधुनिक तकनीकी विषयों को समाहित किया गया है।

युवाओं की शारीरिक एवं मानसिक मजबूती सुनिश्चित करने तथा राज्य में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने, खेल प्रशासन को सुगम और अनुकूल बनाने, प्रबंधकीय और तकनीकी क्षमता को बढ़ाने तथा राज्य के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सहित ओलंपिक प्रतियोगिताओं में प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने हेतु सुविधा प्रदान करने तथा खिलाड़ियों के सर्वांगीण विकास के प्रयोजनार्थ कला, संस्कृति एवं युवा विभाग से अलग एक नया विभाग **'खेल विभाग'** का गठन किया गया है।

स्वच्छता के क्षेत्र में भी बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के तहत संचालित जीविका स्वयं सहायता समूह द्वारा बहुत सघन अभियान चलाया जा रहा है। जीविका ने महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न क्षेत्र जैसे वित्तीय समावेशन, कृषि उद्यमिता, दीदी की रसोई, बैंक सखी, स्वास्थ्य सहित स्वच्छता के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। स्वच्छता के क्षेत्र में उपलब्धि के तहत भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जीविका को 'स्वच्छता ही सेवा' के अंतर्गत पुरस्कृत किया गया है। सामुदायिक गोलबंदी एवं स्वच्छता अभियानों में जीविका अंतर्गत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने प्रमुख भूमिका निभाई है।

सरकार की योजनाओं के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने में भी उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल हुई है। सात निश्चय के 'हर घर नल का जल' योजना के सफल क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप नल का जल का आच्छादन वर्ष 2015 के मात्र 2 प्रतिशत से बढ़कर अब लगभग शत–प्रतिशत हो गया है। इस योजना से प्रभावित होकर वर्ष 2019 में केन्द्र सरकार ने जल जीवन मिशन की शुरूआत की। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के जल जीवन सर्वेक्षण रैंकिंग में देश के सर्वोपरि पाँच जिलों में बिहार के चार जिले– समस्तीपुर, शेखपुरा, सुपौल तथा बाँका शामिल हैं।

नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, बिहार में आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रों में नीतिगत सुधार के फलस्वरूप वर्ष 2015–16 का बहुआयामी गरीबी सूचकांक 51.89 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2019–21 में 33.79 प्रतिशत हो गया है। यह बताते हुये मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि गरीबी दर में गिरावट दर्ज करने वाले राज्यों में बिहार सर्वोपरि है। इस अवधि में, जहां बिहार में गरीबी दर में 18.13 प्रतिशत अंकों की गिरावट दर्ज की गयी वहीं पूरे देश में मात्र 9.89 प्रतिशत अंकों की ही गिरावट हुई। इस अवधि में राज्य के 2.25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं।

देश में पहली बार बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण का काम कराया गया। बिहार जाति आधारित गणना, 2022–23 के सर्वेक्षण से प्राप्त आँकड़ों के फलाफल के आधार पर बिहार आरक्षण

अधिनियम, 18/2023 एवं 19/2023 के द्वारा राज्याधीन सेवाओं में नियुक्ति/शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन हेतु आरक्षित कोटि के लिए 65% (यथा अनु०जाति 20%, अनु०जनजाति 02%, अ०पि०व० 25% तथा पि०व० 18%) आरक्षण का प्रावधान किया गया है जबकि आर्थिक रूप से कमजोर (सामान्य) वर्ग के लिए 10% आरक्षण पूर्ववत् लागू है। इस प्रकार इन सभी वर्गो के लिए आरक्षण की कुल सीमा को बढ़ाकर 75 प्रतिशत किया गया है। राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य की सभी सरकारी सेवाओं/संवर्गो के पदानुक्रम में दिव्यांगजन कर्मियों के लिए प्रोन्नति में 04 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिये राज्य सरकार ने **चतुर्थ कृषि रोड मैप** लागू किया है। इसके अंतर्गत वर्ष 2028 तक कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रों में लगभग 1.62 लाख करोड़ रूपये व्यय का लक्ष्य है। कृषि के क्षेत्र में खाद्यान्न का रिकार्ड उत्पादन के लिये (197.36 लाख MT) भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा बिहार को प्रतिष्ठित 'एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड' द्वारा सम्मानित किया गया है।

बिहार में उद्यमिता के वातावरण को सुदृढ़ करने तथा उद्यमियों को बिहार में निवेश के लिये आकर्षित करने के उद्देश्य से **बिहार बिजनेस कनेक्ट, 2023** का आयोजन किया गया जिसमें देश–विदेश के लगभग 600 निवेशकों की भागीदारी रही। इस ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान 50,530 करोड़ रुपये के निवेश समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये गये। इस निवेश से आनेवाले समय में काफी संख्या में रोजगार का सृजन होगा।

हाल में हुए जाति आधारित सर्वेक्षण में 94 लाख परिवार आर्थिक रूप से गरीब चिन्हित हुए हैं जिनके उत्थान के लिए परिवार के कम–से–कम एक सदस्य को **बिहार लघु उद्यमी योजना** के तहत स्वरोजगार हेतु अधिकतम 2 लाख रुपये अनुदान देने की योजना स्वीकृत हुई है। इस योजना का उद्देश्य राज्य में सूक्ष्म उद्योग स्थापित कर उन परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना तथा बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करना है।

बिहार में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और यह एक श्रम सघन क्षेत्र है। इस प्रक्षेत्र के सर्वांगीण विकास हेतु निवेश को प्रोत्साहन देने के प्रायोजनार्थ **'बिहार पर्यटन नीति'** लागू की गयी है। श्रीलंका, मलेशिया, थाईलैंड, स्विट्जरलैंड इत्यादि सहित कई देशों की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पर्यटन पर ही आधारित है। इस नीति के अतंर्गत 10 करोड़ रुपये तक के निवेश पर 30 प्रतिशत की सब्सिडी (अधिकतम सीमा 3 करोड़ रुपये), 50 करोड़ रुपये तथा उससे अधिक के निवेश पर 25

प्रतिशत सब्सिडी (क्रमशः अधिकतम 10 करोड़ रुपये तथा 25 करोड़ रुपये) का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य वित्तीय प्रोत्साहन जैसे स्टांप शुल्क तथा पंजीकरण शुल्क, भूमि रूपांतरण शुल्क, विद्युत आपूर्ति शुल्क (5 वर्षो तक) में शत–प्रतिशत की छूट का प्रावधान किया गया है। साथ ही, राज्य सरकार ने एस0जी0एस0टी0 प्रतिपूर्ति के मद में 5 वर्षो तक 80 प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया है।

सूचना प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग तथा राज्य में आईटी/आईटीईएस/ ईएसडीएम उद्योग के विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर राज्य को देश में आईटी/आईटीईएस/ईएसडीएम कंपनियों के लिए शीर्ष निवेश गंतव्य के रूप में विकसित करने हेतु **बिहार आई0टी0 पॉलिसी–2024** लागू की गयी है। यह नीति पांच वर्षो के लिए लागू रहेगी। इस नीति का मुख्य उद्देश्य आई0टी0 प्रक्षेत्र में युवाओं के लिए लाभकारी रोजगार के अवसर सृजित कर उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ाना एवं एक स्थायी कौशल पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है। इस नीति के तहत विभिन्न क्षेत्रों में प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया है।

पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हमारी सरकार संवेदनशील है। राज्य में उर्जा नवीकरण सहित परिवहन के क्षेत्र में भी Electric Vehicle Policy, 2023 लाकर एक बड़ी पहल की गयी है। हमारा उद्देश्य है कि बिहार को Electric Vehicle Transport Ecosystem में एक मॉडल राज्य की तरह स्थापित किया जाय। इस नीति के अंतर्गत पहले 10,000 वाहनों के लिए हर दो पहिया वाहन पर 5000 रुपये प्रति KWH (अधिकतम 10,000 रुपये) और पहले 1000 वाहनों के लिए हर चार पहिया यात्री वाहन पर 10,000 रुपये प्रति KWH, सामान्य श्रेणी के लिए अधिकतम 1.25 लाख रुपये और अनुसचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए अधिकतम 1.50 लाख रुपये की क्रय सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावे, सरकार दो पहियों, चार पहिया, यात्री वाहनों, भारी मोटर वाहनों पर 75% तथा शेष श्रेणी के वाहनों पर कर में 50% छूट भी दे रही है। इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा चार्जिंग केन्द्रों के उपकरण की खरीद पर क्रय प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।

पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा क्षेत्र में बिहार लगातार नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत अर्थात् जल विद्युत तथा सौर ऊर्जा की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वर्ष 2015–16 में नवीकरणीय स्त्रोत से जहाँ 13 प्रतिशत बिजली का उत्पादन होता था वहीं 2024–25 तक इसे 35 प्रतिशत करने का लक्ष्य है। बिहार में औद्योगिक, वाणिज्यिक, कृषि इत्यादि बिजली के कनेक्शनों में तीव्र वृद्धि के परिणामस्वरूप घरेलू कनेक्शनों का आनुपातिक हिस्सा लगातार घट रहा है जो यह दर्शाता है कि उद्योग और व्यापार मे निवेश आकर्षित हो रहा है। बिहार में बिजली के क्षेत्र में हुए बदलावों यथा,

स्मार्ट प्रीपेड मीटर इन्सटॉलेशन एवं हर घर बिजली की अवधारणा को समझने के लिए अमेरिकी टीम के द्वारा जनवरी, 2024 में बिहार भ्रमण किया गया है एवं इसकी सराहना की गयी है।

मैं सदन को प्रसन्नता के साथ यह अवगत कराना चाहता हूँ कि वित्तीय क्षेत्र में राज्य सरकार के सघन अनुश्रवण एवं समीक्षा के परिणामस्वरूप वर्ष 2022–23 में बिहार में बैंकों ने 2.04 लाख करोड़ रुपये के वार्षिक ऋण योजना के लक्ष्य के विरूद्ध 2.21 लाख करोड़ रुपये (108 प्रतिशत) का ऋण वितरित किया है। विगत वर्ष 2021–22 के वार्षिक ऋण योजना की उपलब्धि 1.61 लाख करोड़ रुपये से 37.1 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2022–23 में 2.21 लाख करोड़ रुपये हो गयी है। बिहार के बैकिंग क्षेत्र में यह एक अभूतपूर्व उछाल है। यह राज्य के लिये एक बड़ी उपलब्धि है।

वित्तीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए, मैं सदन को बताना चाहूंगा कि राज्य के अपने कर राजस्व के अंतर्गत वाणिज्य कर विभाग ने जी0एस0टी0 सहित वर्ष 2022–23 के 35,887 करोड़ रुपये के लक्ष्य की तुलना में 34,269.43 करोड़ रुपये का कर–संग्रहण किया है जो लक्ष्य का 95.49 प्रतिशत है।

राज्य के आर्थिक विकास को सुदृढ़ एवं समावेशी बनाने के लिए वर्ष 2024–25 के कुल बजट का लगभग 63.46 प्रतिशत राशि विकासमूलक मदों में कर्णांकित किया गया है। साथ ही, आम जन के कल्याण एवं सुख–समृद्धि के लिए इस बजट में कुल 2,78,725.72 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है। सामाजिक–आर्थिक उन्नति के लिए वर्ष 2024–25 में कुल बजट का 61.56 प्रतिशत (1,71,601.20 करोड़ रुपये) राशि अनुमानित किया गया है। पुनः सार्वजनिक निवेश के अंतर्गत भौतिक एवं सामाजिक अवसंरचना को बेहतर बनाने के लिए 29,415.91 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जो कि 2023–24 की तुलना में 158.60 करोड़ रुपये अधिक है।

कुल मिलाकर मुझे सदन को यह विशेष रूप से बताना है कि राज्य में वित्तीय संतुलन बरकरार है। इसके प्रमुख संकेतक राजस्व घाटा को समाप्त कर राजस्व बचत उपार्जित करने का लक्ष्य है। जैसे वर्ष 2022–23 के 11,288.21 करोड़ रुपये के राजस्व घाटा की तुलना में वर्ष 2024–25 में 1,121.41 करोड़ रुपये का राजस्व बचत अनुमानित है। इसी प्रकार, वर्ष 2022–23 के राजकोषीय घाटा का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात 5.57 प्रतिशत से घटाकर वर्ष 2024–25 में 2.98 प्रतिशत रखा गया है। इसके अतिरिक्त, इस बजट को व्यापक, पारदर्शी एवं दूरदर्शी बनाते हुए, सरकार ने राजकोषीय सुधार पथ (Fiscal Correction Path) पर अग्रसर होते हुये उच्च आर्थिक विकास का लक्ष्य रखा है।

अध्यक्ष महोदय,

- विकसित बिहार के कार्यक्रम अंतर्गत वर्ष 2015–2020 में सात निश्चय–1 एवं वर्ष 2020–2025 के तहत सात निश्चय–2 (2020–2025) कार्यक्रम को संपूर्ण राज्य में लागू किया गया है। सात निश्चय–1 के अंतर्गत आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार एवं हर घर बिजली निश्चय के लक्ष्य प्राप्त किये जा चुके हैं। स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन में बिहार देश का पहला राज्य बन गया है। **सात निश्चय–2 के अतंर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में कुल 5,040 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।** अब मैं निश्चय–1 एवं निश्चय–2 की उपलब्धियां संक्षेप में सदन के समक्ष रखता हूँ।

- **बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना** के अंतर्गत दिनांक–30.01.2024 तक वितरित ऋण राशि 4,766 करोड़ रुपये है एवं 2,58,888 बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड निर्गत हुए हैं।

  वित्तीय वर्ष 2024–25 में 700 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

- **मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना** के अंतर्गत 969 करोड़ रुपये की राशि का व्यय कर कुल 6,93,910 आवेदकों को लाभान्वित किया गया है।

  वित्तीय वर्ष 2024–25 में 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

- **कुशल युवा कार्यक्रम** के अंतर्गत कुल 16,72,945 आवेदकों को प्रशिक्षण दिया गया है तथा 82,533 प्रशिक्षणरत हैं। वर्तमान में 1,654 प्रशिक्षण केन्द्र संचालित हैं तथा सभी 534 प्रखंड आच्छादित हैं।

  वित्तीय वर्ष 2024–25 में 363 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

- **हर घर नल का जल** :– पंचायती राज विभाग द्वारा कुल 90.87 लाख घर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा कुल 83.24 लाख घर और नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा कुल 15.06 लाख घर आच्छादित किए गए हैं।

  वित्तीय वर्ष 2024–25 में 1295 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

- **घर तक, पक्की गली नालियां**:– पंचायती राज विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में 177.08 लाख घर एवं नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा शहरी क्षेत्रों में 8.40 लाख घर आच्छादित किए गए हैं।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

- **शौचालय निर्माण, घर का सम्मानः**– ग्रामीण विकास विभाग द्वारा लक्षित सभी 115.60 लाख घर को आच्छादित करते हुए सभी 8,053 पंचायत, 534 प्रखण्ड, 101 अनुमंडल तथा सभी जिला एवं शहरी क्षेत्रों में सभी 3,398 शहरी वार्ड एवं 142 नगर निकाय Open Defecation Free घोषित किए जा चुके हैं।

- **अवसर बढे, आगे पढ़ें**:– इसके अंतर्गत 6 बी०एससी० नर्सिंग कॉलेज, 16 जी०एन०एम० संस्थान, 21 पारा मेडिकल संस्थान, 4 फार्मेसी कॉलेज, 19 पॉलिटेक्निक संस्थान, 23 महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, 30 अभियंत्रण महाविद्यालय, 50 ए0एन0एम0 संस्थान एवं 58 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के भवन निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है। इसके अतिरिक्त 10 बी०एससी० नर्सिंग कॉलेज, 7 जी०एन०एम०, 7 पारा मेडिकल संस्थान, 1 फार्मेसी कॉलेज, 8 महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, 1 अभियंत्रण महाविद्यालय, 4 ए0एन0एम0 संस्थान एवं 18 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान निर्माणाधीन/प्रक्रियाधीन है।

<u>सात निश्चय–2</u>

युवा शक्ति – बिहार की प्रगति

- **राज्य के प्रत्येक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) में गुणवत्ता बढ़ाने की योजना (श्रम संसाधन विभाग)**:– सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की स्थापना हेतु प्रथम चरण में चयनित कुल 60 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में से 31 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में 366 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

- **राज्य के प्रत्येक पॉलिटेक्निक संस्थानों में गुणवत्ता बढ़ाने की योजना (विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग)**:– पॉलिटेक्निक संस्थानों में सेन्टर ऑफ एक्सेलेंस की स्थापना हेतु भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना को नॉलेज पॉर्टनर सहित कार्यान्वयन एजेंसी मनोनीत किया गया है। चयनित 44 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रथम बैच के एडवान्स कोर्स का सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है।

- **वित्तीय वर्ष 2024–25 में 85 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।**

- बिहार में बिहार चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय एवं खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी है।

- **उद्यमिता विकास हेतु अनुदान/प्रोत्साहन (उद्योग विभाग):–**

  i. **मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना** अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 से वर्ष 2023–24 तक चयनित कुल 7,448 लाभार्थियों को कुल 444.66 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गयी है।

  ii. **मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/जनजाति उद्यमी योजना** अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 से वर्ष 2023–24 तक चयनित कुल 7,687 लाभार्थियों को कुल 458.37 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गयी है।

  iii. **मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना** अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 से वर्ष 2023–24 तक चयनित कुल 7,227 लाभार्थियों को कुल 447.44 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गयी है।

  iv. **मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना** के तहत वर्ष 2023–24 के लिए 1247 आवेदकों के लक्ष्य के विरूद्ध 1056 आवेदकों का औपबंधिक रूप से चयन किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में कुल 660 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

सशक्त महिला, सक्षम महिला

- **मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना (उद्योग विभाग)** :– मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 से वर्ष 2023–24 तक चयनित कुल 7,596 लाभार्थियों को कुल 451.35 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गयी है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में 250 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

- **उच्चतर शिक्षा हेतु महिलाओं को प्रोत्साहन (शिक्षा विभाग)** :– इन्टर/समकक्ष उत्तीर्ण अविवाहित महिलाओं के लिए 25,000 रुपये की दर से अब तक 12,42,259 छात्राओं को लाभान्वित किया गया है। इसी प्रकार स्नातक/समकक्ष उत्तीर्ण महिलाओं के लिए 50,000 रुपये की दर से अब तक 1,61,513 छात्राओं को लाभान्वित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में 600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

हर खेत तक सिंचाई का पानी

- **जल संसाधन विभाग** :– वित्तीय वर्ष 2023–24 तक 755 योजनाओं के माध्यम से 2,27,194 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता के सृजन के लक्ष्य के विरूद्ध 1,46,900 हेक्टेयर भूमि को सिचिंत कर लिया गया है तथा शेष कार्य प्रगति पर है।

- **लघु जल संसाधन विभाग** :– वित्तीय वर्ष 2022–23 तक कुल 475 योजनाओं के माध्यम से 75,756 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता के सृजन के लक्ष्य के विरूद्ध 43,944 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में 60,727 हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता के पुनर्स्थापन का कार्य किया जा रहा है।

- **कृषि विभाग** :– सामूहिक नलकूप योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 तक 3,325 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया है। पक्का चेकडैम योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2023–24 तक 6286.99 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता सृजन के लक्ष्य के विरूद्ध 4107.76 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में कुल 570 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

स्वच्छ गाँव–समृद्ध गाँव

- **सभी गाँवों में सोलर स्ट्रीट लाईट (पंचायती राज/ऊर्जा विभाग)** :– वित्तीय वर्ष 2023–24 तक 64,456 वार्डों में 6,44,560 सोलर स्ट्रीट लाइट अधिष्ठापन के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 1,09,239 सोलर स्ट्रीट लाईट का अधिष्ठापन किया गया तथा शेष कार्य प्रगति पर है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में 276 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

- **ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन** :– ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन से सम्बंधित लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान – द्वितीय चरण योजना के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2023–24 तक लक्षित सभी 8,053 ग्राम पंचायतों एवं सभी 1,09,332 वार्डों के विरूद्ध अबतक 5,489 पंचायतों के 74,326 वार्डों में कार्य प्रारंभ हो चुका है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में 40 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

स्वच्छ शहर–विकसित शहर

- **ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन :– ठोस अपशिष्ट प्रबंधन** के तहत 3,880 शहरी वार्डों में ठोस अपशिष्ट का पृथक्कीकरण तथा कुल अपशिष्ट प्राप्ति 5,650 टन प्रतिदिन में से 1,670 टन प्रतिदिन (29 प्रतिशत) प्रसंस्करण किया जा रहा है। इस हेतु 35 नगर निकायों में 51 Material Recovery Facility तथा 87 नगर निकायों में 185 Waste to Compost केंद्र संचालित हैं। **तरल अपशिष्ट प्रबंधन** के तहत हाउस सर्विस कनेक्शन से संबंधित कुल 10 प्रस्तावित योजनाओं में से 8 योजनाओं के अन्तर्गत कुल 1,35,076 हाउस सर्विस कनेक्शन के लक्ष्य के विरूद्ध 1,01,089 कनेक्शन दिया चुका है।

  वित्तीय वर्ष 2024–25 में 30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

- **सभी शहरों एवं महत्वपूर्ण नदी घाटों पर विद्युत शवदाह गृह सहित मोक्षधाम का निर्माण (नगर विकास एवं आवास विभाग) :–** पूर्व से निर्मित 8 विद्युत शवदाह गृह के अतिरिक्त लक्षित 39 योजनाओं में से अब तक 09 योजनाओं में कार्य प्रारंभ है। शेष में कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

  वित्तीय वर्ष 2024–25 में 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

सुलभ सम्पर्कता

- **ग्रामीण पथों की सम्पर्कता :–** अतिरिक्त सुलभ संपर्कता योजना के तहत कुल 1623 पथ प्रस्तावित है। इसकी कुल लम्बाई 12,250.32 कि०मी० है।

सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा

- **लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतर उपलब्धता (स्वास्थ्य विभाग) :–** टेलीमेडिसीन के माध्यम से अब तक कुल 1 करोड़ 13 लाख 96 हजार 901 मरीजों को परामर्श दिया गया है। 243 विधान सभा क्षेत्रों में 1–1 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 5 स्वास्थ्य उपकेन्द्र एवं 136 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण के तहत कुल 1558 योजनाओं में से 81 योजनाओं का कार्य पूर्ण है तथा 900 में कार्य प्रगति पर है। शेष में कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। लक्षित 36 जिला अस्पतालों में से 30 जिला अस्पतालों में सी०टी० स्कैन की सुविधा प्रारंभ की गयी है तथा 17 जिलों में 4 शैय्या तथा 1 जिला (गया) में 2 शैय्या वाले गहन चिकित्सा इकाई (ICU)/गंभीर चिकित्सा इकाई (CCU) स्थापित किया गया है। साथ ही, 5 चिकित्सा

महाविद्यालय अस्पतालों में मैग्नेटिक रेसोनेंस इमेजिंग (एम०आर०आई०) सुविधा उपलब्ध कराया गया है।

- **बाल हृदय योजना** :– वर्ष 2021 से संचालित इस योजना अंतर्गत दिनांक 31.01.2024 तक 1134 बच्चों का सफलतापूर्वक ईलाज कराया गया है।

महोदय, अब मैं सरकार की प्राथमिकताएं प्रस्तुत कर रहा हूँ:–

1) नियुक्ति एवं रोजगार
2) महिला सशक्तिकरण
3) विभिन्न वर्गो का कल्याण
4) स्वास्थ्य प्रक्षेत्र
5) शिक्षा प्रक्षेत्र
6) कृषि एवं ग्रामीण विकास
7) उद्योग एवं उद्यमिता विकास
8) पर्यावरण संरक्षण एवं हरित विकास

नियुक्ति एवं रोजगार

- **रोजगार की बहार, शिक्षक नियुक्ति में इतिहास रचता बिहार** :– शिक्षक भर्ती नियुक्ति के प्रथम चरण में 1,02,515 एवं द्वितीय चरण में लगभग 97,000 शिक्षकों की नियुक्ति की गयी है। सात निश्चय–2 में 20 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लक्ष्य पर तेजी से काम हो रहा है तथा शीघ्र ही इस लक्ष्य को हासिल कर लिया जायेगा।

- राज्य में गरीब परिवारों की आर्थिक दशा सुधारने एवं बेरोजगारी दर में कमी लाने के उद्देश्य से **बिहार लघु उद्यमी योजना** की स्वीकृति दी गयी है। इस योजना के तहत गरीब वर्ग के लोगों को 2.00 लाख रुपये बतौर अनुदान के रूप में दी जायेगी। इस योजना में चालू वित्तीय वर्ष में 250 करोड़ एवं आगामी वित्तीय वर्ष में 1000 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी है।

- बिहार तकनीकी सेवा आयोग की अनुशंसा पर कुल 2088 सामान्य चिकित्सा पदाधिकारियों एवं 854 विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारियों अर्थात कुल 2942 चिकित्सकों को विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में पदस्थापित किया गया है। गत वर्ष भी 4115 चिकित्सा पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई थी।

- रोजगार सृजन की दिशा में वित्तीय वर्ष 2023–24 में नियमित, संविदा एवं बाह्य स्त्रोत के माध्यम से अबतक कुल 2,34,080 लोगों को रोजगार प्रदान किया गया। राज्याधीन पदों एवं सेवाओं में विभिन्न पदों के विरूद्ध नियमित नियुक्ति हेतु कुल 2,64,289 पदों के विरूद्ध अधियाचना भेजी गई है जिसमें मुख्य रूप से बिहार लोक सेवा आयोग को 2,46,043, बिहार कर्मचारी चयन आयोग को 10,374, बिहार तकनीकी सेवा आयोग को 7,872 पदों की अधियाचना भी शामिल है जो सम्प्रति प्रक्रियाधीन है।

- **मेडल लाओ, नौकरी पाओ योजना** के तहत खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ देश एवं बिहार का नाम रौशन करने वाले 71 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र दिया गया।

महिला सशक्तिकरण

- बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना ''जीविका'' बिहार में महिलाओं के विकास, सशक्तीकरण एवं ग्रामीण गरीबी के उन्मूलन हेतु कार्यरत है। जीविका द्वारा अब तक कुल 10.47 लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है जिसके अंर्तगत 01 करोड़ 30 लाख से अधिक परिवारों को समूहों से जोड़ा गया है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में 1.03 लाख नए समूहों का गठन किया जाएगा। अब शहरी क्षेत्रो में भी जीविका के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जाएगा। लगभग 1 लाख नए समूहों के माध्यम से लगभग 20 लाख नए परिवारों को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा जाएगा। वित्तीय वर्ष 2024–25 में नवगठित स्वयं सहायता समूहों को जीविकोपार्जन संवर्धन हेतु लगभग 150 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

- वित्तीय वर्ष 2024–25 में बैंकों द्वारा लगभग 10 हजार करोड़ रुपये ऋण प्रदान करने का लक्ष्य है।

- वित्तीय वर्ष 2024–25 में जीविका दीदियों द्वारा लगभग 2000 नए ग्राहक सेवा केंद्र खोले जाने का लक्ष्य है।

- वित्तीय वर्ष 2024–25 में 1 करोड़ 4 लाख जीविका दीदियों को बीमा से आच्छादित करने का लक्ष्य है।

- वित्तीय वर्ष 2024–25 तक 52 लाख महिला किसानों को कृषि विभाग के साथ समन्वय कर कृषि की नयी तकनीक से आच्छादित करने का लक्ष्य है।

- 33 उत्पादक कंपनियों (Farmer Producer Company) के पंजीकरण के साथ महिला किसानों का उत्प्रेरण, उत्पादों का एकत्रीकरण तथा बाजार से उनका जुड़ाव किया जा रहा है। इन कंपनियों का संचालन महिलाओं द्वारा किया जा रहा है।
- महिलाओं द्वारा 85 जैविक खेती कलस्टर विकसित किया जा रहा है।
- वित्तीय वर्ष 2024–25 तक 10 लाख परिवारों को पशुपालन से आच्छादित करने का लक्ष्य है।
- वित्तीय वर्ष 2024–25 तक 5 लाख परिवारों को उद्यमिता विकास, अतिरिक्त आय संवर्धन एवं रोजगार सृजन से जोड़ने का लक्ष्य है।
- राज्य बागवानी मिशन, कृषि विभाग बिहार के सहयोग से स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 11,789 महिलाएं मधुमक्खी पालन का कार्य कर रही हैं। अबतक 2724.7 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन किया गया है।
- स्वास्थ्य विभाग के साथ अभिसरण कर जीविका दीदियों द्वारा 82 'दीदी की रसोई' का संचालन अस्पतालों, 81 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों एवं 29 अन्य संस्थानों में किया जा रहा है। अबतक कुल 194 'जीविका दीदी की रसोई' का संचालन किया जा रहा है। **वित्तीय वर्ष 2024–25 में 50 "जीविका दीदी की रसोई" खोलने का लक्ष्य है।**
- बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर में प्रशिक्षणार्थियों के लिए पोशाक की सिलाई हेतु जीविका दीदी का सिलाई घर संचालित किया गया है।
- कोईलवर एवं गोरौल में जीविका दीदी का ''सिलाई घर'' संचालित है जिसमें 700 जीविका दीदियाँ कार्य कर रही है।
- मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत जीविका स्वयं सहायता समूहों के 40 सदस्यों को उद्यमी के रूप में चयनित कर मुजफ्फरपुर में बैग क्लस्टर विकसित किया गया है।
- जीविका द्वारा कौशल विकास की दिशा में कार्य करते हुए मांग आधारित खुदरा कारोबार, स्वास्थ्य, निर्माण, ऑटो, बिजली आदि क्षेत्र में युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाता है। कौशल विकास एवं नियोजन के क्षेत्र में अबतक लगभग 3.33 लाख युवाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें नियोजित अथवा स्व–नियोजित किया गया है। **वित्तीय वर्ष 2024–25 में**

35 हजार युवाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें नियोजित/स्वनियोजित करने का लक्ष्य है।

- जीविका द्वारा राज्य से बाहर 2 केन्द्र–बिहार प्रवासी संसाधन केंद्र दिल्ली एवं बंगलोर में स्थापित किया गया है।
- वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग के मनरेगा योजना से समन्वय कर 789 जीविका दीदियों ने पौधशालाएँ (दीदी की नर्सरी) विकसित किया है जिसमें 403 नर्सरी मनरेगा के तहत तथा 310 वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के समन्वय से विकसित किया गया है। अबतक 3.39 करोड़ पौधा रोपण किया गया है।
- नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय के सहयोग से जीविका दीदियाँ सोलर लैंप निर्माण का प्रशिक्षण प्राप्त कर सोलर शॉप चला रही हैं। कुल 372 दीदियाँ इस उद्यम से जुड़ी हुई हैं। गया जिले में J-WIRES कम्पनी की स्थापना की गयी है जो इस उद्यम को संचालित कर रही है।
- ग्रामीण परिवारों के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने हेतु समुचित सहयोग प्रदान कराने एवं कैरियर निर्माण के संबंध में सही मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जीविका द्वारा बिहार के 32 जिलों के 100 प्रखंडों में चिह्नित संकुलस्तरीय संघ स्तर पर **'जीविका लाइब्रेरी'** की स्थापना की गयी है।
- राज्य सरकार द्वारा शराब एवं ताड़ी के उत्पादन एवं बिक्री में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़े अत्यंत निर्धन परिवार एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य समुदायों के लक्षित अत्यंत निर्धन परिवारों का जीविकोपार्जन संवर्धन, क्षमता निर्माण एवं वित्तीय सहायता के माध्यम से सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण हेतु सतत् जीविकोपार्जन योजना को जीविका के माध्यम से सम्पूर्ण राज्य (ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों) में क्रियान्वयन करने की स्वीकृति दी गई है। इस योजना के अंतर्गत जीविकोपार्जन सूक्ष्म योजना के आधार पर सामुदायिक संगठनों द्वारा लक्षित परिवारों को एकीकृत परिसंपत्ति के सृजन हेतु 1,00,000 से 2,00,000 रुपये तक प्रति परिवार निवेश में सहयोग किया जाता है। योजना के तहत जीविकोपार्जन एवं आय आधारित उपयुक्त गतिविधियों से जोड़ने हेतु कुल 1,84,524 अत्यंत निर्धन परिवारों का चयन किया गया है, जिसमें ताड़ी तथा देशी शराब से जुड़े 45,994 अत्यंत निर्धन परिवार, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों के 99,281 अत्यंत निर्धन परिवार तथा अन्य

समुदाय के 39,249 अत्यंत निर्धन परिवार सम्मिलित हैं। **वित्तीय वर्ष 2024–25 में 31 हजार अत्यन्त निर्धन परिवारों को सतत् जीविकोपार्जन योजना के तहत लाभान्वित करने का लक्ष्य है।**

- चयनित अत्यंत निर्धन परिवारों मे 156872 को जीविकोपार्जन अंतराल राशि तथा 177221 परिवारों को एकीकृत परिसंपत्ति हस्तांतरित की गयी है। योजना द्वारा सहयोग प्राप्त कर इन परिवारों द्वारा गव्य एवं बकरी पालन माइक्रो इंटरप्राइज शुरू किया गया है।
- **चयनित परिवारों को वित्तीय वर्ष 2024–25 में अधिकतम 2 लाख रुपये प्रति परिवार जीविकोपार्जन संवर्धन हेतु एकीकृत परिसंपत्ति हस्तांतरित करने का लक्ष्य है।**
- जीविका के प्रयासों का नतीजा है कि महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक अधिकार एवं उत्तरदायित्व में बढ़ोतरी के साथ इनकी स्वीकार्यता बढ़ी है। महिलाओं में आत्मबल का संचार हुआ है और हर दिशा में कुछ सकारात्मक करने का उनका उत्साह निरन्तर बना हुआ है।
- जीविका परियोजना के सुचारू एवं सफल संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में रिक्त 3000 पदों पर बहाली की जाएगी।
- महिला सशक्तिकरण के अन्तर्गत नगर निगम, पटना में slum में रह रही महिलाओं के उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु **स्वच्छांगिनी परियोजना** का शुभारंभ किया गया है। **परियोजना** का मुख्य उद्देश्य इन महिलाओं को उद्योग से जोड़कर उनको स्वरोजगार का अवसर प्रदान करना तथा उनके चहुमुखी विकास हेतु उनका निरंतर क्षमतावर्द्धन किया जाना है। ये महिलाएं नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह, 2024 में विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुई। गौरतलब है कि यह पहली बार है कि पटना के सफाई कर्मियों को दिल्ली के समारोह में शामिल होने का मौका मिला है।
- मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि इस वर्ष भाई–बहन के पवित्र रिश्ते का त्योहार रक्षाबंधन के दिन राज्य में महिलाओं के लिए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की जायेगी।

विभिन्न वर्गों का कल्याण

- मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना अंतर्गत आवासहीन एवं भूमिहीन परिवारों को वर्ष 2023–24 में जमीन क्रय के लिए दी जा रही 60 हजार रुपये की राशि की सीमा को बढ़ाकर अधिकतम 1 लाख रुपये किया गया है।

- जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास योजना के अन्तर्गत सभी जिलों में 1–1 छात्रावास के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी है जिसमें कुल 36 जिलों में छात्रावास संचालित हैं एवं शेष 02 जिलों में निर्माण कार्य चल रहा है।

- **मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना** को विस्तारित करते हुए पूर्व से सम्मिलित परीक्षाओं के अतिरिक्त संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली, केन्द्रीय कर्मचारी चयन आयोग, विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोग, विभिन्न बैकिंग सेवा भर्ती बोर्ड/आई0बी0पी0एस0 तथा विभिन्न रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगिता (प्रारंभिक) परीक्षा को सम्मिलित कर उक्त परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले राज्य के अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को निर्धारित दर के अनुसार प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है।

- **बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजनाः**– सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में कम से कम एक अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का निर्माण किये जाने का निर्णय लिया गया है।

- **मुस्लिम महिला तलाकशुदा/परित्यक्ता सहायता योजना** अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में कुल 445 मुस्लिम परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं के बीच 1.11 करोड़ रूपये वितरित किये गये।

स्वास्थ्य प्रक्षेत्र

- पूर्व में राज्य में 6 सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल थे। आज 13 सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल कार्यरत है तथा 15 नये मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल स्वीकृत किये गये हैं। इसके अतिरिक्त पूर्व के मेडिकल कॉलेज यथा– PMCH को 5462 बेड की क्षमता वाले विश्वस्तरीय एवं IGIMS, NMCH, DMCH, SKMCH, ANMCH को 2500 बेड के अस्पताल के रूप में विकसित करने की कार्रवाई की जा रही है।

- श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर के परिसर में टाटा मेमोरियल अस्पताल, मुबंई के सहयोग से होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर स्थापित किया गया है।

- राज्य के सदर अस्पतालों यथा– आरा, अररिया, वैशाली, औरंगाबाद, बांका, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सहरसा, रोहतास, नालंदा, सिवान, गोपालगंज, मुंगेर, भागलपुर, मधेपुरा,

गया, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर एवं समस्तीपुर को लगभग 580.09 करोड़ रुपये की लागत से मॉडल अस्पताल के रूप में उन्नयन हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें से 14 सदर अस्पतालों में विभिन्न स्तर पर निर्माण कार्य जारी है एवं 07 स्थलों पर निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है।

- राज्य के 9 जिलों यथा, पूर्णिया, छपरा, बेतिया, समस्तीपुर, मधुबनी, वैशाली, सिवान, जमुई एवं सीतामढ़ी में नये चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का निर्माण कार्य किया जा रहा है। **551 करोड़ रुपये की लागत से 500 बेड वाले श्री राम जानकी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, सरायरंजन, समस्तीपुर** का निर्माण कार्य संपन्न कर दिनांक–21.01.2024 को लोकार्पण किया जा चुका है। इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना में अतिरिक्त 1200 बेड के अस्पताल भवन का निर्माण 513 करोड़ रुपये की लागत से कराया जा रहा है। राज्य के कुल 16 अनुमंडलीय अस्पताल के निर्माण के लिए कुल 258.06 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

- **आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY)** अंतर्गत राज्य में सामाजिक–आर्थिक जाति जनगणना (SECC)– 2011 के डाटा बेस के आधार पर चयनित परिवारों को सरकारी एवं सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में पांच लाख रुपये तक प्रति वर्ष प्रति परिवार निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों को संस्थागत इलाज के माध्यम से उच्च गुणवता की चिकित्सा उपलब्ध कराना है। योजना का क्रियान्वयन **''बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति''** द्वारा किया जा रहा है। योजना के पात्र लाभार्थी के रूप में राज्य में लगभग 1 करोड़ 9 लाख परिवार हैं, जिसमें लगभग 5 करोड़ 55 लाख व्यक्ति शामिल हैं। जनवरी, 2024 तक राज्य में कुल 40.55 लाख परिवारों के 86.59 लाख व्यक्तियों को आयुष्मान कार्ड निर्गत किया जा चुका है। राज्य में कुल 607 सरकारी एवं 344 गैर सरकारी अस्पताल अर्थात् कुल 951 अस्पताल सूचीबद्ध किये जा चुके हैं। योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में जनवरी, 2024 तक कुल 239.39 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है। पात्र लाभार्थियों को निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु कॉमन सर्विस सेन्टर (वसुधा केन्द्र), कार्यपालक सहायक (पंचायती राज विभाग) एवं जीविका दीदियों का सहयोग लिया जा रहा है। योजना अंतर्गत प्राप्त सभी शिकायतों का निवारण गुणवत्तापूर्ण ढ़ंग से किया जा रहा है, जिसकी प्रशंसा **राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण** द्वारा की गयी है।

शिक्षा प्रक्षेत्र

- राज्य के सरकारी प्रांरभिक, माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए विद्यार्थी और शिक्षक अनुपात को राष्ट्रीय स्तर के अनुरूप लाने के उद्देश्य से प्रथम चरण में 1,02,515 एवं द्वितीय चरण में लगभग 97,000 शिक्षकों की नियुक्ति की गयी।

- वित्तीय वर्ष 2022–23 में बालिका पोशाक योजना, किशोरी स्वास्थ्य, छात्रवृत्ति, प्री मैट्रिक, मुख्यमंत्री साईकिल योजना, मुख्यमंत्री बालक पोशाक योजना, मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना, कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री मेधावृति आदि योजनाओं के 1.54 करोड़ लाभुक बच्चों को डी0बी0टी0 के माध्यम से उनके खाते में 2550.91 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गयी है एवं शेष लाभुक बच्चों के बीच वितरण जारी है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में भी उक्त योजनाओं की राशि डी0बी0टी0 के माध्यम से लाभुक बच्चों के खाते मे उपलब्ध करायी जा रही है।

- **मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना अन्तर्गत सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि** :– इस योजना के तहत संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली एवं बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के प्रारम्भिक परीक्षा में उतीर्ण होने वाली महिला अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार की अग्रतर तैयारी हेतु क्रमशः 1,00,000 रुपये तथा 50,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। 67वीं0 बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा उतीर्ण 1198 अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन राशि दी गयी है।

- वर्ष 2023 में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा कुम्हरार, पटना स्थित पंचशील विद्यालय में कुल पाँच एकड़ में **''बापू परीक्षा परिसर''** का निर्माण कराया गया है जिसमें एक साथ 20 हजार से अधिक विद्यार्थियों के बैठने की क्षमता है।

- बिहार बोर्ड के मेधावी विद्यार्थियों के लिए इंजीनियरिंग व मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी हेतु पटना प्रमंडल में निःशुल्क आवासीय कोचिंग एवं शेष 8 प्रमंडलों में निःशुल्क गैर आवासीय कोचिंग कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है।

- राज्य के सभी जिलों के लिए एक अभियंत्रण महाविद्यालय एवं एक पोलिटेकनिक संस्थान स्थापित एवं संचालित है।

- राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों में उभरते हुए तकनीक यथा–इंटरनेट ऑफ थिंग्स

आर्टिफिसियल इन्टेलिजेंस, 3डी प्रिन्टिंग, रोबोटिक्स, इंडस्ट्रीयल ऑटोमेशन, इलेक्ट्रीक वेहिकल, ड्रोन टेक्नोलॉजी, ऑप्टिकल फाइबर में प्रशिक्षण की गुणवता बढाने तथा उद्योग की मांग के अनुसार व्यावहारिक कौशल निर्माण एवं इस हेतु मनोनीत नॉलेज पार्टनर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना द्वारा 33 राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों में द्वितीय चरण में सेन्टर ऑफ एक्सेलेंस स्थापित करने की योजना का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु 122.86 करोड़ रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

- पूर्व से कार्यरत शिक्षकों के अतिरिक्त राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में कुल 1258 पदों पर तथा राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों में कुल 720 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति की गयी है।
- राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों में कुल सीटों की संख्या 10,965 से बढकर 13,835 तथा राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों में डिप्लोमा स्तर पर नवीनतम विधाओं सहित सीटों की संख्या 12,321 से बढकर 16,245 हो गई है।
- राज्य सरकार द्वारा राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में बी0टेक0 (चार वर्षीय) पाठ्यक्रम में सातवें सेमेस्टर के अध्ययनरत् सभी इच्छुक छात्र/छात्राओं को इंटर्नशिप हेतु प्रति छात्र/छात्रा 10000 रुपये की राशि प्रोत्साहन के रूप में दिये जाने का निर्णय लिया गया है।
- बड़गांव (नालंदा) में 121 करोड़ रुपये की लागत से 10 एकड़ क्षेत्र में नालंदा खुला विश्वविद्यालय का नवनिर्मित भवन स्थापित एवं संचालित है।

कृषि एवं ग्रामीण विकास

- हर खेत तक सिंचाई का पानी कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न जिलों में कुल चयनित 1198 योजनाओं में से 1173 योजनाओं की स्वीकृति के पश्चात् अब तक कुल 621 योजनाएँ पूर्ण की जा चुकी है जिसके फलस्वरूप ह्रासित सिंचाई क्षमता में 2,10,524 हे० की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। कुल 552 योजनाओं का कार्य प्रगति में है।
- कृषि रोड मैप 2023–2028 अंतर्गत खाद्य एवं पोषण सुरक्षा, समावेशी विकास के तहत रैयत किसानों के साथ–साथ गैर रैयत एवं महिला किसानों को बढ़ावा, सतत विकास की परिकल्पना, कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक का प्रयोग, पर्यावरण को अक्षुण्ण रखने का संकल्प, छोटा किसान–बड़ा फार्मिंग अर्थात किसानों का संगठन बनाकर उनके विकास का कार्य, कृषि उत्पादन के दौरान एवं उत्पादन के पश्चात क्षति को कम करने के लिए विशिष्ट कार्यघटक, टाल एवं दियारा तथा चौर के विकास के लिए विशिष्ट कार्यक्रम, आधारभूत

संरचना आदि क्षेत्रों में व्यापक निवेश इत्यादि को परिलक्षित किया गया है। **चतुर्थ कृषि रोड मैप** 2023–2028 हेतु 1 लाख 62 हजार करोड़ रुपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गयी है।

- **चतुर्थ कृषि रोड मैप** के कार्यान्वयन के फलस्वरूप कृषि उत्पादों की उपज में वृद्धि होगी, कृषि उपज के भंडारण, प्रसंस्करण क्षमता का विस्तार होगा, कृषि उपादानों यथा– बीज, सिंचाई, तकनीकी परामर्श आदि सुलभता से किसानों को प्राप्त होगा, पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्य को पूरा करने में मदद मिलेगी, जलवायु परिवर्तन की परिस्थितियों से मुकाबला करने में किसान सक्षम होंगे एवं किसानों की आमदनी बढ़ेगी।

उद्योग एवं उद्यमिता विकास

- ज्ञान भवन (पटना) में दिनांक 13–14 दिसंबर को बिहार बिजनेस कनेक्ट–2023 का आयोजन किया गया जिसमें देश एवं विदेश के उद्योग जगत से जुड़े लगभग 600 निवेशकों द्वारा भाग लिया गया। इस कार्यक्रम के दौरान प्रमुख कंपनियों और उद्योग विभाग के बीच बिहार में निवेश प्रस्ताव से संबंधित कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया गया। साथ ही, **लॉजिस्टिक पॉलिसी–2023** का लोकार्पण किया गया। राज्य में उद्योग लगाने के लिए अनुकूल माहौल है और राज्य सरकार द्वारा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही है।

- पटना के बिहटा स्थित सिकन्दरपुर औद्योगिक क्षेत्र में **''प्लग एंड प्ले''** शेड का उद्घाटन किया गया जिसके द्वारा उद्यमियों के लिए सुविधाएँ मुहैया करायी जा रही है।

- हाथों और औजारों की मदद से काम करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 17 सितम्बर, 2023 को **पीएम विश्वकर्मा योजना** का शुभारंभ किया गया। इस योजना में 18 व्यवसायों– (i) बढ़ई (ii) नाव निर्माता (iii) हथियार निर्माता (iv) लोहार (v) हथौड़ा और टूल किट निर्माता (vi) ताला बनाने वाला (vii) सोनार (viii) कुम्हार (ix) मूर्तिकार (मूर्तिकार, पत्थर तराशने वाला), पत्थर तोड़ने वाला, (x) मोची/जूता कारीगर (xi) राजमिस्त्री (xii) टोकरी/चटाई/झाड़ू निर्माता/कॉयर बुनकर (xiii) गुड़िया और खिलौना निर्माता (पारंपरिक) (xiv) नाई (xv) माला बनाने वाला (xvi) धोबी (xvii) दर्जी और (xviii) मछली पकड़ने का जाल निर्माण में लगे कारीगरों और शिल्पकारों को शामिल किया गया है। वैसे कारीगर या शिल्पकार जिनकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष हो एवं

पिछले पांच वर्षो में पीएमईजीपी, पीएम स्वनिधि, मुद्रा योजना में से किसी का लाभ न लिया हो, इस योजना के पात्र होंगे। इस योजना के माध्यम से कारीगरों और शिल्पकारों (विश्वकर्मा साथियों) को प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ–साथ रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

पर्यावरण संरक्षण एवं हरित विकास

- राज्य में हरित आवरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वन से बाहर के क्षेत्रों में वृक्षारोपण, वन क्षेत्र में मृदा एवं जल संरक्षण कार्य, किसानों के माध्यम से कृषि वानिकी के तहत पौधारोपण एवं विभागीय नर्सरियों के साथ–साथ सामान्य जनों के सहयोग से निजी नर्सरियों से पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। **'जल–जीवन–हरियाली अभियान'** के अंतर्गत निर्धारित कार्य बिन्दु में **पौधशाला सृजन एवं सघन वृक्षारोपण मुख्य अवयव** है। राज्य में जल–जीवन–हरियाली अभियान अंतर्गत वर्ष 2019–20 से अबतक कुल 15 करोड़ 55 लाख से अधिक पौधों का रोपण किया गया है।

- राज्य के हरित आवरण को **17 प्रतिशत** करने का लक्ष्य रखा गया है। रोपण हेतु पौधों की उपलब्धता के लिए **निजी पौधशालाओं का विस्तार सभी प्रखण्डों** में किया जा रहा है। **कृषकों तथा जीविका समूहों को इससे जोड़ा गया है जिससे उनको अतिरिक्त आय प्राप्त हो रही है।**

- बिहार सरकार द्वारा अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त भारत के राष्ट्रीय जलीय पशु गंगा डॉल्फिन अनुसंधान केन्द्र, पटना का निर्माण कार्य किया जा रहा है।

- राज्य में **सौर ऊर्जा** के उपभोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जल–जीवन–हरियाली अभियान अंतर्गत वर्ष 2019 में राज्य के सभी सरकारी भवनों में ग्रिड कनेक्टेड सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने का निर्णय लिया गया। इस योजना के अंतर्गत अबतक कुल 4,116 भवनों में 49.9 मेगावाट की क्षमता के ग्रिड कनेक्टेड सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जा चुकी है एवं शेष सरकारी भवनों में सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना का कार्य जारी है। साथ ही, घरेलू उपभोक्ताओं में सौर ऊर्जा उपभोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार के अलावा राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त 25 प्रतिशत का अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत अबतक कुल 2,344 उपभोक्ताओं के निजी भवनों पर कुल 9.33 मेगावाट क्षमता के ग्रिड कनेक्टेड सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जा चुकी है।

विभागवार बजट प्रस्ताव

अध्यक्ष महोदय, अब मैं राज्य सरकार के विभागों के लिए प्रस्तावित राशि एवं महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी सदन के पटल पर रखता हूँ।

कृषि विभाग

- बिहार के लिए **चतुर्थ कृषि रोड मैप 2023–28** का शुभारंभ माननीया राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा 18 अक्टूबर, 2023 को किया गया। इस कृषि रोडमैप में **कुल 1,62,268.78 करोड़** रुपये की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है। बिहार के कृषि रोडमैप की सराहना देश के साथ–साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी की गई है।

- बिहार की अर्थव्यवस्था का विकास कृषि के विकास पर निर्भर है। राज्य की 76 प्रतिशत आबादी कृषि कार्यों पर आश्रित है। कृषि क्षेत्र के समेकित विकास के लिए राज्य सरकार वर्ष 2008 से लगातार कृषि रोडमैप का कार्यान्वयन कर रही है। वर्ष 2008 से 2012 तक प्रथम कृषि रोडमैप तथा वर्ष 2012 से 2017 तक द्वितीय कृषि रोडमैप का कार्यान्वयन किया गया है। तीसरे कृषि रोडमैप की अवधि वर्ष 2017 से 2023 तक थी। कृषि रोड मैप में निर्धारित कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के फलस्वरूप वर्ष 2011–12 में चावल, वर्ष 2012–13 में गेहूँ, वर्ष 2015–16 में मक्का (मोटे अनाज), वर्ष 2016–17 में मक्का (मोटे अनाज) तथा वर्ष 2017–18 में गेहूँ के उत्पादन एवं उत्पादकता में उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए भारत सरकार द्वारा राज्य को कुल पांच कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया है।

- अनियमित मानसून से प्रभावित किसानों की सहायता के लिए आकस्मिक फसल योजना के तहत वर्ष 2023 में 2.05 लाख किसानों को 13328.42 क्विंटल निःशुल्क बीज की आपूर्ति की गयी।

- आधुनिक खेती में बीज की महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्ष 2023–24 में खरीफ मौसम के लिए 2.86 लाख किसानों को 70.407 हजार क्विंटल बीज तथा रबी मौसम में 11.16 लाख किसानों के बीच 464.35 हजार क्विंटल बीज अनुदानित दर पर उपलब्ध कराया गया है। इसमें से खरीफ मौसम में 90 हजार किसानों के बीच 23206.72 क्विंटल तथा रबी मौसम में 2.98 लाख किसानों के बीच 120.61 हजार क्विंटल बीज की होम डिलीवरी की गयी। खरीफ 2023 में धान बीज का प्रतिस्थापन दर 51.84 प्रतिशत, गेहूँ का 40.97 प्रतिशत, मक्का का 100 प्रतिशत, दलहन का 25.47 प्रतिशत एवं तेलहन में 71.21 प्रतिशत रहा है।

- राज्य में बागवानी विकास के लिए वर्ष 2023–24 में 3872 हेक्टेयर में फलदार वृक्षों के नये बगीचों की स्थापना की गई है। 4.86 लाख मशरूम कीट का वितरण किया गया है। मखाना के गुणवत्तापूर्ण उत्पादन के लिए 600 हेक्टेयर के लिए मखाना का बीज का वितरण किया गया है। मधु उत्पादन को और अधिक बढ़ावा देने के लिए 90,000 मधुमक्खी बॉक्स को किसानों के बीच वितरण किया गया है, जिससे किसानों की आमदनी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

- **पान विकास के लिए बिदुपुर (वैशाली) में सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स स्थापित** किये जाने की स्वीकृति दी गयी है।

- मखाना तथा प्याज के भंडारण के लिए क्रमशः 20 तथा 25 भण्डार गृह का निर्माण कराया जा रहा है।

- **कृषि यांत्रिकरणः**– वर्ष 2023–24 में कृषि यांत्रिकरण राज्य योजनान्तर्गत 119.00 करोड़ रुपये की लागत से किसानों को कुल 108 प्रकार के कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा रहा है। अब तक कृषि यांत्रिकरण योजनान्तर्गत 46,741 परमिट निर्गत किये जा चुके हैं तथा 19.92 करोड़ रुपये का अनुदान 7602 लाभार्थी किसानों के बीच भुगतान किया जा चुका है।

- **डिजिटल क्रॉप सर्वे**– राज्य के पाँच जिलों यथा शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, नालन्दा तथा जहानाबाद में पायलट आधार पर रबी मौसम 2023–24 में डिजिटल क्रॉप सर्वे का कार्य प्रारम्भ किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य तीनों फसल मौसम में ग्रामवार फसलों के आच्छादन की वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त करनी है।

- **जैविक खेती**– राज्य में जैविक खेती अंतर्गत 67848 एकड़ से अधिक क्षेत्र में तथा टपकन सिंचाई अंतर्गत लगभग 28265 एकड़ क्षेत्र में खेती की जा रही है। जैविक खेती को प्रोत्साहन देने हेतु विशिष्ट उत्पादों को बाजार से जोड़ने हेतु प्रयास किया जा रहा है ताकि किसानों को लागत के अनुरूप समुचित कीमत प्राप्त हो सके। राज्य में 25 स्थायी जैविक उत्पाद बिक्री केंद्र संचालित की जा रही है। जैविक उत्पाद की बिक्री को बढ़ावा देने हेतु 43 ई–रिक्शा दी गई है।

- **दलहन, तेलहन एवं मिलेट विकास कार्यक्रमः**– राज्य में फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए दलहन, तेलहन एवं मोटे अनाज पर शिक्षा, शोध एवं प्रसार हेतु दीर्घकालिक अवधि की प्रभावी योजना पर कार्य किया जा रहा है। बिहार मोटे/पोषक अनाज मूल्य श्रृंखला

के लिए सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स केन्द्र के संचालन एवं शोध कार्य हेतु कृषि विभाग, बिहार सरकार के साथ इक्रीसैट (ICRISAT), हैदराबाद एवं डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर तथा बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर के साथ MoU किया गया है। साथ ही, गया जिला के बाराचट्टी प्रक्षेत्र पर भूमि एवं जल संरक्षण का **मॉडल प्रदर्शन केन्द्र** की स्वीकृति दी गयी है।

- बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर के अधीन 208 सहायक प्राध्यापक एवं कृषि विज्ञान केन्द्रों में 16 विषयवस्तु विशेषज्ञ की नियुक्ति की गई है। आत्मा योजना अन्तर्गत कुल 641 तकनीकी/गैर–तकनीकी मानव बल, 1452 किसान सलाहकारों को वर्ष 2023–24 में चयनित किया गया है।

- कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कृषि स्नातक एवं कृषि स्नातकोत्तर के नामांकन की 299 सीटें बढ़ाई गई है। कृषि स्नातक की सीटें 357 से बढ़ाकर 610 किया गया है। कृषि स्नातकोत्तर की सीटें 104 से बढ़ाकर 132 की गई हैं। इसी प्रकार पी.एच.डी. में सीटों की संख्या 29 से बढ़ाकर 47 की गई है।

- बीज के क्षेत्र में बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए **102 करोड़ रुपये की लागत से 100 सीड हब विकसित** किये जायेंगे।

- राज्य सरकार द्वारा गंगा नदी के दोनों किनारे के 13 जिलों में जैविक कॉरिडोर की स्थापना की गयी है। जैविक कॉरिडोर में 188 किसान उत्पादक संगठन बनाया गया है। वर्ष 2023 में 181 किसान उत्पादक संगठन के 20205 किसानों को C3 जैविक प्रमाणीकरण प्रमाण–पत्र प्राप्त हुआ है।

- 38 जिलों के 190 गाँव में जलवायु अनुकूल कृषि तकनीक का प्रत्यक्षण के तहत वर्ष 2023 के गरमा मौसम में 1500 एकड़, खरीफ मौसम में 22610 एकड़ तथा रबी मौसम में 23674 एकड़ में आधुनिक कृषि तकनीक का प्रत्यक्षण आयोजित किया गया जिससे कुल 51,400 किसान लाभान्वित हुए हैं। इससे किसानों की आय में 16 से 35 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है।

- कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय, आरा, कृषि जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, सबौर एवं कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय, पटना की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। वर्ष 2022 में कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय, आरा एवं कृषि जैव

प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, सबौर में छात्रों के नामांकनोपरांत पठन–पाठन का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है।

- कृषि से किसानों की आमदनी को बढ़ाने के उद्देश्य से कृषि क्षेत्र में कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्द्धन तथा **कृषि संबंधित उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सेकेण्ड्री कृषि से संबंधित शिक्षा एवं शोध संस्थान की स्थापना की जायेगी।**
- राज्य में जी0 आई0 टैग प्राप्त फसलों के उत्पादों यथा– मखाना, पान के साथ–साथ चाय, पारंपरिक गेहूँ के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- चतुर्थ कृषि रोड मैप में दलहन, तेलहन एवं पोषक अनाज के विकास पर विशेष बल दिया जायेगा। इसके लिए राज्य में दलहन एवं तेलहन विकास मिशन तथा आधुनिक कृषि यंत्रों को बढ़ावा देने के लिए विशेष कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना की जायेगी। साथ ही, बीज की समग्र योजना, बीज रॉलिंग प्लान कार्यान्वित किया जायेगा। बीज के उत्पादन से लेकर बीज की उपलब्धता किसानों के बीच सुनिश्चित करने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ायी जायेगी।
- राज्य में कृषि विपणन को बढ़ावा देने के लिए 21 बाजार प्रांगणों पर नयी आधारभूत संरचनाओं का विकास कर इसे आधुनिक सुविधायुक्त बनाया जायेगा।
- राज्य के दोनों कृषि विश्वविद्यालयों में दलहन, तेलहन एवं पोषक अनाज के अनुसंधान हेतु विशेष रुप से मेधावी छात्रों को आकृष्ट करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है जिसके अंतर्गत दलहन, तेलहन एवं पोषक अनाज पर अनुसंधान करने पर पी.एच.डी. पाठ्यक्रम के शोधार्थियों को अन्य स्रोतो से मिलने वाली छात्रवृति के अतिरिक्त प्रति माह प्रति छात्र 10,000/– रुपये टॉप–अप राशि दी जा रही है। साथ ही, शोध के लिए प्रति छात्र प्रति वर्ष 2 लाख रुपये तक की सहायता राशि के रूप में देने का भी प्रावधान किया गया है।
- **भौगोलिक सूचकांक**– राज्य सरकार के प्रयासों से वर्ष 2023 में बिहार के कृषि धरोहरों **मिथिला मखाना तथा मर्चा धान** को भौगोलिक सूचकांक (जी०आई०) पंजीकरण किया गया है। पूर्व में कतरनी चावल, जर्दालू आम, शाही लीची तथा मगही पान को जी०आई० पंजीकरण प्राप्त है। केला के पारम्परिक प्रभेद को जी0आई0 टैग करने की कार्रवाई प्रारम्भ की जा चुकी है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में स्कीम मद में 2,782.00 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं

प्रतिबद्ध व्यय मद में 818.92 करोड़ रुपये कुल 3,600.92 करोड़ रुपये बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

- ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों/शिक्षित बेरोजगार युवक–युवतियों को स्वरोजगार का अतिरिक्त अवसर प्रदान कर उन्हें विकास की मुख्य धारा में शामिल कर उनके आर्थिक एवं सामाजिक समृद्धि के लिए सरकार कृतसंकल्पित है ताकि आने वाले वर्षों में पशु जन्य/पक्षी जन्य/मत्स्य जन्य विभिन्न उत्पादों के मामले में राज्य को आत्मनिर्भर बनाया जा सके।
- कृषि रोड मैप के माध्यम से दुग्ध, अंडा एवं मांस उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी हासिल हो रही है। वर्ष 2021–22 में दुग्ध–121.19 लाख मिट्रिक टन, अंडा–306.66 करोड़ एवं मांस– 3.92 लाख मिट्रिक टन का उत्पादन हुआ था, जो बढ़कर दुग्ध–125.03 लाख मिट्रिक टन, अंडा–327.43 करोड़ एवं मांस–3.96 लाख मिट्रिक टन हो गया है।
- 100 प्रथमवर्गीय पशु चिकित्सालय–सह–आवास निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इससे राज्य के पशुपालकों को बेहतर पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध करायी जा सकेगी।
- चालू वित्तीय वर्ष में 220.09 लाख पशुओं को ईयर टैगिंग किया गया है।
- चालू वित्तीय वर्ष में से HS-BQ रोग के विरूद्ध दिनांक–27.12.2023 तक 127.24 लाख पशुओं का टीकाकरण किया गया है।
- बिहार में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष मत्स्य की उपलब्धता 6.64 कि०ग्रा० है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में नवम्बर माह तक 5.93 लाख मिट्रिक टन मछली का उत्पादन हुआ है। मुख्यमंत्री मत्स्य विपणन योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष में राज्य के चिन्हित प्रखण्डों एवं पंचायतों में 30–30 मत्स्य बाजार निर्माण की योजना कार्यान्वित की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा मत्स्य उत्पादन में बढ़ावा हेतु नये तकनीक यथा बायोफ्लॉक तकनीक एवं आर०ए०एस० तकनीक से मत्स्य पालन की योजना कार्यान्वित है। राज्य में 439 बायोफ्लॉक इकाई एवं 15 आर०ए०एस० इकाई का अधिष्ठापन किया गया है। राज्य के नदियों यथा– गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक नदियों के मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के उद्देश्य से कुल 61.81 लाख मत्स्य अंगुलिकायें गंगा एवं सहायक नदियों में पुनर्स्थापित की गई है।

- मुख्यमंत्री चौर विकास योजनान्तर्गत चौर बाहुल्य जिलों में अवस्थित चौर भूमि पर मॉडल आधारित नये तालाबों का निर्माण किया जा रहा है। इस योजनान्तर्गत कुल 461 हेक्टेयर चौर भूमि में तालाब का निर्माण किया जा चुका है।

- राज्य सरकार द्वारा चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत गव्य क्षेत्र के व्यापक विकास की योजनाएँ बनायी गयी है। बिहार के नालन्दा स्थित डेयरी देश की पहली ऐसी डेयरी है जिसे डेयरी प्रोसेसिंग एवं उत्पाद की गुणवत्ता का सर्वश्रेष्ठ मानक CAS प्राप्त हुआ है। चालू वित्तीय वर्ष में समग्र गव्य विकास योजना अन्तर्गत उन्नत नस्ल के दुधारू मवेशी/बाछी (हिफर) की कुल 3355 डेयरी इकाई की स्थापना की स्वीकृति दी गयी है।

- **वित्तीय वर्ष 2024–25 में महत्वपूर्ण कार्यक्रम यथा,** बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के आधारभूत संरचना का निर्माण, जिला स्तरीय पशु चिकित्सालयों में पैथोलॉजिकल जाँच हेतु लैब का सुदृढ़ीकरण तथा 24X7 इनडोर पशु चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था, पशु चिकित्सा सेवा तथा पशु स्वास्थ्य का विकास, पशुओं में एच०एस० एण्ड बी०क्यू० रोग के विरूद्ध टीकाकरण, गोशाला विकास की योजना का कार्यान्वयन, कौशल विकास को बढ़ावा देना एवं पशु चिकित्सालय के आधारभूत संरचना का निर्माण आदि किया जायेगा।

- सात निश्चय पार्ट–2 (2020–2025) अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना/जलाशय मात्स्यिकी विकास की योजनाएँ/निजी तालाबों का जीर्णोद्धार की योजना/राज्य के गंगा नदी तंत्र में नदी पुनर्स्थापन कार्यक्रम/राज्य योजना के तहत मुख्यमंत्री तालाब मात्स्यिकी विकास योजना एवं तालाब मात्स्यिकी विशेष सहायता योजना (अनुसूचित जाति/जनजाति/अतिपिछड़ा) आदि एवं केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का कार्य मुख्य रुप से शामिल है।

- राज्य के सभी वर्गों के कृषकों/दुग्ध व्यवसाय से जुड़े हुए कृषकों, बेरोजगार युवक–युवतियों को समग्र गव्य विकास योजना के तहत ऋण–सह अनुदान, स्वलागत पर डेयरी फार्मिंग योजना के माध्यम से सशक्तिकरण करना और उनके लिए रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में स्कीम मद में 1,089.94 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 541.41 करोड़ रुपये कुल 1,631.35 करोड़ रुपये बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

सहकारिता विभाग

- सहकारिता विभाग में 13 सहायक निबंधक, 05 जिला अंकेक्षण पदाधिकारी एवं 9 निम्नवर्गीय लिपिक तथा कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियां में 255 अंकेक्षक की नियुक्ति की कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा 11 निम्नवर्गीय लिपिक एवं 43 कार्यालय परिचारी की नियुक्ति की गयी है। बिहार राज्य सहकारी बैंक एवं जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों में वर्ष 2023–24 में 245 सहायक एवं 31 सहायक प्रबंधक की नियुक्ति की गयी है। 07 सहायक निबंधक एवं 133 निम्नवर्गीय लिपिक की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। बिहार राज्य भंडार निगम में विभिन्न पदों पर कुल 69 नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना अंतर्गत तीनों स्तर पर गठित समितियों में विभिन्न स्तर पर कुल 478 मानव संसाधन की नियुक्ति की जा रही है।

- **कृषि रोड मैप अंतर्गत** पैक्सों/व्यापार मंडलों में आधारभूत संरचना के विकास हेतु 200 मे0टन, 500 मे0टन एवं 1000 मे0टन गोदाम का निर्माण कराया जाता है। वर्ष 2023–24 में 113 गोदाम का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। वर्ष 2024–25 में 460 गोदाम निर्माण कार्य पूर्ण कराया जायेगा।

- खरीफ विपणन मौसम 2023–24 अन्तर्गत प्राप्त लक्ष्य 45.00 लाख मे0 टन के विरूद्ध दिनांक–16.01.2024 तक कुल 7039 समितियों के माध्यम से 2.04 लाख किसानों से 16.58 लाख मे0 टन धान की अधिप्राप्ति की गई है।

- **बिहार राज्य फसल सहायता योजनान्तर्गत** खरीफ 2022 मौसम में कुल 286505 लाभान्वित किसानों को 296.79 करोड़ रुपये की सहायता राशि का भुगतान किया गया है। रबी 2022–23 मौसम में सहायता राशि भुगतान के पूर्व पात्र किसानों का सत्यापन कराया जा रहा है। खरीफ 2023 मौसम हेतु कुल 1596922 किसानों द्वारा आवेदन किया गया है। NIC के तकनीकी सहयोग से विकसित बिहार राज्य फसल सहायता योजना पोर्टल को कम्प्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा E–Governance के लिए Award of Excellence प्रदान किया गया। रबी वर्ष 2023–24 से बैंगन, टमाटर, मिरचाई एवं गोभी को भी फसल सहायता योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है।

- **मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना** अंतर्गत राज्य के सभी 8463 पैक्सों में कृषि संयंत्र बैंक स्थापित की जानी है जिसमें 2772 पैक्सों द्वारा 15149 प्रकार के विभिन्न कृषि संयंत्र का क्रय

आदेश निर्गत है। इसमें से 14086 कृषि यंत्रों की आपूर्ति की जा चुकी है। वर्ष 2023–24 में निर्धारित लक्ष्य 2927 के विरुद्ध अवशेष 28 पैक्सों के चयन के लिए कार्रवाई की जा रही है।

- **उद्योग एवं उद्यमिताः**– खाद्य प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्द्धन हेतु चावल मिल स्थापना के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत कुल 474 चावल मिल की स्थापना हो चुकी है।
- **बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना** अंतर्गत वर्तमान में कार्यरत पटना, तिरहुत एवं मिथिला संघ द्वारा अपने कार्यक्षेत्र अन्तर्गत गठित PVCS के सदस्य किसानों से सब्जी क्रय कर सब्जी का थोक एवं खुदरा विपणन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त PVCS द्वारा स्थानीय मंडी में भी सब्जी विपणन का कार्य किया जा रहा है।
- वर्ष 2024–25 में 100 प्राथमिक कृषि साख समिति (PVCS) में कृषि संयंत्र बैंक स्थापित करने की कार्रवाई की जायेगी।
- **आधारभूत संरचनाओं का विकास** :– पैक्स एवं व्यापार मंडलों में अबतक 6973 गोदाम का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है जिससे राज्य में कुल–15.1295 लाख मे0टन भंडारण क्षमता सृजित हुआ है। जिला एवं प्रमंडल स्तरीय सभी कार्यालयों को एक छत के नीचे स्थापित करने हेतु सहकार भवन का निर्माण कराया जा रहा है। 17 सहकार भवन का निर्माण कराया जा चुका है। वर्ष 2024–25 में 5 सहकार भवन का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा।
- पैक्सों में जन औषधि केंद्र की स्थापना हेतु 201 पैक्सों द्वारा ऑनलाइन आवेदन दिया गया जिसमें 103 पैक्सों को स्वीकृति प्राप्त हुई है।
- **सहकारी ऋण वितरण** :– वर्ष 2023–24 में दिनांक 16.01.2024 तक कुल 48787 कृषकों को 150 करोड़ रुपये का किसान क्रेडिट कार्ड ऋण वितरण किया गया है।
- ई–सेवाओं के लिए वर्ष 2023–24 में कुल 5661 पैक्सों में कॉमन सेवा केन्द्र की स्थापना की गयी है। शेष पैक्सों में वर्ष 2024–25 में कॉमन सेवा केन्द्र की स्थापना की जायेगी।
- पैक्सों को चरणबद्ध रुप से कम्प्यूटरीकृत किया जाना है जिसमें प्रथम चरण में 4477 पैक्सों में कम्प्यूटरीकरण का कार्य किया जा रहा है। अगले चरण में 1601 पैक्सों में कम्प्यूटरीकरण हेतु कार्रवाई की जा रही है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में स्कीम मद में 962.42 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 246.94 करोड़ रुपये कुल 1,209.36 करोड़ रुपये बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

लघु जल संसाधन विभाग

- **'जल–जीवन–हरियाली अभियान'** के अंतर्गत परम्परागत जलस्त्रोत यथा–1 एकड़ से बड़े आहर–पईन, 5 एकड़ से बड़े रकबा वाले तालाब, छोटी–छोटी नदियों, नालों एवं पहाड़ी क्षेत्रों के जल ग्रहण क्षेत्रों में चेक–डैम बनाकर जल संचयन एवं सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराया जा रहा है।

- वित्तीय वर्ष 2023–24 में 1907 योजनाओं का कार्य पूर्ण किया गया है जिससे 1,91,386 हे0 क्षेत्र में सिंचाई क्षमता तथा 969 लाख घन मी0 जल संचयन क्षमता का पुनर्स्थापन हुआ है। इस वित्तीय वर्ष में 397.93 करोड़ रुपये लागत राशि की 314 योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है जिसमें 119 आहर पईन, 188 पोखर एवं 7 चेक–डैम की योजनायें शामिल हैं। इसमें से 94 योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ किया गया है।

- आत्मनिर्भर बिहार का 7 निश्चय–2 के अंतर्गत **'हर खेत तक सिंचाई का पानी'** कार्यक्रम के तहत् असिंचित क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में 306 योजनाओं का कार्य पूर्ण हो गया है जिससे 49042 हे0 क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता तथा 32 लाख घन मी0 जल संचयन क्षमता का पुनर्स्थापन हुआ है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में 582.657 करोड़ रुपये लागत राशि की 478 योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है जिसमें 361 आहर–पईन, 33 वीयर/चेक–डैम एवं 79 उद्वह सिंचाई की योजनायें शामिल है। इसमें से 160 योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ किया गया है।

- सात निश्चय–2, 'हर खेत तक सिचाई का पानी' अंतर्गत निजी नलकूल योजना पर अनुदान का लाभ देने का प्रावधान किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में स्कीम मद में 826.87 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 204.08 करोड़ रुपये कुल 1,030.95 करोड़ रुपये बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

जल संसाधन विभाग

- जलवायु परिवर्त्तन के दुष्प्रभावों को निष्प्रभावी करने के उद्देश्य से **जल–जीवन–हरियाली अभियान** के तहत् राजगीर, गया, बोधगया एवं नवादा शहरों में पेयजल आपूर्ति हेतु **गंगा जल आपूर्ति योजना** का क्रियान्वयन किया गया है। इस हेतु मानसून अवधि के अधिशेष

जल को गंगा नदी से उद्‌वह कर पाईप लाईन के माध्यम से राजगीर, गया, बोधगया एवं नवादा शहरों को पेयजल उपलब्ध कराया गया है। राज्य में इस तरह की यह पहली योजना है।

- **पश्चिमी कोसी नहर परियोजना का अवशेष कार्य** तथा पूर्व से निर्मित नहरों एवं संरचनाओं का पुनर्स्थापन कार्य 810 करोड़ रुपये की लागत राशि से प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जा रहा है। योजना के अवशेष एवं पुनर्स्थापन कार्य पूर्ण होने के पश्चात् 64,240 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन एवं 1,41,025 हेक्टेयर ह्रासित सिंचाई क्षमता का पुनर्स्थापन हो सकेगा। इस योजना से मधुबनी जिला के 19 प्रखंडों एवं दरभंगा जिला के 5 प्रखंडों के कृषक लाभान्वित होंगे।

- पूर्वी गंडक नहर प्रणाली का अवशेष कार्य (गंडक फेज–2) के तहत अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित करने का कार्य प्रगति में है। इसके तहत् कुल 1.22 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजन का लक्ष्य है। योजना का लाभ मुजफ्फरपुर, वैशाली तथा समस्तीपुर जिले के कृषकों को प्राप्त होगा।

- वृहद् एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं से राज्य में कुल संभावित सिंचाई क्षमता 53.53 लाख हेक्टेयर के विरूद्ध मार्च, 2023 तक कुल 37.38 लाख हेक्टेयर क्षमता का सृजन किया गया है। वर्ष 2023–24 में 22 अद्‌द प्रमुख योजनाओं का कार्य कार्यान्वित किया जा रहा है जिससे अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन हो सकेगा।

- गत वर्ष वृहद् एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं जिसमें खरीफ, रबी और गर्मा सिंचाई शामिल है, 25.04 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई। वर्ष 2023–2024 में खरीफ सिंचाई के लिए 22.00 लाख हेक्टेयर का लक्ष्य के विरूद्ध 19.75 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई उपलब्ध कराई गई है। रबी सिंचाई 2023–24 के लिए 7.23 लाख हेक्टेयर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

- वर्ष 2023–24 खरीफ अवधि में अनेक नहरों के अंतिम छोर तक पानी उपलब्ध कराया गया तथा विगत वर्षो की तुलना में नहरों में अधिक जलश्राव प्रवाहित किया गया जिससे खरीफ अवधि में सुखाड़ की विषम परिस्थिति में कृषकों को सिंचाई सुविधा दी गयी।

- मुंगेर जिला के हवेली खड़गपुर प्रखंड में 125.82 करोड़ रुपये की लागत राशि से **सिंधवारणी जलाशय योजना** का कार्य कराया जा रहा है, जिसके पूर्ण होने से 1660 हेक्टेयर में

अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन एवं मुंगेर जिला के खड़गपुर, टेटियाबम्बर, संग्रामपुर प्रखंडों के कृषकों को लाभ होगा। साथ ही, 145.43 करोड़ रुपये की लागत राशि से **डकरानाला पम्प नहर योजना** का अवशेष कार्य कराया जा रहा है। इस योजना के पूर्ण होने से 3284 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन एवं लखीसराय जिला के सूर्यगढ़ा प्रखंड, मुंगेर जिला के मुंगेर सदर, जमालपुर एवं धरहरा प्रखंडो के कृषक लाभान्वित होंगे।

- जमुई जिला के सिकंदरा प्रखंड अंतर्गत बहुआर नदी पर सुखाग्रस्त क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्रदान करने हेतु **कुण्डघाट जलाशय योजना** का निर्माण 185.21 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा है। इस योजना के निर्माण से जमुई जिला के सिकंदरा प्रखंड में कुल 2035 हे० क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी।

- कैमूर जिलान्तर्गत **तियरा पम्प हाउस** का निर्माण एंव इसके वितरण प्रणाली का जीर्णोद्वार कार्य 56.53 करोड़ रुपये तथा **ढड़हर पम्प हाउस** का निर्माण कार्य एवं लिंक नहर का निर्माण 57.71 करोड़ रुपये की लागत से कराया जा रहा है। खरीफ, 2023 में पम्प के माध्यम से निर्धारित लक्ष्य क्रमशः 2065 हे० एवं 2716 हे० ह्रासित सिंचाई क्षमता प्राप्त की गयी है।

- बक्सर जिलान्तर्गत कर्मनाशा नदी पर **निकृष पम्प नहर** योजना का निर्माण कार्य 64.22 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा है। इस कार्य के क्रियान्वयन के फलस्वरूप 2786.10 हे० में सुनिश्चित सिंचाई प्राप्त किया जा सकेगा। यह कार्य अंतिम चरण में है।

- विभाग द्वारा **उत्तर कोयल नहर परियोजना** के अवशेष कार्य को क्रियान्वित करने का कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिससे औरंगाबाद एवं गया जिला में कुल 95,521 हे0 सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। इस योजना की कुल लागत राशि 3199.85 करोड़ रुपये हैं। इस योजना को मार्च, 2026 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।

- **बाढ़ प्रक्षेत्रः**— बाढ़ 2024 पूर्व कराये जाने वाले स्वीकृत 75 अदद् बाढ़ सुरक्षात्मक योजनाओं को 330.71 करोड़ रुपये की लागत से पूर्ण करने का लक्ष्य है, जिससे आगामी बाढ़ अवधि में तटबंधों को सुरक्षित रखने में सहायता मिलेगी।

- बेगूसराय स्थित राजेन्द्र सेतु एवं निर्माणाधीन छः लेन सेतु के बीच गंगा नदी के बाँये तट पर लगभग 550 मीटर की लम्बाई में कुल 114.97 करोड़ रुपये की लागत से **सिमरिया घाट धाम में सीढ़ी घाट निर्माण एवं इसका सौन्दर्यीकरण कार्य** किया जा रहा है।

- **नदियों को जोड़ने की योजना एवं मृत नदियों को पुनर्जीवित** करने के उद्देश्य के तहत् पूर्वी चम्पारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी एवं शिवहर जिले में 130.88 करोड़ रुपये की लागत राशि से बागमती –बूढ़ी गंडक (बेलवाधार) नदी जोड़ योजना, समस्तीपुर जिला में 120.96 करोड़ रुपये की लागत से बागमती नदी–बूढ़ी गंडक नदी को जोड़ने की शांतिधार योजना एवं गोपालगंज, सिवान एवं सारण जिले में 69.89 करोड़ रुपये की लागत से गंडक–अकाली नाला (छाड़ी)–गंडकी–माही–गंगा नदी जोड़ योजना का कार्य प्रगति में है।

- कमला बलान के दोनों तटबंधों पर **फेज–I** के तहत पिपराघाट पुल से ठेंगहा पुल तक कुल 80 कि0मी0 की लम्बाई में, **फेज–II** के तहत ठेंगहा से पलवा तक कुल 56.20 कि0मी0 की लम्बाई में उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं शीर्ष पर पक्कीकरण तथा कालीकरण का कार्य कराया जा रहा है एवं **फेज–III** के तहत बायां तटबंध के जयनगर से घोघेपुर एवं दायां तटबंध के जयनगर से फुहिया तक कुल 70.66 कि0मी0 की लम्बाई में उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं शीर्ष पर पक्कीकरण तथा कालीकरण का कार्य निविदा निष्पादन की प्रक्रिया में है। इससे क्षेत्र को बाढ़ से सुरक्षा प्रदान होगी।

- बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम अन्तर्गत बख्तियारपुर (पटना) में गंगा चैनल के दायें तट पर सीढ़ी घाट के निकट पक्का सुरक्षात्मक कार्य एवं कटाव निरोधक कार्य 56.06 करोड़ रुपये की लागत से कराया जा रहा है। इस ऐतिहासिक नगरी की खूबसूरती फिर से लौटाने के लिए घोसवरी घाट से रवाइच, सीढ़ीघाट, मुक्तिधाम होते हुए रामनगर दियारा तक गंगा की धारा को पुनर्जीवित किया गया है। इस योजना अंतर्गत 30 करोड़ रुपये की लागत से 5.7 कि0मी0 लम्बा चैनल का निर्माण किया गया है।

- कोसी नदी के दायें एवं बायें तटबंधों का उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं पक्कीकरण का कार्य, महानंदा बाढ़ प्रबंधन योजना, बागमती बाढ़ प्रबंधन की योजना, झीम–जमुरा नदी के किनारे बायें एवं दायें तटबंध के निर्माण का कार्य एवं टाल विकास योजना का कार्य पूर्ण होने से लाखों हेक्टेयर अतिरिक्त बाढ़ प्रवण क्षेत्र को सुरक्षा प्राप्त होगी।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में स्कीम मद में 3212.63 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 1,185.89 करोड़ रुपये कुल 4,398.52 करोड़ रुपये बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

पंचायती राज विभाग

राज्य में कुल 8,053 ग्राम पंचायतों में से 1513 पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य पूर्ण है एवं 860 पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2023–24 में 2000 पंचायत सरकार भवनों की स्वीकृति प्रदत्त है। शेष बचे पंचायतों में भूमि चिन्हित करने का कार्य किया जा रहा है।

- मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजना के अंतर्गत ग्रामीण स्तर पर बसावटों के अंदर गली एवं नालियों का निर्माण किया जा रहा है। कुल 1,14,507 वार्डों के बसावटों में गली एवं नाली का निर्माण किया गया है।
- **जल–जीवन हरियाली कार्यक्रम** :– 15वाँ वित्त आयोग से प्राप्त राशि का लगभग 30% राशि नल–जल का अनुरक्षण तथा जल संरक्षण एवं प्रबंधन से संबंधित योजनाओं में खर्च किया जाना है। इस उद्देश्य से पंचायतों में अवस्थित 23003 सार्वजनिक कुआँ का जीर्णोद्धार का कार्य पूर्ण किया गया है। साथ ही, सोख्ता का भी निर्माण कार्य कराया जा रहा है।
- **ई–ग्राम पंचायत बिहार पोर्टल** :– षष्ठ्म राज्य वित्त आयोग की सभी योजनाओं का भुगतान हेतु ई–ग्राम पंचायत बिहार पोर्टल का शुभारम्भ दिनांक–12.10.2023 को किया गया। इसके अलावा ऑडिट और उपयोगिता प्रमाण पत्र मॉडल को इस ई–ग्राम पंचायत बिहार पोर्टल पर एकीकृत किया जाएगा।
- वित्तीय वर्ष 2023–24 में षष्ठ्म राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को कुल 4957.00 करोड़ रुपये मात्र की राशि उपलब्ध करायी जा रही है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में कुल 4120.35 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए भारत सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत स्वास्थ्य अनुदान के रूप में कुल 997.13 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराया जाना अनुशंसित है।
- **नियोजन एवं नियुक्तिः**– मानव बल के रूप में प्रत्येक 04 ग्राम पंचायतों पर एक–एक तकनीकी सहायक एवं लेखापाल–सह–आई०टी० सहायक सहित प्रत्येक ग्राम पंचायत/प्रखंड/जिला स्तर पर आई०टी० दक्ष कार्यपालक सहायक/डाटा इन्ट्री ऑपरेटर का नियोजन किया गया है। 6570 लेखापाल–सह–आई०टी० सहायक के संविदा के आधार पर पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी है एवं नियोजन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। कुल 441 प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी की नियुक्ति की गयी है। बिहार पंचायत अंकेक्षण सेवा के

कुल 361 अंकेक्षकों एवं कुल 3127 पंचायत सचिवों की नियुक्ति की गयी है। पंचायत सचिव के शेष 3532 पदों हेतु अधियाचना बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना को भेजी गयी है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में स्कीम मद में 1,105.05 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 9,920.79 करोड़ रुपये कुल 11,025.84 करोड़ रुपये बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

ग्रामीण विकास विभाग

- **प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)**:– इस योजना के तहत प्रति लाभुक को 1.20 लाख रुपये एवं 11 IAP (Integrated Action Plan) जिलों में 1.30 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2016–17 से 2021–22 तक के लिए आवास निर्माण हेतु निर्धारित भौतिक लक्ष्य 37,01,650 के विरूद्ध दिनांक–16.01.2024 तक कुल 37.01 लाख लाभुकों को आवास की स्वीकृति दी गयी है जिसके विरूद्ध 36,29,838 लाभुकों द्वारा आवास निर्माण पूर्ण किया गया है।

- **मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना**:– वैसे लाभार्थी जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (ग्रामीण) से लाभान्वित नहीं किये जा सकते हैं उनके लिए राज्य सरकार द्वारा इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19, 2021–22 एवं 2023–24 के लिए आवास निर्माण हेतु निर्धारित भौतिक लक्ष्य 57,145 के विरूद्ध दिनांक–16.01.2024 तक कुल 34,735 लाभुकों को आवास की स्वीकृति दी गयी है। इनमें से 24,155 लाभुकों द्वारा आवास निर्माण पूर्ण किया गया है।

- **मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना** अंतर्गत दिनांक 01.04.2010 के पूर्व इंदिरा आवास योजना अंतर्गत आवास का लाभ प्राप्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्ग के वैसे परिवार जिनका आवास अधूरे/अपूर्ण अवस्था में है उन्हें पूर्ण कराने के लिए 50 हजार रूपये की सहायता राशि उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए निर्धारित भौतिक लक्ष्य 38,279 के विरूद्ध दिनांक–16.01.2024 तक कुल 16,353 लाभुकों को आवास की स्वीकृति दी गयी है। इनमें से 4,192 लाभुकों द्वारा आवास निर्माण पूर्ण किया गया है।

- **मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना** :– राज्य सम्पोषित ''मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना'' अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण की प्रतीक्षा सूची में शामिल

वास भूमिविहिन परिवारों, ''मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना'' अंतर्गत आवास निर्माण हेतु चयनित वास भूमिविहिन लाभुकों तथा जल–जीवन–हरियाली अभियान के दौरान अतिक्रमण हटाने से विस्थापित होने वाले सुयोग्य वास स्थलविहिन परिवारों जिन्हें वास भूमि उपलब्ध नहीं हो पाती है उन्हें वास भूमि क्रय हेतु सहायता राशि उपलब्ध करायी जाती है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में लाभुकों को वास भूमि क्रय हेतु दी जाने वाली सहायता राशि 60 हजार रुपये से बढ़ाकर स्थानीय मूल्यांकन पंजी (MVR) के आधार पर अधिकतम 01 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। इस योजनान्तर्गत 4070 लाभुकों को 60 हजार रुपये की दर से सहायता राशि का अंतरण किया गया है।

- हाल ही में दुबई में संपन्न COP-28 सम्मेलन में जल–जीवन–हरियाली अभियान अंतर्गत किये गए प्रयासों को वैश्विक स्तर पर सराहना मिली है जिसको चतुर्थ राष्ट्रीय जल पुरस्कार–2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में तृतीय पुरस्कार एवं 20वें सी.एस.आई–ई गवर्नेंस पुरस्कार में परियोजना श्रेणी में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस प्राप्त हुआ है।

- जल–जीवन–हरियाली अभियान अंतर्गत जल संचयन संरचनाओं यथा– तालाबों/पोखरों /आहरों/पईनों में से 18,114 संरचनाओं तथा 11,205 सार्वजनिक कुँओं को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। 80,000 से अधिक सार्वजनिक जल संचयनों यथा–तालाबों (20,109), आहरों/पईनों (61,537) संरचनाओं का जीर्णोद्धार कराया गया है। भू–गर्भ जल स्तर में अभिवृद्धि के उद्देश्य से राज्य भर में सार्वजनिक कुओं एवं चापाकलों के किनारे 1,70,751 सोख्ता का निर्माण कराया जा चुका है। छोटी–छोटी नदियों, नालों एवं पहाड़ी क्षेत्रों के जल संग्रहण क्षेत्रों में 11,902 चेकडैम एवं जल संचयन की अन्य संरचनाओं का निर्माण कराया गया है। लगभग पचास हजार से अधिक नए जल स्रोत सृजित किये गए है। 13,636 सार्वजनिक भवनों पर छत वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। पौधशाला सृजन एवं सघन वृक्षारोपण अवयव अंतर्गत कुल 15 करोड़ से अधिक पौधे लगाये गए है।

- **व्यक्तिगत शौचालय की सुलभताः** लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान – प्रथम चरण में किसी कारणवश छूटे हुये परिवारों अथवा नये परिवारों को शत–प्रतिशत आच्छादन हेतु लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान – द्वितीय चरण के तहत शौचालय की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वितीय चरण अंतर्गत 13.55 लाख शौचालयों का निर्माण किया गया है जिसमें वित्तीय वर्ष 2023–24 में अब तक कुल 6,36,292 लाभार्थियों द्वारा व्यक्तिगत शौचालय का स्वनिर्माण किया गया है।

- **ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधनः** लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के द्वितीय चरण अंतर्गत वर्तमान में राज्य के 72,045 वार्डो में घर–घर से ठोस अपशिष्ट का संग्रहण एवं निष्पादन किया जा रहा है। गांवों में कचरा के उठाव तथा परिवहन के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर क्रय किये गए 5,584 ई–रिक्शा एवं 76,345 पैडल रिक्शा का उपयोग किया जा रहा है। ठोस अपशिष्ट के समुचित निष्पादन हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई (Waste Processing Unit) का निर्माण किया जा रहा है। अब तक राज्य के 4018 ग्राम पंचायतों में WPU का निर्माण किया गया है। प्लास्टिक अपशिष्ट के समुचित निपटान हेतु प्रखंड/अनुमंडल स्तर पर अब तक 133 प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र का निर्माण किया गया है। कृषि एवं पशु अपशिष्ट के निपटान हेतु जिला स्तर पर बायोगैस उत्पादन हेतु गोबर–धन योजना अंतर्गत जिला स्तर पर गोबरधन इकाई स्थापित किये जाने का प्रावधान है। राज्य में 15 गोबरधन इकाई का निर्माण किया गया है एवं 21 निर्माणाधीन हैं।

- **महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनाः**– वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए स्वीकृत 17 करोड़ मानव दिवस के विरूद्ध 16.47 करोड़ मानव दिवस सृजित किया गया है। सृजित मानव दिवस में महिलाओं तथा अनुसूचित जाति की भागीदारी क्रमशः 54.18 प्रतिशत एवं 20.07 प्रतिशत है। जल–जीवन–हरियाली अभियान अंतर्गत मनरेगा से वित्तीय वर्ष 2023–24 में 1.67 करोड़ पौधारोपण किया गया है। विगत तीन वर्षो में जल–जीवन–हरियाली अभियान अंतर्गत अब तक कुल 4.20 करोड़ पौधारोपण किया जा चुका है। मनरेगा अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में 1.77 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

- **प्रखंड–सह–अंचल कार्यालय–सह–आवासीय भवन का निर्माणः**– राज्य के अंतर्गत सभी जीर्ण–शीर्ण प्रखंडों में से प्राथमिकता के आधार पर कुल 82 नये प्रखंड कार्यालय–सह–आवासीय भवन, निरीक्षण कमरा एवं परिसर विकास योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

- **आर०आई०डी०एफ० परियोजना अंतर्गत** राज्य में कुल 101 प्रखंड सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र का निर्माण किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में स्कीम मद में 13,733.06 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 563.65 करोड़ रुपये कुल 14,296.71 करोड़ रुपये बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

नगर विकास एवं आवास विभाग

- वर्तमान में नगर निकायों में कार्यों के सुचारू कार्यान्वयन हेतु कुल 244 लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबन्धन पदाधिकारी, 82 सहायक नगर योजना (टाउन प्लानिंग) पर्यवेक्षकों को विभिन्न नगर निकायों में पदस्थापित किया जा रहा है। BPSC द्वारा 110 कार्यपालक पदाधिकारियों को चयनित कर नियुक्ति हेतु अनुशंसा प्राप्त हुई है। इन्हें शीघ्र ही विभिन्न नगर निकायों में पदस्थापित कर दिया जायेगा। एकीकृत अभियंत्रण संगठन के अन्तर्गत रिक्त 255 विभिन्न पदों हेतु BPSC द्वारा दस्तावेज सत्यापन की कार्रवाई पूर्ण की जा चुकी है। BPSC से अनुशंसा प्राप्त होने के उपरांत पदस्थापन की कार्रवाई की जायेगी।

- Storm Water Drainage/Out Fall **नाला निर्माण** योजना के अंतर्गत कुल 859.63 करोड़ रुपये की लागत से 15 शहरों में स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना कार्यान्वित है जिसमें से 02 योजनायें पूर्ण हो चुकी है। शेष का कार्य प्रगति पर है।

- **सम्राट अशोक भवन निर्माण** :– राज्य के शहरी क्षेत्रों में विभिन्न आयोजन आदि हेतु बहुद्देशीय नगर भवन के रूप में सभी नगर निकायों में सम्राट अशोक भवन निर्माण कराये जाने के निर्णय अंतर्गत कुल कार्यरत 261 नगर निकायों में से अबतक 105 नगर निकायों में सम्राट अशोक भवन निर्माण की योजना स्वीकृत की जा चुकी है। शेष नगर निकायों में योजना की स्वीकृति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

- **स्ट्रीट लाईट का अधिष्ठापन** :– राज्य के शहरी क्षेत्रों में प्रकाश व्यवस्था सुदृढ़ कराने हेतु अबतक 5,68,000 स्ट्रीट लाईट अधिष्ठापित किया गया है।

- **पटना मेट्रो रेल परियोजना**:– दोनों कॉरिडोर में निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। अब तक योजना के कार्यान्वयन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा 872.50 करोड़ रुपये एवं राज्य सरकार द्वारा 2529.59 करोड़ रुपये अर्थात् कुल 3402.09 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करायी गयी है।

- राज्य के सभी जिला मुख्यालय शहरों, एक लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों एवं कुछ अन्य महत्वपूर्ण शहरों का मास्टर प्लान तैयार करने की कार्रवाई की जा रही है। इस क्रम में 44 शहरों का GIS Based Master Plan तैयार करने के लिए Planning Area अधिसूचित किया गया है एवं Planning Area Authority का गठन किया गया है।

- राज्य के पचास हजार से अधिक एवं एक लाख तक की आबादी वाले लगभग 50 शहरों का मास्टर प्लान AMRUT Mission-2.0 के अन्तर्गत तैयार किया जा रहा है। वर्त्तमान में इस श्रेणी के 16 शहरों का आयोजना क्षेत्र अधिसूचित है। इन आयोजना क्षेत्र प्राधिकारों को क्रियाशील करने की कार्रवाई की जा रही है। अमृत योजना के अंतर्गत 21 नगर निकायों में 2260.06 करोड़ रुपये की लागत व्यय पर 36 जलापूर्ति योजना स्वीकृत है। इनमें से 20 का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं 16 का कार्य प्रगति पर है।

- आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु AMRUT(U) 2.0 योजना के तहत राज्य के सभी नगर निकायों में प्रत्येक परिवार को 24x7 पेय जलापूर्ति सुनिश्चित कराने के साथ–साथ जल संरक्षण, जल स्रोतों का पुनरूद्धार, recycle & reuse of treated used water तथा rain water harvesting का कार्यान्वयन तथा हरित क्षेत्र और पार्क विकसित करके शहरों के सौन्दर्य में वृद्धि किया जाना है।

- **सबके लिए आवास (शहरी)** योजना अंतर्गत नये आवास के निर्माण हेतु ऐसे लाभार्थी जिनके पास निजी स्वामित्व की भूमि उपलब्ध हो, उन्हें 2.00 लाख रुपये (केन्द्र द्वारा 1.50 लाख रुपये एवं राज्य सरकार द्वारा 50.00 हजार रुपये) अनुदान के रूप में दिया जाता है। आवास का निर्माण लाभुक द्वारा स्वयं किया जाता है।

- **नमामि गंगे कार्यक्रम** अंतर्गत 27 शहरों में स्वीकृत 37 योजनाओं के माध्यम से सीवरेज शोधन का कार्य किया जा रहा है। पटना शहर में 08 योजनाएँ पूर्ण हो चुकी है। पटना शहर के अलावे अन्य 03 शहरों का कार्य पूर्ण हो चुका है।

- **स्मार्ट सिटी मिशनः**– भागलपुर स्मार्ट सिटी को कुल राशि 835 करोड़ रुपये, पटना को 611 करोड़ रुपये, मुजफ्फरपुर को 688.50 करोड़ रुपये एवं बिहारशरीफ को 528 करोड़ रुपये विमुक्त किया गया है। सभी चारों शहरों में स्मार्ट सिटी के तहत प्रारम्भ की गयी योजनाओं का कार्य प्रगति पर है।

- **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अन्तर्गत** राज्य के छः छोटे–बड़े शहरों में Model ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली विकसित किया जा रहा है। 35 नगर निकायों में **51 मैटेरियल रिकवरी फेसेलिटी** क्रियाशील अवस्था में है। 87 नगर निकाय में 185 compost unit क्रियाशील है जिसमें गीले कचरे से खाद बनाया जा रहा है। पटना में plastic कचरे के प्रसंस्करण के लिए plastic waste MRF Center की स्थापना की गई है जहां प्रतिदिन 5 tone प्लास्टिक कचरे का निस्तारण किया जा रहा है।

- सभी नगर निकायों ने स्वयं को खुले में शौच मुक्त (ODF) घोषित किया है एवं सभी निकाय (ODF) प्रमाणित है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में स्कीम मद में 6,066.17 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 5,232.55 करोड़ रुपये कुल 11,298.72 करोड़ रुपये बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

- राज्य में हरित आवरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वन से बाहर के क्षेत्रों में वृक्षारोपण, वन क्षेत्र में मृदा एवं जल संरक्षण कार्य, किसानों के माध्यम से कृषि वानिकी के तहत पौधारोपण एवं विभागीय नर्सरियों के साथ–साथ सामान्य जनों के सहयोग से निजी नर्सरियों से पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। **'जल–जीवन–हरियाली अभियान'** के अंतर्गत निर्धारित कार्य बिन्दु में **पौधशाला सृजन एवं सघन वृक्षारोपण मुख्य अवयव** है। राज्य में जल–जीवन–हरियाली अभियान अंतर्गत वर्ष 2019–20 से अबतक कुल 1555.86 लाख पौधों का रोपण किया गया है
- राज्य के हरित आवरण को **17 प्रतिशत** करने का लक्ष्य रखा गया है। रोपण हेतु पौधों की उपलब्धता के लिए **निजी पौधशालाओं का विस्तार सभी प्रखण्डों** में किया जा रहा है। इस योजना से **कृषकों तथा जीविका स्वयं सहायता समूहों को जोड़ा गया है जिससे उनको अतिरिक्त आय प्राप्त हो रही है।**
- **कृषि वानिकी योजना** द्वारा राज्य के कृषकों का आर्थिक सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। जीविका समूहों को वन विभाग से पौधे उपलब्ध कराये जाते हैं जिन्हें उनके द्वारा स्वयं की भूमि या अन्य भूमि पर रोपित किया जाता है।
- कृषि वानिकी अन्तर्गत **काष्ट उद्योग** में उपयोग किये जाने वाले प्रजातियों यथा पॉप्लर एवं यूकेलिप्टस को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।
- **बांस वृक्षारोपण** को अत्यधिक महत्व देते हुए Focus Area के रूप में बांस रोपण का कार्य वन क्षेत्र एवं वन क्षेत्र के बाहर निजी भूमि, नहर तट और नदी तट पर किया जा रहा है।
- जल–जीवन–हरियाली अभियान अंतर्गत पौधों की आपूर्ति हेतु नई पौधशालाएं स्थापित की गयी है और वर्तमान में विभिन्न स्थानों पर कुल 246 विभागीय पौधशालायें हैं जिसकी उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष 5 करोड़ पौधों से अधिक है।

- राज्य के विभिन्न कोटि के हितधारकों को सम्मिलित करते हुए अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जा रहा है। वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में **अब तक 3.54 करोड़** पौधों का रोपण किया गया है।

- बिहार में **विरासत वृक्षों के सर्वेक्षण एवं संरक्षण** के लिए **बिहार हेरिटेज ट्री एप** की शुरूआत की गयी है। इस App के माध्यम से 50 वर्षों से अधिक पुराने, दुलर्भ प्रजाति के सौंदर्यपूर्ण तथा सांस्कृतिक महत्व के वृक्षों जिन्हें विरासत वृक्ष की श्रेणी में रखा गया है, के संरक्षण के लिए ब्योरा प्राप्त किया जा रहा है।

- **चतुर्थ कृषि रोड मैप (वर्ष 2023–28)** अंतर्गत प्राकृतिक वनों में हरित आवरण का विकास, प्राकृतिक वनों के बाहर सरकारी भूमि पर हरित आवरण का विकास, कृषि वानिकी एवं अन्य/बांस रोपण, पौधशालाओं का विकास, प्राकृतिक वनों में मृदा एवं जल संरक्षण, बांस परियोजना, बिहार वानिकी शोध एवं प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुंगेर, आर्द्रभूमियों का संरक्षण एवं विकास, वन उत्पाद आधारित उद्योग का विकास एवं कृषि वानिकी और गैर इमारती वन पदार्थों के उत्पाद के लिए विपणन और प्रबंधन आधारित विभिन्न योजनाओं पर कार्य किये जाने है।

- वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष में **जल स्रोतों के विकास, सुरक्षा एवं संरक्षण तथा अधिवास प्रबंधन एवं चारागाह के विकास** के फलस्वरूप बाघों की संख्या में **उत्तरोत्तर वृद्धि** हो रही है। बेहतर प्रबंधन के द्वारा वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष में बाघों की संख्या में एक दशक में 7 गुना वृद्धि हुई है (2010 में 08 से 2022 में लगभग 54)। वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष को कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड से पुरस्कृत किया गया है।

- कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित करने के लिए एनटीसीए की सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है।

- राज्य वन्यप्राणी पर्षद से मंजूरी के बाद **बिहार के तीसरे चिड़ियाघर के रूप में रानीगंज** जैविक उद्यान, अररिया की स्थापना संबंधी कार्रवाई प्रगति पर है।

- वर्ष 2022 में बिहार की पहली ''वार्षिक वाटरबर्ड जनगणना (Annual Waterbird Census) आयोजित की गई। इसके बाद AWC, 2023 में की गयी पक्षियों की गणना के अनुसार 76 आर्द्रभूमियों में 205 से अधिक पक्षियों की प्रजातियाँ पाई गयी जिनकी संख्या 69000 से अधिक है।

- बिहार की नदियों में डॉल्फिन, घड़ियाल और टर्टल के लिए प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम चलाया

जा रहा है। लुप्तप्राय ''ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क'' की पुनर्स्थापना में उत्कृष्ट कार्य किया गया जिसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली।

- **वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष में गंडक तटीय क्षेत्र** में गैंडे के पुनर्स्थापन की परियोजना प्रगति पर है।
- राज्य में **इको–टूरिज्म नीति** के तहत सभी इको पर्यटन स्थलों का विकास किया जा रहा है।
- **राजगीर जू सफारी / नेचर सफारी** में बड़ी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं। राजगीर जू सफारी में **पर्यटकीय सुविधाओं को विस्तारित** किया जा रहा है तथा वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष हेतु **टूर पैकेज शुरू** किये गये हैं।
- राष्ट्रीय स्वच्छ वायु National Clean Air Programme कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के तीन शहरों यथा–पटना, मुजफ्फरपुर एवं गया में वायु प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण हेतु वाहनों से होने वाले उत्सर्जन, सड़क धूलकण, ठोस अपशिष्टों को खुले में जलाना, निर्माण क्रियाकलाप, औद्योगिक इकाईयों से होने वाले वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु उपाय किये जा रहे है।
- राज्य के लिये **जलवायु अनूकूल एवं न्यून कार्बन मार्ग** की कार्य नीति अंतर्गत बिहार के लिए जलवायु अनुकूल न्यून कार्बन विकास मार्ग (Climate Resilient and Low Carbon Development Path Way for Bihar) हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) के साथ अध्ययन किया जा रहा है। इस अध्ययन से राज्य में जलवायु परिवर्त्तन के प्रभाव को कम करने तथा वर्ष 2070 तक राज्य को कार्बन न्युट्रल बनाने का लक्ष्य निर्धारित है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में स्कीम मद में 517.82 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 335.21 करोड़ रुपये कुल 853.03 करोड़ रुपये बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

उद्योग विभाग

- मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का क्रियान्वयन सफलतापूर्वक किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत अबतक 38,227 लाभुकों को उद्योगों की स्थापना के लिए 2450 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता राशि प्रदान की गयी है। वित्तीय वर्ष 2023–24 से इस योजना के अंतर्गत **मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना** की भी शुरूआत की गई है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत 9,200 से अधिक लाभुकों का चयन किया जा चुका है।

- बियाडा औद्योगिक क्षेत्र में नये उद्योगों की स्थापना के लिए पिछले 15 महीनों में 585 उद्योगों को जमीन आवंटित की गई है। इन उद्योगों की परियोजना लागत 6354 करोड़ रुपये से अधिक है।

- लॉजिस्टिक के क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बिहार लॉजिस्टिक पॉलिसी–2023 लागू की गई है जिसका उद्देश्य लॉजिस्टिक क्षेत्र में वेयर हाउसिंग, शिपिंग, रेल, सड़क, हवाई माल ढुलाई, एक्सप्रेस माल कार्गो तथा अन्य लॉजिस्टिक सुविधाओं का विस्तार करना है ताकि बिहार के लोगों को अपेक्षाकृत कम कीमत पर जरूरी चीजें उपलब्ध हो सके।

- नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से **बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति, 2023** को स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसके अंतर्गत शत–प्रतिशत इथेनॉल उत्पादन करने वाली नई ग्रीन फिल्ड स्टैंडअलोन इकाइयाँ और कम्प्रेस्ड बायो गैस/जैव सी0एन0जी0 उत्पादन करने वाली इकाइयाँ प्रोत्साहन के पात्र हैं।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में स्कीम मद में 1,732.00 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 101.09 करोड़ रुपये कुल 1,833.09 करोड़ रुपये बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

गन्ना उद्योग विभाग

- वित्तीय वर्ष 2023–24 में कृषि रोड मैप के तहत मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम हेतु 25 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

- चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत नयी योजना के रूप में ''बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम'' की योजना पर सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

- वित्तीय वर्ष 2023–24 में मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम के तहत प्रजनक बीज, आधार बीज एवं प्रमाणित बीज का उत्पादन किया जा रहा है एवं गन्ना कृषकों के बीच 6.22 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज का वितरण अनुदानित दर पर किया जा रहा है। बीज वितरण कार्य प्रगति पर है।

- वित्तीय वर्ष 2023–24 में मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम के तहत गन्ना फसल के साथ मसूर/मूंग की अंतरवर्ती खेती की योजना का कार्यान्वयन भी किया जा रहा है।

- पेराई सत्र 2022–23 में गन्ना का आच्छादन 2.18 लाख हे० तथा रिकवरी प्रतिशत 9.44 प्रतिशत हुआ है।

- प्रोत्साहन पैकेज–2014 के अन्तर्गत हसनपुर चीनी मिल के 5000 TCD से 6500 TCD के क्षमता विस्तार पर 477.91 लाख रुपये एवं हरिनगर चीनी मिल के डिस्टीलरी डिवीजन के 120 KLPD से 140 KLPD के क्षमता विस्तार पर 216.00 लाख रुपये अनुदान का भुगतान किया गया है। हरिनगर चीनी मिल (डिस्टीलरी डिवीजन) द्वारा क्रय किये गये अतिरिक्त छोआ पर 196.55 लाख रुपये की GST की प्रतिपूर्ति की गयी है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में स्कीम मद में 100.00 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 23.80 करोड़ रुपये कुल 123.80 करोड़ रुपये बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

समाज कल्याण विभाग

राज्य सरकार महिलाओं, बच्चों, दिव्यांगजनों, वृद्वजनों एवं समाज के अन्य वंचित वर्गो के हितों तथा अधिकारों के संरक्षण, संवर्द्धन एवं प्रोत्साहन हेतु कृतसंकल्पित है।

- **पूरक पोषाहार कार्यक्रम** :– राज्य के सभी 38 जिलों के 544 बाल विकास परियोजनाओं में 1,15,009 आँगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से अबतक 96,69,993 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

- **आँगनबाड़ी केन्द्र पर एल0पी0जी0 सिलेन्डर तथा चूल्हा की आपूर्ति** :– आँगनबाड़ी केन्द्रों पर स्कूल पूर्व शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चों को पूरक पोषाहार एवं नाश्ते की व्यवस्था करने हेतु प्रत्येक आँगनबाड़ी केन्द्र पर एल0पी0जी0 सिलेन्डर तथा चूल्हे की आपूर्ति कराई जा रही है।

- **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY)**– इस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती/धातृ महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार लाना है। मिशन शक्ति अन्तर्गत सभी गर्भवती एवं धातृ महिलाओं को एक जीवित संतान तक सशर्त नगद लाभ 5,000 रुपये का भुगतान दो किस्तों में किया जा रहा है एवं द्वितीय कन्या शिशु के जन्म पर 6,000 रुपये एकमुश्त दिये जाने का प्रावधान है। इस योजना अंतर्गत अबतक 84,806 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

- **आँगनबाड़ी केन्द्र के बच्चों के लिए पोशाक योजना** :– आँगनबाड़ी केन्द्रों पर स्कूल पूर्व शिक्षा प्राप्त कर रहे 3–6 आयु वर्ग के सभी बच्चों को पोशाक हेतु वार्षिक राशि 400 रुपये उपलब्ध कराया जा रहा है। अबतक 41,34,460 लाभुकों को पोशाक हेतु राशि प्रदान किया गया है।

- **पेंशन योजनाएं** :– राज्य के विभिन्न लाभुक वर्गों यथा–वृद्धजनों, विधवाओं, दिव्यांगजनों एवं अन्य असहाय व्यक्तियों हेतु छः प्रकार की पेंशन योजनाएं संचालित हैं। वर्ष 2023–24 में सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लिए कुल प्रावधानित 4079.90 करोड़ रुपये के विरूद्व अबतक कुल 2490.99 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है।

- **बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजनाः**– इसके अन्तर्गत Visible Deformities Grade-II के कुष्ठ रोगी को भोजनादि हेतु 1500 रुपये प्रतिमाह प्रति कुष्ठ रोगी की दर से आर्थिक सहायता दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में 16.25 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है तथा अब तक 14936 लाभुकों को ई–सुविधा पोर्टल के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है।

- **बिहार शताब्दी एड्स पीड़ित कल्याण योजना** के तहत एड्स रोगियों को मुफ्त भोजन हेतु 1500 रुपये की मासिक आर्थिक सहायता दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में 55,801 लाभुकों को एड्स कन्ट्रोल सोसाईटी के माध्यम से लाभान्वित किया जा रहा है।

- **ओल्ड एज होम (सहारा)**:– बिहार माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण नियमावली, 2012 के अन्तर्गत राज्य के 06 जिलों में यथा–पटना, पूर्णिया, रोहतास, भागलपुर, गया एवं पश्चिम चम्पारण में वृद्धाश्रम (सहारा) संचालित हैं। इन 06 वृद्धाश्रम की आवासन क्षमता 450 है जिसमें 249 वृद्धजन आवासित हैं।

- **मुख्यमंत्री विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजनाः**– इस योजना के तहत निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना तथा अन्तर्जातीय विवाह योजना सन्निहित है। इसके तहत 1,00,000 रुपये अनुदान के रूप में देने का प्रावधान है। वर्ष 2023–24 में निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के तहत अबतक 327 लाभुकों को भुगतान किया गया है तथा अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत 500 लाभुकों को भुगतान किया गया है।

- **बुनियाद केन्द्र** :– वृद्धजनों, विधवाओं, दिव्यांगजनों एवं समाज के अन्य वंचित वर्गो के कल्याणार्थ राज्य के 101 अनुमण्डलों में बुनियाद केन्द्र संचालित है। इस योजना अन्तर्गत अबतक कुल 35.75 करोड रूपये की राशि व्यय कर कुल 1,96,390 लाभुकों को लाभान्वित किया गया है।

- **मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना** :– इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवार को विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान करना, विवाह के निबंधन को प्रोत्साहित करना तथा घरेलू हिंसा एवं बाल विवाह रोकना है। कुल 1,21,246 लाभुकों को लाभान्वित किया गया है।

- **परवरिश** :– योजना अंतर्गत चयनित 0–18 वर्ष के आयु के बच्चों के पालन–पोषण हेतु 1,000 रुपये प्रति माह लाभुक एवं अभिभावक के नाम से खोले गये खाता में राशि हस्तांतरित की जाती है। वर्तमान में कुल 13,031 बच्चों को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है।

- **समेकित बाल संरक्षण योजना** :– इस योजना अन्तर्गत राज्य में विभिन्न लाभुक वर्ग के प्रयोजनार्थ कुल 89 विभिन्न गृह यथा 23 बाल गृह, 11 बालिका गृह, 18 पर्यवेक्षण गृह, 30 विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान, 06 विशेष गृह, 1 सुरक्षित स्थान संचालित है। इन गृहों में निराश्रित, परित्यक्त, अनाथ एवं परिवारविहिन श्रेणी के वर्तमान में 1360 बच्चे आवासित हैं। 30 विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान में आवासित बच्चों में से वित्तीय वर्ष 2022–23 में कुल 151 तथा अप्रैल, 2023 से नवम्बर, 2023 तक कुल 104 बच्चों को विधिक प्रक्रिया द्वारा गोद लिया गया है। वर्तमान में विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान में कुल 187 बच्चे आवासित हैं।

- **मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना** अतंर्गत वर्ष 2023–24 में 2,87,613 बच्चियों को लाभ दिया जा चुका है।

- **दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना 'सम्बल'** :– इस योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में अबतक कुल 795 लाभार्थियों को कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण उपलब्ध कराया गया है। इस योजना के तहत वर्तमान में **8 विशेष** विद्यालयों (3 नेत्रहीन एवं 5 मूक–बधिर विद्यालय शामिल है) का संचालन पटना, दरभंगा, भागलपुर एवं मुंगेर तथा एक व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र पटना में किया जा रहा है।

- दिव्यांगजन सशक्तिकरण हेतु चालित मोटराईज्ड ट्राईसाईकिल वितरित किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में कुल 9,257 एवं इस वितीय वर्ष में कुल 934 अर्थात कुल 10,191 दिव्यांगजनों को लाभ पहुंचाया गया।

- **आसरा गृह** – वर्ष 2023–24 से मानसिक रूप से विक्षिप्त/रूग्ण महिलाओं एवं बालिकाओं के आवासन हेतु पटना जिला में तीन विशेष आवासीय गृह (आसरा गृह) का संचालन किया जा रहा है जिसमें से एक गृह का संचालन राज्य सरकार के स्तर से तथा दो गृहों का संचालन गैर सरकारी स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में स्कीम मद में 8,148.13 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 90.44 करोड़ रुपये कुल 8,238.57 करोड़ रुपये बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

- **मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना** :– वित्तीय वर्ष 2022–23 से कक्षा–I से X तक अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु **''मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना''** की स्वीकृति प्रदान की गई है। वित्तीय वर्ष–2022–23 में योजनान्तर्गत कुल 71,72,033 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया है। इस योजनान्तर्गत वर्ष 2023–24 में 865 करोड़ रुपये उपलब्ध कराया गया है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में 870 करोड़ रुपये प्रावधानित है।

- **मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना**– पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विशेषकर व्यावसायिक कोर्सों हेतु छात्रवृत्ति प्रदान करने के उद्देश्य से ''मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना–2023'' की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस योजनान्तर्गत वर्ष 2023–24 में 252 करोड़ रुपये उपलब्ध कराया गया है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में 250 करोड़ रुपये प्रावधानित है।

- **मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना** अंतर्गत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा आयोजित माध्यमिक परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करने वाले अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को प्रति छात्र/छात्रा 10,000 रुपये एकमुश्त वृत्तिका दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में 1,03,825 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया है। इस योजनान्तर्गत वर्ष 2023–24 में 132 करोड़ रुपये उपलब्ध कराया गया है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में 127 करोड़ रुपये प्रावधानित है।

- **मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना** अंतर्गत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा आयोजित माध्यमिक परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करने वाले पिछड़ा वर्ग के वैसे छात्र जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1,50,000 रुपये मात्र तक या इससे कम हो, को प्रति छात्र 10,000 रुपये मात्र एकमुश्त वृत्तिका दी जाती है। पिछड़ा वर्ग की छात्राओं को यह राशि शिक्षा विभाग द्वारा दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में 81,204 छात्रों को लाभान्वित किया गया

है। इस योजनान्तर्गत वर्ष 2023–24 में 100 करोड़ रुपये उपलब्ध कराया गया है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में 107 करोड़ रुपये प्रावधानित है।

- **अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय** :– वर्तमान में 11 जिलों में संचालित कुल 12 अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों के अतिरिक्त राज्य के शेष 27 जिलों में एक–एक अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय का संचालन वित्तीय वर्ष 2023–24 से प्रारम्भ किया गया है। कुल 39 अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय हेतु विभिन्न कोटि के कुल 1365 पदों के सृजन के आलोक में नियुक्ति की कार्रवाई की जा रही है। सभी 38 जिलों में कुल 39 अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति दी जा चुकी है एवं निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है।

- **अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास योजनाः**– राज्य के सभी जिलों को अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास निर्माण योजना के अंतर्गत आच्छादित किया जा चुका है। वर्तमान में राज्य के अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए 20 जिलों में 23 अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास संचालित की जा रही है।

- वित्तीय वर्ष 2024–25 में आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों के निर्माण मद में 300 करोड़ रुपये की राशि प्रावधानित की गयी है।

- **जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास योजनाः**– जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास योजना के अन्तर्गत सभी जिलों में 1–1 छात्रावास के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी है जिसमें कुल 36 जिलों में छात्रावास संचालित हैं एवं शेष 02 जिलों में निर्माण कार्य चल रहा है जिसे आगामी वित्तीय वर्ष में संचालित कर दिया जायेगा। उपर्युक्त छात्रावासों में छात्र/छात्राओं को निःशुल्क आवासन के साथ–साथ मुख्यमंत्री छात्रावास अनुदान योजना के तहत प्रति छात्र/छात्रा प्रतिमाह 1000 रुपये एवं छात्रावास खाद्यान्न योजनान्तर्गत प्रतिमाह 15 किलो खाद्यान्न उपलब्ध करायी जाती है।

- **मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना**– वर्ष 2022–23 तक बिहार लोक सेवा आयोग प्रांरभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले कुल 5724 अभ्यर्थियों को प्रति अभ्यर्थी 50,000 रुपये मात्र की दर से तथा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रांरभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले कुल 143 अभ्यर्थियों को प्रति अभ्यर्थी 1,00,000 रुपये मात्र की दर से लाभान्वित किया गया है तथा अंतिम रूप से उक्त दोनों परीक्षाओं में क्रमशः

256 एवं 14 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। उक्त योजना को विस्तारित करते हुए पूर्व से सम्मिलित परीक्षाओं के अतिरिक्त संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली, केन्द्रीय कर्मचारी चयन आयोग, विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोग, विभिन्न बैकिंग सेवा भर्ती बोर्ड/आई0बी0पी0एस0 तथा विभिन्न रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगिता (प्रारंभिक) परीक्षा को सम्मिलित कर उक्त परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले राज्य के अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को निर्धारित दर के अनुसार प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है।

- **प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण** योजनान्तर्गत पात्रता की शर्तों के तहत वार्षिक आय अधिसीमा को 1.00 लाख रुपये से बढ़ाकर 3.00 लाख रुपये किया गया है एवं वर्तमान में राज्य में 37 जिलों में केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। प्रति केन्द्र 2.50 लाख रुपये की दर से सभी केन्द्रों में स्मार्ट क्लास की स्थापना की स्वीकृति दी गई है। उक्त केंद्रों में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं को प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी हेतु पाठ्य सामग्री के क्रय के लिए 3000 रुपये प्रदान किया जाता है।

- **जननायक पुस्तकालय एवं राज्य डिजिटल अध्ययन केन्द्र**– वित्तीय वर्ष 2023–24 में पटना जिलान्तर्गत निर्मित्त जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास भवन में जननायक पुस्तकालय एवं राज्य डिजिटल अध्ययन केन्द्र के संचालन की स्वीकृति प्रदान की गई है। यह एक राज्य स्तरीय केन्द्र है जहाँ ऑफलाईन कक्षा के साथ–साथ राज्य में अवस्थित छात्रावासों/आवासीय विद्यालय/प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों में ऑनलाईन कक्षा के प्रसारण की सुविधा भी उपलब्ध है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में स्कीम मद में 1,576.53 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 110.77 करोड़ रुपये कुल 1,687.30 करोड़ रुपये बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

- राज्य में अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति के कल्याण हेतु विभिन्न प्रकार के कल्याण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में उनके शैक्षणिक, आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान हेतु विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जा रहा है।

- **आवासीय विद्यालय** :– अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए 66 और अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के लिए 21 आवासीय विद्यालय संचालित हैं जिनकी क्षमता 25,600

अनुसूचित जाति और 7,720 अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों की है। राज्य सरकार विद्यार्थियों की दैनिक जरूरतों, पठन–पाठन सामग्री, खाना, कपड़ा, दवा आदि बुनियादी जरूरतों के लिए धनराशि देती है। सभी आवासीय विद्यालयों को 10+2 तक उत्क्रमित करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के तहत वर्ष 2023–24 में 185.56 करोड़ रुपये उपलब्ध कराया गया है। वर्ष 2024–25 में 229 करोड़ रुपये का बजट प्रावधानित है।

- वर्ष 2023–24 में अनुसूचित जाति के 13 नये आवासीय विद्यालय के निर्माण की स्वीकृति दी गई है।

- सभी आवासीय विद्यालयों के छात्र–छात्राओं को आवासन की अवधि में भोजन की व्यवस्था, पोशाक की आपूर्ति, विद्यालय परिसर की साफ–सफाई तथा वस्त्रों की धुलाई की सेवा का कार्य जीविका द्वारा संपोषित सामुदायिक संगठन के माध्यम से करायी जा रही है।

- **छात्रावास** :– विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के लिए 99 एवं अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के लिए 15 छात्रावास संचालित है तथा 19 छात्रावासों का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। इस योजना अंतर्गत वर्ष 2023–24 में 12 करोड़ रुपये उपलब्ध कराया गया है। वर्ष 2024–25 में 18 करोड़ रुपये का बजट प्रावधानित है।

- आवासीय विद्यालय एवं छात्रावासों के निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2024–25 में 358 करोड़ रुपये का बजट प्रावधानित है।

- अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के नियम, 15(1)(घ) के तहत हत्या के मामले में मृतक के पात्र आश्रित को नियमानुसार परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) के पद पर सरकारी नौकरी देने का प्रावधान है। इसके तहत विभिन्न जिलों में अबतक 9 मामलों यथा कैमूर एवं सुपौल में दो–दो, खगड़िया, रोहतास, नालन्दा, जहानाबाद तथा पटना में एक–एक मामले में नियुक्ति प्रदान की गई है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में कुल 80.03 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है।

- **महादलित विकास** :– सामुदायिक भवन–सह–वर्कशेड योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2010–11 से 2022–23 तक कुल लक्ष्य 5,513 के विरूद्ध अबतक 4,378 ईकाई सामुदायिक भवन–सह–वर्कशेड का निर्माण पूर्ण हो चुका है।

- 1 सितम्बर, 2023 के प्रभाव से विकास मित्रों का मानदेय 13,700 रुपये से बढ़ाकर 25,000

रुपये कर दिया गया है। साथ ही, इनके मानेदय में प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

- दशरथ मांझी कौशल विकास योजना के तहत विभिन्न ट्रेडों में अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति परिवार के युवक/युवतियों को कौशल विकास हेतु निःशुल्क प्रशिक्षण करने के लिए कुल 42 बैच संचालित किये गये हैं एवं कुल 1173 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया है।

- राज्य के सभी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के परिवारों को भी बिहार महादलित विकास मिशन के द्वारा संचालित सभी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में कुल 395.31 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। वर्ष 2024–25 में 499.82 करोड़ रुपये का बजट प्रावधानित है।

- **प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र** :– वर्तमान में अनु0 जाति/अनु0 जनजाति के लिए संचालित 10 प्राक परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों पर लगभग 2,400 अभ्यर्थियों को विभिन्न परीक्षा के लिए प्रशिक्षण दिये जाने का प्रावधान है। साथ ही, राज्य सरकार द्वारा सम्पोषित चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, पटना में एक स्टूडेंट गाईडेंस सेंटर संचालित किया जा रहा है जिसमें प्रतिवर्ष 60 विद्यार्थियों को कॉमन एडमिशन टेस्ट (CAT) आदि की तैयारी हेतु प्रशिक्षण देने का प्रावधान है। इस वित्तीय वर्ष में अबतक कुल 1168 अभ्यर्थियों का केन्द्रों में नामांकन कराया गया है। वर्ष 2023 में अबतक 149 विद्यार्थियों के द्वारा विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा यथा शिक्षक भर्ती परीक्षा, एस0एस0सी0, रेलवे, बिहार पुलिस आदि में सफलता प्राप्त की गई है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में कुल 736.29 लाख रुपये का बजट प्रावधान प्रस्तावित है।

- **छात्रवृत्ति योजना** :– अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति के छात्र/छात्राओं को विद्यालय स्तर से महाविद्यालय/विश्वविद्यालय स्तर तक विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ पहुँचाया जा रहा है। वर्ष 2023–24 में जनवरी, 2024 तक इस योजना के तहत प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति मद में कुल 33.50 करोड़ रुपये एवं विद्यालय छात्रवृत्ति मद में कुल 403.94 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गयी है। प्री एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत वर्ष 2024–25 में कुल 428 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।

- **मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनाः**– वित्तीय वर्ष 2021–22 से प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए एवं भारत सरकार के निर्गत मार्गदर्शिका के अनुरूप राज्य के अन्दर एवं राज्य के बाहर सरकारी शिक्षण संस्थानों/मान्यता प्राप्त गैर

सरकारी शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों को ''मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति योजना'' से लाभान्वित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। अबतक कुल 3.50 करोड़ रुपये की राशि की स्वीकृति दी गयी है।

- **मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास अनुदान योजनाः**— इस योजना के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रावासों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को प्रति छात्र/छात्रा 1,000 रुपये प्रतिमाह की दर से छात्रावास अनुदान का लाभ दिया जाता है। इस योजना से 6,666 छात्र/छात्राएं लाभान्वित हुए हैं।

- **खाद्यान्न आपूर्ति योजना** :— विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में रहने वाले छात्र—छात्राओं के लिए प्रति माह 15 कि0ग्रा0 खाद्यान्न (9 किग्रा चावल और 6 किग्रा गेहूँ) दिया जाता है। इससे 6,666 छात्र/छात्राएं लाभान्वित हो रहे है।

- **मुख्यमंत्री अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना** :— अबतक संघ लोक सेवा आयोग की प्रांरभिक परीक्षा एवं बिहार लोक सेवा आयोग की प्रांरभिक परीक्षा में उतीर्ण अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को क्रमशः 144 एवं 4,097 अर्थात कुल 4,241 अभ्यर्थियों को इस योजना का लाभ दिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2024—25 में स्कीम मद में 1,442.13 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 360.60 करोड़ रुपये कुल 1,802.73 करोड़ रुपये बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

- **मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना** से वित्तीय वर्ष 2022—23 में 79,789 अल्पसंख्यक छात्र/ छात्राओं को लाभान्वित किया गया है। वर्ष 2023 में उर्त्तीण एवं पूर्व वर्ष के प्रोत्साहन राशि से वंचित 70,992 अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को लाभान्वित करने हेतु वर्ष 2023—24 में 93.02 करोड़ रुपये दिया जा चुका है।

- **मुस्लिम महिला तलाकशुदा/परित्यक्ता सहायता योजना** से वित्तीय वर्ष 2022—23 तक में 14,604 मुस्लिम परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं को 36.51 करोड़ रुपये भुगतान कर लाभान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023—24 में कुल 445 मुस्लिम परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं के बीच 1.11 करोड़ रूपये वितरित किये गये।

- **अल्पसंख्यक छात्रावास योजना** के तहत अब तक 51 बालक एवं बालिका छात्रावास निर्मित एवं संचालित है तथा 02 छात्रावास निर्माणाधीन है।

- **मुख्यमंत्री श्रमशक्ति योजना** अंतर्गत वर्ष 2023–24 में अब तक 268 प्रशिक्षणार्थियों को विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण कराया जा रहा है ।

- **राज्य कोचिंग** योजनान्तर्गत वर्ष 2022–23 में 1770 अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की कोचिंग कराया गया। वर्ष 2023–24 में 837 अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी हेतु कोचिंग कराया जा रहा है ।

- **बिहार राज्य वक्फ विकास योजनाः**– वर्ष 2023–24 में इमाम बांदी बेगम वक्फ इस्टेट पटना की भूमि पर जी+5 बहुद्देशीय भवन के निर्माण हेतु 39.54 करोड़ रुपये की योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है तथा पूर्णिया, कैमूर, कटिहार, किशनगंज, नवादा एवं सिवान में बहुद्देशीय भवन एवं मार्केटिंग कम्प्लेक्स आदि के निर्माण हेतु लगभग 53.61 करोड़ रूपये की 06 योजनाओं की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।

- **बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजनाः**– सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में कम से कम एक अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का निर्माण किये जाने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान में दरभंगा एवं किशनगंज जिला में योजना का कार्य पूर्ण हो चुका है जिसका उद्घाटन किया जा चुका है एवं तत्काल 13 जिलों में विद्यालयों के संचालन हेतु शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों का सृजन भी किया जा चुका है ।

- **बिहार राज्य मदरसा सुदृढ़ीकरण योजनाः**– वर्ष 2023–24 में अब तक पूर्णिया, पूर्वी चम्पारण एवं बिहारशरीफ (नालंदा) में 04 मदरसों का सुदृढ़ीकरण हेतु 32.39 करोड़ रुपये की योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है तथा 12.05 करोड़ रुपये उपलब्ध कराया गया है। इस योजनान्तर्गत मदरसों के शैक्षणिक सुधार हेतु 1700 वास्तानियां स्तर के मदरसों में तालिम–ए–नौबालिगान पाठ्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए 20.00 करोड़ रुपये उपलब्ध कराया गया है।

- विभाग के अधीन कार्यरत बिहार राज्य हज समिति, बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड, बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग, बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम, बिहार वक्फ न्यायाधिकरण, बिहार उर्दू अकादमी एवं अंजुमन तरक्की–ए– उर्दू, बिहार के माध्यम से अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ कार्य कराये जा रहे हैं।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में स्कीम मद में 588.00 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 60.66 करोड़ रुपये कुल 648.66 करोड़ रुपये बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

- **ऑनलाईन दाखिल–खारिज** :– राज्य के सभी 534 अंचलों में ऑन–लाईन दाखिल–खारिज याचिकाओं का निष्पादन किया जा रहा है। साथ ही, सृजित जमाबंदी को डिजिटाईज्ड कर आमलोगों के अवलोकन हेतु विभागीय Website पर अपलोड किया गया है। अबतक ऑन–लाईन माध्यम से दाखिल–खारिज हेतु–**1,20,16,404** याचिकाएँ दायर की गयी हैं जिनमें से **1,12,87,659** मामलों का निष्पादन कर दिया गया है जो कुल याचिकाओं का **93.94** प्रतिशत है।

- **ऑनलाईन भू–लगान भुगतान** :– राज्य के सभी 534 अंचलों को ऑनलाईन भू–लगान भुगतान हेतु अधिसूचित किया गया है। इस प्रक्रिया के तहत वित्तीय वर्ष 2023–24 में अबतक **49,14,789** भू–लगान रसीद निर्गत किये गये हैं।

- **अभियान बसेरा कार्यक्रमः**– वर्तमान में विभाग द्वारा अभियान बसेरा–2 कार्यक्रम संचालित है, जिसके अन्तर्गत सुयोग्य श्रेणी के वासभूमिहीन परिवारों का नए सिरे से सर्वेक्षण किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अर्न्तगत अब तक कुल 1,08,338 वासभूमिहीन परिवारों का सर्वेक्षण किया जा चुका है जिनमे से अब तक कुल 5,435 वासभूमिहीन परिवारों को वासभूमि उपलब्ध करा दी गयी है। शेष सर्वेक्षित परिवारों को वासभूमि उपलब्ध/आवंटित कराने की कार्रवाई की जा रही है।

- राज्य के सभी जिलों में विशेष भू–सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य हेतु वर्ष 2024 तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नियमित तथा संविदा सहित कुल 8,802 पदों का अवधि विस्तार/पद सृजन किया गया है। नवसृजित संविदा पदों पर नियोजन की कार्रवाई कर नवनियोजित कर्मियों का पदस्थापन विभिन्न जिलों में करते हुए बन्दोबस्त कार्य कराया जा रहा है।

- विशेष सर्वेक्षण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर वर्ष 2024 तक सम्पन्न कराने हेतु राज्य के सभी 534 अंचलों में एक विशेष सर्वेक्षण शिविर स्थापित करने के उद्देश्य से अतिरिक्त कुल 7595 पद को स्वीकृत करते हुए बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन

(संशोधन) नियमावली, 2022 के आलोक में बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद के माध्यम से नियोजन की कार्रवाई की जा रही है।

- **राजस्व नक्शों की डोर स्टेप डिलीवरी** :– रैयतों की सुविधा हेतु आम रैयतों/भू–धारियों से ऑनलाईन ऑर्डर प्राप्त कर उनके घर पर ही राजस्व मानचित्र की डिजिटाईज्ड प्रति उपलब्ध कराने की दिशा में **''डोर स्टेप डिलेवरी''** योजना 06 सितम्बर, 2022 को प्रारम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत अब तक कुल 17,508 आवेदकों को डिजिटाईज्ड मानचित्रों की आपूर्ति की जा चुकी है।

- राज्य के सभी जिलों के सभी राजस्व ग्रामों में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त का कार्य दिसम्बर, 2025 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

- **अंचल अभिलेख भवनों का निर्माण** :– वर्त्तमान में कुल 534 अंचल कार्यालयों में से 441 अंचलों में डाटा केन्द्र–सह–आधुनिक अभिलेखागार भवन का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। शेष 93 अंचलों में भवन निर्माण कार्य शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जायेगा।

- **कार्यबल** :– ''बिहार राजस्व सेवा'' अन्तर्गत मूल कोटि के पद–राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड में कुल स्वीकृत बल 1597 है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में बिहार लोक सेवा आयोग की 66वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षाफल के आधार पर कुल **66 अभ्यर्थियों की** अनुशंसा सूची के आलोक में कुल 60 अभ्यर्थियों को राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष पद पर नियुक्त करते हुए विभिन्न अंचल कार्यालयों में पदस्थापित किया गया है। विभाग द्वारा राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष पद पर कुल 243 रिक्त पदों की अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को प्रेषित की गयी है। राजस्व कर्मचारी के स्वीकृत पद 8463 के विरूद्ध रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु कुल 3,559 पद की अधियाचना बिहार कर्मचारी चयन आयोग को प्रेषित की गयी है। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना से प्राप्त अनुशंसा सूची के आधार पर वर्ष 2023 में अंचल कार्यालयों, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता कार्यालयों एवं जिला भू–अर्जन कार्यालयों में रिक्त पदों के विरूद्ध कुल 1,761 अमीनों की नियुक्ति की गयी है।

- **भूमि–हस्तांतरण** :– अप्रैल, 2023 से दिसम्बर, 2023 तक विभिन्न विभागों/संस्थानों इत्यादि को विभाग द्वारा कुल–506.13 एकड़ सरकारी भूमि हस्तान्तरित की गई है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में स्कीम मद में 410.74 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 1,460.74 करोड़ रुपये कुल 1,871.48 करोड़ रुपये बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

- मद्यनिषेध नीति के सफल कार्यान्वयन हेतु अप्रैल, 2016 से नवम्बर, 2023 तक पुलिस एवं मद्यनिषेध पदाधिकारियों द्वारा छापेमारी करते हुए कुल 7,09,406 अभियोग दर्ज करते हुए 10,55,348 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। राज्य के बाहर से 7,646 अवैध शराब के कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया है। कुल जब्त वाहन 1,06,273 में से कुल 69,998 वाहनों को नीलाम किया गया है तथा 9,531 वाहनों को अर्थदंड पर विमुक्त किया गया है।

- राज्य में कुल 84 मद्यनिषेध थाना की स्थापना की गयी है। उत्पाद अभियोगों के त्वरित निष्पादन हेतु 74 अनन्य विशेष न्यायालयों की स्थापना की गयी है।

- छापेमारी के लिए श्वान दस्ता, ब्रेथ एनालाईजर एवं दूरबीन के साथ–साथ नयी तकनीक यथा, ड्रोन, मोटरबोट एवं डर्टबाईक का उपयोग किया जा रहा है। छापेमारी में जब्त शराब का विनष्टीकरण नियमित रूप से किया जा रहा है। राज्य में कुल 84 चेक पोस्ट कार्यरत हैं, जहाँ सी0सी0टी0वी0 कैमरे से लगातार निगरानी की जा रही है।

- शराब और ताड़ी के परंपरागत व्यवसाय में लगे परिवारों के लिये सतत् जीविकोपार्जन योजना के अंतर्गत रोजगार हेतु 1,00,000 रुपये तक आर्थिक मदद सरकार द्वारा दी जा रही है जिसे बढ़ाकर अब 2,00,000 रुपये किया गया है। साथ ही, नीरा के उत्पादन एवं बिक्री को प्रोत्साहित किया जा रहा है। जब्त शराब की बोतलों का सदुपयोग एवं रोजगार सृजन के उद्देश्य से चूड़ी निर्माण कराया जा रहा है।

- मद्यनिषेध का प्रचार–प्रसार के लिए नुक्कड़ नाटक आयोजित किये जा रहे है। सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के माध्यम से रेडियो चैनलों पर मद्यनिषेध से संबंधित रेडियो जिंगल तथा न्यूज चैनलों पर विडियो संदेश का प्रसारण कर प्रचार–प्रसार किया जा रहा है। ''नशामुक्त बिहार'' थीम पर 17 दिसम्बर, 2023 को पटना मैराथन का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।

- वित्तीय वर्ष 2022–23 में विभाग का वार्षिक लक्ष्य 5500.00 करोड़ रुपये के विरूद्ध 6583.05 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रहित किया गया है जो कि विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य का लगभग 119.69 प्रतिशत है।

- चालू वित्तीय वर्ष में माह दिसम्बर, 2023 तक में दस्तावेजों के निबंधन से कुल 4890.38 करोड़ रुपये राजस्व संग्रहित हुआ है।

- सभी निबंधन कार्यालयों में दस्तावेजों के निबंधन तथा अभिलेखागार से संबंधित सभी कार्य हेतु Online Appointment की सुविधा आम जनता को प्रदान की गई है।

- आई0डी0ए0 / बियाडा को सरकार द्वारा आवंटित भूमि तथा औद्योगिक भू–खण्ड / शेड एवं औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार के क्षेत्र से बाहर निजी निवेशकों द्वारा उद्योग स्थापित करने के प्रयोजनार्थ भूमि के दस्तावेजों में निबंधन पर लगने वाले स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क में शत प्रतिशत की छूट प्रदान की गयी है।

- पैतृक / पारिवारिक सम्पत्ति के बंटवारा विलेखों के निबंधन पर स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क की देयता कम करते हुए स्टाम्प ड्यूटी 50 रुपये एवं निबंधन शुल्क 50 रुपये निर्धारित किया गया है।

- राज्य सरकार की e-governance नीति तथा पेपरलेस कार्य को बढ़ावा देने के लिए विकल्प के रूप में विभिन्न प्रकार के दस्तावेज का Online Registration प्रणाली को लागू किया गया है। Online Registration के क्रम में online payment हेतु नागरिकों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए देय स्टाम्प ड्यूटी की राशि में 1%, अधिकतम राशि 2,000 रुपये तक की छूट देने का निर्णय लिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में स्कीम मद में 10.00 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 664.55 करोड़ रुपये कुल 674.55 करोड़ रुपये बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

वाणिज्य–कर विभाग

- विभाग के कुशल और प्रभावी कर प्रशासन एवं राज्य के सभी करदाताओं, व्यावसायिक संगठनों एवं अन्य हितधारकों के सकारात्मक सहयोग से विगत छः वर्षो में कर–संग्रह लगभग दो गुना हो गया है। जीएसटी लागू होने के पूर्व वर्ष 2016–17 में जहाँ कर–संग्रहण 18,751 करोड़ रुपये था वह वर्ष 2022–23 में बढ़कर 34,541 करोड़ रुपये हो गया है।

- वित्तीय वर्ष 2023–24 में विभाग के कर–संग्रहण का लक्ष्य 39,550 करोड़ रुपये निर्धारित है। माह जनवरी, 2024 तक विभाग द्वारा 29,006 करोड़ रुपये राजस्व की वसूली की गयी है।

- 1.50 करोड़ रुपये तक के Turnover वाले छोटे करदाताओं को Composition योजना का विकल्प उपलब्ध है। यह सुविधा 50 लाख रुपये तक Turnover वाले सेवा प्रदाताओं को भी उपलब्ध है।

- लघु करदाताओं की सुविधा के लिए QRMP (Quarterly Returns with Monthly Payment) योजना भी लागू है। इसके अन्तर्गत 5 करोड़ रुपये से कम टर्नओवर वाले

करदाताओं के लिए मासिक विवरणी के स्थान पर त्रैमासिक विवरणी एवं मासिक कर भुगतान की सुविधा प्रदान की गयी है। राज्य के 2.75 लाख करदाताओं द्वारा इस योजना का लाभ लिया जा रहा है।

- Ease of doing business के अन्तर्गत 5 करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाले करदाताओं के लिए e-invoice प्रणाली लागू की गई है।
- छोटे करदाताओं को राहत पहुँचाने के उद्देश्य से 2 करोड़ रुपये तक के वार्षिक टर्नओवर वाले करदाताओं को वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की बाध्यता से मुक्त कर दिया गया है।
- बिहार जीएसटी नियमावली में संशोधन करते हुए निबंधन के क्रम में व्यवसाय स्थल के भौतिक सत्यापन के दौरान आवेदक के उपस्थित रहने की बाध्यता को समाप्त किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 237.96 करोड़ रुपये बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

परिवहन विभाग

- **राजस्व संग्रहणः**– राज्य में वाहनों की बिक्री एवं निबंधन में उत्तरोत्तर वृद्धि दर्ज की गयी है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में 3000 करोड़ रुपये के वार्षिक लक्ष्य के विरूद्ध 3015.34 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रहण किया गया जो वार्षिक लक्ष्य का 100.51 प्रतिशत है।
- **मोटरवाहन चालन प्रशिक्षण संस्थान प्रोत्साहन योजनाः**– निजी उद्यमियों द्वारा मोटर वाहन चालन प्रशिक्षण संस्थान खोलने हेतु प्रति संस्थान लागत का 50% अथवा अधिकतम 20 लाख रुपये का अनुदान दिया जा रहा है। राज्य के विभिन्न जिलों में अभी तक कुल 62 स्कूलों में निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है। 25 संस्थानों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। इससे राज्य में कुशल वाहन चालक उपलब्ध होंगे एवं सड़क दुर्घटना में कमी आयेगी।
- **प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन विभाग की पहल** :– राज्य के सभी प्रखंडों में वाहन प्रदूषण जांच केन्द्र खोलने के लिए उपकरण के क्रय मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 3 लाख रुपये प्रोत्साहन राशि अनुदान के रूप में दिये जाने का प्रावधान किया गया है। सम्प्रति 534 प्रखंड में से 476 प्रखंड वाहन प्रदूषण जाँच केन्द्र से आच्छादित है।
- **बिहार स्वच्छ ईंधन योजना, 2019**:– गया एवं मुजफ्फरपुर शहर में बढ़ते प्रदूषण की खतरनाक स्थिति के मद्देनजर वाहनजनित प्रदूषण के नियंत्रण एवं परिवेशीय वायु गुणवत्ता में

सुधार हेतु पेट्रोल/डीजल चालित ऑटो को सी0एन0जी0 चालित ऑटो से प्रतिस्थापन/रेट्रोफिटमेंट हेतु ''बिहार स्वच्छ ईंधन योजना, 2019'' का विस्तार किया गया है। इसके अन्तर्गत गया एवं मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र की सीमा में परिचालित एवं वैध परमिटधारी डीजल/पेट्रोल चालित तिपहिया वाहन के प्रतिस्थापन एवं सी0एन0जी0 किट रेट्रोफिटमेन्ट हेतु 4.26 करोड़ रुपये अनुदान दिया गया है।

- **बिहार स्वच्छ ईंधन (सिटी बस प्रोत्साहन) योजना, 2023** अन्तर्गत पटना में निजी डीजल चालित सिटी बसों को सी0एन0जी0 बस से प्रतिस्थापन पर वाहन स्वामी को प्रोत्साहन राशि के रूप में वाहन के एक्स शोरूम (सभी कर सहित) का 30 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि 7.50 लाख रुपये दिये जाने का प्रावधान है।

- **स्वचालित परीक्षण केन्द्र की स्थापनाः**– राज्य में निजी क्षेत्र हेतु स्वचालित परीक्षण केन्द्र (Automated Testing Station) की स्थापना हेतु कार्रवाई की जा रही है। राज्य में बढ़ते वाहनों की संख्या एवं वाहनों से होने वाले सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से पटना जिलान्तर्गत बिहटा (सिकन्दरपुर) में अत्याधुनिक निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण का निर्माण किया जा रहा है।

- Scrapping Center :- Scrapping Center के माध्यम से 15 वर्ष पुराने वाहन अथवा अनुपयोगी वाहन को Scrap कराने वाले वाहन स्वामियों को समकक्ष नये वाहन क्रय करने पर उसके लिये देय मोटर वाहन कर में छूट की सुविधा प्रदान की जायेगी।

- **व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाईस** (VLTD) :– महिलाओं को अतिरिक्त सुरक्षा देने हेतु सभी लोक सेवा यानों में यान लोकेशन ट्रैकिंग उपकरण (VLTD) एवं इमरजेंसी बटन लगाना अनिवार्य किया गया है।

- **करों में छूट (महिलाओं, निःशक्तजनों एवं बैट्री ऑपरेटेड वाहनों के करों में छूट)**:– यदि कोई महिला के नाम पर तिपहिया वाहन, टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब निबंधित होता है और उसका चालन स्वयं महिला जिसके पास व्यावसायिक चालन अनुज्ञप्ति है, के द्वारा किया जाता है, तो उसके लिए वाहन कर में शत–प्रतिशत छूट दी गई है। सस्ती एवं सुलभ परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ई–रिक्शा/ई–कार्ट के परिचालन को बढ़ावा हेतु बैट्री चालित यान/इलेक्ट्रिक वाहन को कुल कर में 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।

- **ड्राईविंग टेस्टिंग ट्रैक का निर्माण**– सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से अभ्यर्थियों को चालन

अनुज्ञप्ति निर्गत करने से पूर्व चालन दक्षता की जाँच हेतु प्रत्येक जिला में ड्राईविंग टेस्टिंग ट्रैक की स्थापना की जा रही है। सम्प्रति 17 जिलों में ड्राईविंग टेस्टिंग ट्रैक का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है एवं 9 जिलों में निर्माण कार्य प्रगति पर है। शेष जिलों में निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है।

- **आधुनिक जिला परिवहन सुविधा केंद्रों का निर्माण**– राज्य के 37 जिलों में जिला परिवहन कार्यालय–सह–सुविधा केन्द्रों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। शेष 01 जिला परिवहन कार्यालय–सह–सुविधा केन्द्र, सिवान का निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है।

- **चालक प्रशिक्षण–सह–शोध संस्थान, औरंगाबाद में प्रशिक्षण योजनाः**– औरंगाबाद में स्थापित चालक प्रशिक्षण–सह–शोध संस्थान में परिवहन विभाग द्वारा कुल 2000 भारी मोटर वाहन चालकों के निःशुल्क प्रशिक्षण की योजना प्रारम्भ की गई है। इसके अन्तर्गत 48 बैच में कुल 463 प्रशिक्षु चालकों को वाहन चालन का प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

- **मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजनाः**– इस योजना के तहत जिला मुख्यालय के प्रखंडों को छोड़कर शेष 496 प्रखंडों में प्रति प्रखंड अधिकतम 7 लाभुकों (दो अनुसूचित जाति, दो अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, एक पिछड़ा वर्ग, एक अल्पसंख्यक समुदाय एवं एक सामान्य वर्ग) को बस के क्रय पर प्रति बस 5,00,000 रुपये का अनुदान देय है।

- **पी0 एम0 ई0 बस सेवा योजना** :– बिहार के प्रमुख शहरों यथा– पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा एवं पूर्णिया शहरों के लिये सार्वजनिक परिवहन हेतु आम नागरिकों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से कुल 400 इलेक्ट्रिक बसों की व्यवस्था करने हेतु ''पी0एम0ई0 बस सेवा'' योजना लागू की गई है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा इस योजना के तहत बिहार के प्रमुख 06 शहरों में यथा, पटना–150, मुजफ्फरपुर–50, गया–50, दरभंगा–50, पूर्णिया–50 एवं भागलपुर–50 कुल 400 इलेक्ट्रिक बसें परिचालन किये जाने की योजना है।

- **बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति, 2023** के अन्तर्गत इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहन, इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन (यात्री वाहक एवं माल वाहक), इलेक्ट्रिक चारपहिया वाहन, हल्के इलेक्ट्रिक मोटर वाहन (माल वाहक वाहन), भारी इलेक्ट्रिक मोटर वाहन (बस तथा माल वाहक) आदि के क्रय में प्रोत्साहन राशि एवं टैक्स में छूट निर्धारित शर्तो के साथ दी जा रही है। इसी प्रकार, इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग हेतु विभिन्न कोटि के चार्जर चार्जिंग स्टेशनों पर स्थापित किये जाने हेतु उपकरण के क्रय तथा अधिष्ठापन मूल्य (भूमि का मूल्य छोड़कर) पर अनुदान के रूप

में प्रोत्साहन दिया जायेगा।

- राज्य सरकार के स्वामित्व वाले मोटर वाहनों से हुई दुर्घटना में मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा के प्रावधान के आलोक में मृतक के आश्रितों को पाँच लाख रुपये एवं गंभीर रूप से घायल पीड़ितों/आश्रितों को दो लाख पचास हजार रुपये मुआवजा का भुगतान किये जाने का प्रावधान किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में स्कीम मद में 242.50 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 208.96 करोड़ रुपये कुल 451.46 करोड़ रुपये बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

खान एवं भूतत्व विभाग

- खान अधिनियम के नवीनतम संशोधन के अनुसार सामरिक (स्ट्रैटिजिक) एवं महत्वपूर्ण (क्रिटिकल) खनिज ब्लॉकों की नीलामी भारत सरकार द्वारा की जानी है। फलस्वरूप बिहार राज्य में खोज किये गये कुल दस खनिज ब्लॉकों में से आठ सामरिक (स्ट्रैटिजिक) एवं महत्वपूर्ण (क्रिटिकल) खनिज ब्लॉकों की नीलामी केन्द्र सरकार द्वारा की जायेगी। शेष दो असामरिक एवं गैर महत्वपूर्ण (नन क्रिटिकल) खनिज ब्लॉकों यथा लौह अयस्क, मैग्नेटाइट (जमुई) एवं चूना पत्थर (रोहतास) की नीलामी राज्य सरकार द्वारा की जायेगी। इन दोनों ब्लॉकों की नीलामी हेतु एकरारनामा किया जा चुका है एवं नीलामी की कार्रवाई की जा रही है। इन ब्लॉकों की नीलामी के फलस्वरूप राज्य में रोजगार सृजन के साथ–साथ राजस्व में बढ़ोतरी होगी।

- सभी जिलों में जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन तैयार कर राज्यस्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (State Environmental Impact Assessment Authority), बिहार द्वारा अनुमोदनोपरांत राज्यान्तर्गत अब तक कुल 291 बालूघाटों/कलस्टरों की ई–नीलामी सम्पन्न हो चुकी है। नीलामी की प्रक्रिया में बेहतर पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बेल्ट्रॉन के ऑक्शन प्लेटफॉर्म ई–प्राक–2 (E-proc-2.0) की सेवा ली जा रही है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 63.11 करोड़ रुपये बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

शिक्षा विभाग

राज्य सरकार सभी वर्गों के लिए खासकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के

बच्चे–बच्चियों के लिए शिक्षा की समुचित व्यवस्था के लिए कटिबद्ध है और इसके लिए अनेक योजनाएँ संचालित की जा रही है।

- कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों के सफल संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में रिक्त कर्मियों के पदों में से 1288 वार्डेन/शिक्षिकाओं/लेखापाल का नियोजन किया गया है, शेष प्रक्रियाधीन है।

- कक्षा III से VIII तक के कमजोर बच्चों के उपलब्धि स्तर के सुधार के लिए **'मिशन दक्ष'** का कार्यान्वयन हेतु विद्यालयों में प्रति कार्य दिवस को अलग से पठन–पाठन अपराह्न **3.30 से 5.00 बजे** तक संचालित किया जा रहा है तथा कक्षा IX से XII के बच्चों हेतु **'विशेष कक्षा'** का संचालन किया जा रहा है।

- e-LOTS पर कक्षा 1 से 12 के सभी पाठ्यपुस्तक, पाठ आधारित विडियो, संदर्भ विडियो, बच्चों के स्वमूल्यांकन के लिए प्रश्नोत्तरी एवं शिक्षकों के लिए उपयोगी सामग्री को अपलोड किया गया है।

- राज्य निधि से सभी 85 अनुकरणीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में IIT, पटना के सहयोग से मॉडल विज्ञान लैब की स्थापना का कार्य प्रारंभ किया गया है। प्रथम चरण में पटना जिले के 7 विद्यालयों में कार्य पूर्ण किया गया है।

- SCERT के माध्यम से सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों के 2,95,594 प्रधानाध्यापकों/शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया।

- शैक्षणिक वर्ष 2023–24 में कक्षा I से VIII के छात्र/छात्राओं को कुल 1.23 करोड़ सेट निःशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध कराया गया है।

- 0–18 आयुवर्ग के कुल चिन्हित 2,30,000 दिव्यांग बच्चों में से 1,34,926 बच्चों का Certification उपरांत कुल 35,200 बच्चों का UDID Card बनाया गया।

- **डी0बी0टी0 के माध्यम से शिक्षा से संबंधित योजनाओं की राशि का बच्चों को हस्तानांतरण**– वित्तीय वर्ष 2022–23 में बालिका पोशाक योजना, किशोरी स्वास्थ्य, छात्रवृत्ति, प्री मैट्रिक, मुख्यमंत्री साईकिल योजना, मुख्यमंत्री बालक पोशाक योजना, मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना, कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री मेधावृति आदि योजनाओं के 1.54 करोड़ लाभुक बच्चों को डी0बी0टी0 के माध्यम से उनके खाते में 2,550.91 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गयी है एवं शेष लाभुक बच्चों के बीच वितरण जारी है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में भी उक्त योजनाओं की राशि डी0बी0टी0 के माध्यम से लाभुक बच्चों के खाते मे

उपलब्ध करायी जा रही है।

- विद्यालय शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु वर्ग 01 से 12 तक के छात्र–छात्राओं का प्रति सप्ताह एवं प्रतिमाह परीक्षा आयोजित करने की योजना संचालित है। साथ ही, प्रत्येक शनिवार को शिक्षक अभिभावक गोष्ठी का आयोजन कर बच्चों की प्रगति से संबंधित जानकारी अभिभावकों को दी जाती है।

- विद्यालयों में बच्चों (विशेषकर कक्षा 6 से 12 के बच्चों) को आकर्षित करने एवं कम्प्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु राज्य के कुल 10,000 मध्य/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अधिकतम 20 लैपटॉप उपलब्ध कराया जा रहा है।

- **बिहार** विद्यालय परीक्षा समिति ने वर्ष 2023 में भी पूर्व के वर्षो की तरह इन्टरमीडिएट एवं मैट्रिक वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन किया एवं परीक्षाफल देश में सबसे पहले रिकार्ड समय में मार्च, 2023 में ही प्रकाशित कर कीर्तिमान स्थापित किया है।

- वित्तीय वर्ष 2023–24 में अबतक मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत 15,375 बालिकाओं को 25,000 रूपये की दर से 38 करोड़ रूपये और 58,512 बालिकाओं को 50,000 रूपये की दर से 292 करोड़ रूपये वितरित किये गये हैं।

- महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर आँचल योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में शिक्षा सेवकों द्वारा वर्तमान में 507630 महिलाओं को साक्षरता केन्द्र पर नामांकित कर साक्षर किया जा रहा है। साथ ही, विद्यालयों में 6,38,929 बच्चों को नामांकित करवाया गया तथा 5,72,056 बच्चों को कोचिंग प्रदान किया जा रहा है।

- वित्तीय वर्ष 2023–24 में कुल–26,465 शिक्षा सेवक/शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) बिहार में कार्यरत है, जिन्हें दिनांक–01.10.2023 से 11,000 से बढ़ाकर 22,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय का भुगतान किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में स्कीम मद में 22,200.35 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 30,438.68 करोड़ रुपये कुल 52,639.03 करोड़ रुपये बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

स्वास्थ्य विभाग

राज्य के आमजन के लिए स्वास्थ्य सेवाओं सहित स्वास्थ्य संबंधी संरचनाओं को अधिक सुदृढ़ एवं विकसित करने के निरंतर प्रयास के अंतर्गत कई कार्य किये जा रहे हैं।

- **मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना (भव्या)** : प्रथम चरण में यह योजना राज्य के 04 जिलों यथा– मुजफ्फरपुर, नालंदा, गोपालगंज एवं सीवान जिला में लागू किया गया है। इस परिवर्त्तनकारी अनूठी पहल से प्रतिदिन चिकित्सकों द्वारा औसतन 26–30 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। शेष 34 जिलों में भी ओ.पी.डी. रजिस्ट्रेशन एवं फार्मेसी मॉडल लागू है एवं शेष मॉडल को लागू करने की प्रक्रिया जारी है। इस योजना अंतर्गत लगभग 1.50 लाख स्वास्थ्य पेशेवरों को प्रशिक्षित किया जा रहा है।

- **टेली कन्सलटेशन** : वर्तमान में टेली कन्सलटेशन के अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दूरवर्त्ती निवासियों को कुशल चिकित्सकों के द्वारा गुणवत्तापूर्ण चिकित्सीय परामर्श प्रदान किया जा रहा है। यह सेवा एक करोड़ से अधिक व्यक्तियों को प्रदान किया जा चुका है।

- ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधाएं सहज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सभी स्वास्थ्य उपकेन्द्रों को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किया जा रहा है। इन सभी हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटरों पर लाभुकों के लिए 150 प्रकार की दवाएँ एवं 14 प्रकार के जाँच की सुविधा उपलब्ध है। राज्य में वर्तमान में कुल 10316 हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर कार्यरत है।

- **जीविका दीदी की रसोई** : विभिन्न अस्पतालों में **'जीविका दीदी की रसोई'** की संख्या वर्तमान में 82 हो गई है। प्रदेश का यह मॉडल पूरे देश में चर्चित रहा है। महिला सशक्तिकरण की अगली कड़ी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 2023 के अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के सभी 143 शिक्षण संस्थानों में 412 **सैनिटेरी नैपकिन वेंडिंग मशीन** तथा 246 **सैनिटेरी नैपकिन इनसिनरेटर मशीन** का अधिष्ठापन किया जा चुका है।

- राज्य स्तर पर **फ्लोरेंस नाईटिंगल नर्सेस अवार्ड** की शुरूआत कर वर्ष 2023 में राज्य अंतर्गत नर्सिंग प्रक्षेत्र में उत्कृष्ट एवं सराहनीय सेवा प्रदान करने वाली एक नर्स को फ्लोरेंस नाईटिंगल नर्सेस अवार्ड, 2023 से नवाजा गया।

- राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को **डायलेसिस** की सेवा निःशुल्क प्रदान करने हेतु राज्य के सभी 38 जिलों के चिन्हित् स्वास्थ्य संस्थानों यथा जिला अस्पतालों/चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में लोक निजी साझेदारी के तहत डायलेसिस केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं। 01 दिसम्बर, 2020 से दिसम्बर, 2023 तक 6824 मरीजों को कुल 4,44,330 सेशन डायलेसिस की सेवा प्रदान की जा चुकी है।

- भारत सरकार द्वारा वर्ष 2023 तक कालाजार उन्मूलन हेतु निर्धारित लक्ष्य को बिहार राज्य ने वर्ष 2022 में ही पूर्ण कर लिया। अब इस स्थिति को आगे बनाये रखने का प्रयास जारी है। यह उपलब्धि वर्ष में दो बार कीटनाशक का छिड़काव, गहन अनुश्रवण एवं अन्य विभिन्न प्रयासों के कारण संभव हो सका है।

- 'आयुर्वेद विधि से हाथी पाँव का इलाज' अब पौराणिक चिकित्सा पद्धति अर्थात् आयुर्वेद विधि को अपनाते हुए फाइलेरिया अर्थात् हाथी पाँव का आई.ए.डी. केरल द्वारा बिना किसी सर्जरी के निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। इसकी सुविधा राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, बेगूसराय एवं राजकीय तिब्बी कॉलेज, पटना में उपलब्ध है।

- राज्य के सभी जिलों में डिस्ट्रिक्ट टीबी फोरम के माध्यम से पंचायती राज प्रतिनिधियों की सहभागिता बढ़ाने का लगातार प्रयास जारी है ताकि यक्ष्मा उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। इसी क्रम में दिनांक 12 मई 2023 को **'टीबी मुक्त पंचायत का शुभारंभ'** किया गया जिसके तहत् प्रत्येक प्रखण्ड से दो–दो पंचायत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। विश्व यक्ष्मा दिवस, 2023 के अवसर पर वाराणसी में आयोजित **'वन वर्ल्ड टीबी सम्मिट' में यक्ष्मा उन्मूलन कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन** करने वाले मुजफ्फरपुर एवं समस्तीपुर जिला को स्वर्ण पदक, सीवान को रजत पदक तथा पूर्णिया एवं सारण को कांस्य पदक से सम्मानित किया गया।

- **ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी रोग के ईलाज हेतु चिकित्सकीय अनुदान** : राज्य में ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी (Duchenne Muscular Dystrophy) एवं अन्य आनुवांशिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी रोग से ग्रसित मरीजों को आर्थिक रूप से सबल व सहायता उपलब्ध कराया जाना है। इसके तहत अब तक कुल 203 लाभार्थियों को 6 लाख रुपये की दर से भुगतान किया गया है।

- **कैंसर चिकित्सा के क्षेत्र में विकास** :– राज्य में कैंसर चिकित्सा के क्षेत्र में प्रगति की दिशा में श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर के परिसर में टाटा मेमोरियल अस्पताल, मुबंई के सहयोग से स्थापित होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर के द्वारा कैंसर के इलाज एवं सर्जरी की सुविधा मरीजों को उपलब्ध है। राज्य के 6 जिलों यथा पूर्णियां, पटना, मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा एवं भागलपुर में अप्रैल, 2023 से डे–केयर कीमोथेरेपी सेंटर स्थापित कर मरीजों को सुविधा दी जा रही है। इसके अतिरिक्त 11 अन्य जिलों में कीमोथेरेपी

सेंटर स्थापित करने की कार्रवाई जारी है।

- **मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम** :– सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से **जननी एवं बाल सुरक्षा योजना** (JBSY) अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में प्रति महिला लाभार्थी 1400 रुपये एवं शहरी क्षेत्र में प्रति महिला लाभार्थी 1000 रुपये प्रोत्साहन राशि प्रदान किया जा रहा है। साथ ही, 'मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना' अंतर्गत कन्या भ्रूण हत्या को रोकने एवं कन्या शिशु के जन्म को बढ़ावा देने व बालिका मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में प्रथम एवं द्वितीय जीवित संतानों में से कन्या शिशु के जन्म के उपरांत प्रत्येक लाभार्थी को 2000 रुपये दिया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में नवम्बर, 2023 तक सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में 10,82,418 संस्थागत प्रसव हुए हैं। स्वास्थ्य संस्थानों में वर्ष में औसतन 17 लाख संस्थागत प्रसव हो रहे हैं। इस प्रकार सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में संस्थागत प्रसव की संख्या काफी बढ़ी है।

- **रक्त केन्द्र तथा रक्त संग्रहण इकाई**: विभिन्न माध्यमों से **राज्य में कुल 116 रक्त केन्द्र तथा 71 रक्त संग्रहण इकाई** वर्तमान में क्रियाशील है।

- **निःशुल्क दवाओं की उपलब्धता** :– राज्य के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवायें उपलब्ध करायी जा रही है। वर्तमान में 'आवश्यक दवाओं की सूची' में **611 प्रकार की औषधियाँ एवं 132 प्रकार के डिवाईसेज/कन्ज्यूमेबल** शामिल हैं।

- **आवश्यक जाँच के लिए जाँच सूची** :– राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों से लेकर स्वास्थ्य उपकेन्द्र स्तर तक मरीजों के **आवश्यक जाँच के लिए जाँच सूची** (Essential Diagnostic List-EDgL) तैयार कर इससे संबंधित पुस्तिका का विमोचन दिनांक 06 मार्च, 2023 को किया गया है, जिसके तहत् अब मेडिकल कॉलेजों में 161, जिला अस्पतालों में 148, अनुमंडलीय अस्पतालों में 91, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं रेफरल अस्पतालों में 75, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 66, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर/स्वास्थ्य उपकेन्द्रों में 9 प्रकार की जाँच का प्रावधान किया गया है।

- **आवश्यक उपकरणों/उपस्करों की सूची** :– जिला अस्पतालों के लिए 271, अनुमंडलीय अस्पतालों के लिए 227, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए 291 एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए 107 प्रकार के आवश्यक उपकरणों/उपस्करों की सूची (Essential Equipment List-EEL) को तैयार कर अधिसूचित किया गया है। अब इसी EEL के अनुरूप सभी संस्थानों में उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।

- **रेफरल सेवाएंः**— वर्तमान में नवगठित 102 एम्बुलेन्स के बेड़े में कुल 1582 एम्बुलेन्स (1006 BLSA+ 576 ALSA) संचालित हैं। इसके अतिरिक्त राज्य में 78 शव वाहन भी वर्तमान में परिचालित हैं। इस सुविधा के अन्तर्गत 'ऑनलाईन एम्बुलेंस बुकिंग एवं ट्रैकिंग की सुविधा'राज्य के आम लोगों को उपलब्ध करायी जा रही है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में दिसम्बर, 2023 तक 13,10,431 मरीजों को एम्बुलेंस की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करायी गयी है।

वित्तीय वर्ष 2024—25 में स्कीम मद में 7,117.56 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 7,814.53 करोड़ रुपये कुल 14,932.09 करोड़ रुपये बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

पथ निर्माण विभाग

- वर्ष 2023—24 में 96.42 कि0मी0 राष्ट्रीय उच्च पथों का निर्माण कार्य, **67.13 कि0मी0** राज्य उच्च पथों एवं **2218.42 कि0मी0** वृहद जिला पथों का निर्माण/नवीकरण कार्य पूर्ण किया गया है।

- **वर्ष 2023—24 में अबतक** कुल **26 अदद्** पुल योजनाओं का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है।

- लोहिया पथ चक्र के द्वितीय चरण अन्तर्गत हड़ताली चौक पर विशिष्ट संरचनाओं का निर्माण कार्य पूर्ण कर बोरिंग कैनाल रोड, दारोगा राय पथ, अटल पथ एवं नेहरू पथ जंक्शन पर सिग्नल रहित यातायात का परिचालन किया जा रहा है।

- विगत एक वर्ष में पथ निर्माण विभाग के अधीन कुल 115 योजनाएँ जिसकी लागत राशि लगभग 6429.94 करोड़ रुपये है, की स्वीकृति प्रदान की गई है। इन योजनाओं में 28 अदद् पुल परियोजनाएँ 12 अदद् ROB तथा 75 अदद् पथ योजनाएँ सम्मिलित हैं। उक्त योजनाएँ क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में प्रक्रियाधीन है।

- सुलभ सम्पर्कता के अधीन राज्य के सभी शहरों एवं सघन बसावटों से होकर गुजरने वाले मार्गों में आवश्यकतानुसार बाईपास पथ/फ्लाईओवर के निर्माण योजना के तहत कुल 20 बाईपासों के निर्माण हेतु कुल 556.10 करोड़ रुपये की लागत से स्वीकृति प्रदान की गई है जो क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में प्रक्रियाधीन है।

- ADB सम्पोषित BSHP-3 फेज—II अन्तर्गत 6 राज्य उच्च पथों (i) SH-95 (मानसी — सिमरी बख्तियारपुर पथ) (ii) SH-98 (कटिहार—बलरामपुर पथ), (iii) SH-99

(वायसी–बहादुरगंज– दीघलबैंक पथ), (iv) SH-105 (बेतिया–नरकटियागंज पथ), (v) SH-101 (अम्बा–देव– मदनपुर पथ) एवं (vi) SH-103 (मंझवे–गोविन्दपुर पथ), कुल लम्बाई 266.55 कि०मी० का 2680.35 करोड़ रुपये की लागत से 2 लेन मानक संरचना के अनुरूप उन्नयन का कार्य प्रगति पर है। इसके अतरिक्त ADB के वित्तपोषण से कुल 5153 करोड़ रुपये के अनुमानित लागत से 09 पथों, कुल लम्बाई–482 कि0मी0 एवं एक उच्चस्तरीय पुल का निर्माण कार्य का प्रस्ताव भारत सरकार के आर्थिक कार्य मंत्रालय द्वारा अनुशंसित करADB को अग्रतर कार्रवाई हेतु भेजा गया है।

- राज्य सरकार के सतत् समन्वयन एवं नियमित अनुश्रवण के फलस्वरूप प्रमुख राष्ट्रीय उच्च पथों यथा पटना–गया–डोभी, आरा–मोहनियाँ, रजौली–बख्तियारपुर, नरेनपुर– पूर्णियाँ, मुंगेर–मिर्जा चौकी, गलगलिया–अररिया आदि राष्ट्रीय राजमार्गों का 4–लेनिंग कार्य में प्रगति लाई गयी है। इसके साथ ही, अन्य राष्ट्रीय उच्च पथों के मेगा परियोजनाओं यथा आमस – दरभंगा, राम जानकी मार्ग, दीघा से बेतिया इत्यादि के क्रियान्वयन हेतु सतत् समन्वय एवं अनुश्रवण का कार्य किया जा रहा है ताकि इन परियोजनाओं को ससमय पूरा कर आम जनता को लाभ पहुँचाया जा सके। महात्मा गाँधी सेतु के समानान्तर 4–लेन नये पुल का निर्माण कार्य तथा विक्रमशिला सेतु के समानान्तर 4–लेन नये पुल का निर्माण कार्य प्रगति में है। पटना रिंग रोड के अन्तर्गत गंगा नदी पर दिघवारा–शेरपुर के बीच 6–लेन नये पुल का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। जे0पी0 सेतु के समानान्तर 6–लेन नये पुल के निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है।

- पटना शहर में जे0पी0 गंगा पथ के दीघा से गायघाट तक का लोकार्पण किया गया। शेष पथांश का कार्य प्रगति पर है जिसे जून, 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। जे0पी0 गंगा पथ को पश्चिम में दीघा से शेरपुर तक (11.50 कि0मी0) एवं पूरब में दीदारगंज से बख्तियारपुर तक (35.00 कि0मी0) विस्तारित किया जा रहा है।

- कच्ची दरगाह–बिदुपुर के बीच गंगा नदी पर 6–लेन पुल के निर्माण कार्य में प्रगति लाई गई है। गंगा नदी पर बख्तियारपुर–ताजपुर के बीच 4–लेन पुल के निर्माण कार्य को पुनः प्रारंभ किया गया है तथा कार्य प्रगति में है। मीठापुर से राम गोविंद सिंह महुली हाल्ट एलिवेटेड/एटग्रेड पथ का निर्माण कार्य 1030.586 करोड़ रुपये की लागत से प्रगति में है। इसी पथ के मीठापुर से सिपारा (सिपारा में 2 Way ROB सहित) अंश में 4–लेन एलिभेटेड पथ एवं रामगोविन्द सिंह महुली हॉल्ट से पुनपुन (लक्ष्मण झूला) तक 4–लेन एटग्रेड पथ (कुल लंबाई 4.30 कि०मी०) के निर्माण हेतु 437.15 करोड़ रुपये की लागत से स्वीकृति प्रदान की

गई है एवं कार्य प्रारम्भ है।

- बिहार राज्य पुल निर्माण निगम अन्तर्गत प्रमुख मेगा परियोजनाओं यथा (i) छपरा शहर में गाँधी चौक से नगरपालिका चौक तक डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण कार्य (411.31 करोड़ रुपये) (ii) पटना जिलान्तर्गत कारगिल चौक, गाँधी मैदान से Science College भाया PMCH अशोक राजपथ में Double Decker Elevated Corridor का निर्माण कार्य (422 करोड़ रुपये) (iii) रोहतास जिलान्तर्गत सोन नदी पर पण्डूका के पास पहुँच पथ सहित दो लेन उच्चस्तरीय आर0सी0सी0 पुल का निर्माण कार्य (210.13 करोड़ रुपये) (iv) भागलपुर जिलान्तर्गत अगुवानीघाट–सुल्तानगंज गंगा सेतु परियोजना के 4–लेन पहुँच पथ का विस्तारित निर्माण कार्य (209.32 करोड़ रुपये) एवं (v) गंडक नदी पर सत्तरघाट पुल में अतिरिक्त वाटर वे का निर्माण कार्य किया जा रहा है।

- पथ निर्माण विभाग द्वारा सड़कों पर दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिये पथों का सड़क सुरक्षा अंकेक्षण (Road Safety Audit) कार्य के तहत सड़कों का संरचनात्मक सुधार एवं सड़क सुरक्षा उपायों को क्रियान्वित कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सभी पथों में Road Safety Audit के सभी सुझावों यथा Junction Improvement, Traffic Calming Measures at Vulnerable Points, Road Signages, Road Markings, Zebra crossing, Speed limit संकेतक चिन्ह एवं Rumble Strips का प्रावधान किया जा रहा है ताकि दुर्घटनाओं एवं उससे होने वाली क्षति को न्यूनतम किया जा सके।

- विभागीय पथों के सतत् संधारण के लिए साक्ष्य आधारित विस्तृत एवं सटीक अनुश्रवण हेतु एक नई व्यवस्था Road Maintenance Application तथा मुख्यालय स्थित Control and Command Centre की स्थापना की गई है जिसमें Mobile App के माध्यम से road defects का real time monitoring किया जा रहा है जिसके तहत कुल 13,064 कि0मी0 विभागीय पथों का सतत् उत्कृष्ट संधारण सुनिश्चित कराया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में स्कीम मद में 4,194.16 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 1508.65 करोड़ रुपये कुल 5,702.81 करोड़ रुपये बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

भवन निर्माण

- भवन निर्माण विभाग सरकारी कार्यालयों एवं आवासीय भवनों के गुणवत्तायुक्त अत्याधुनिक तकनीक से समयबद्ध निर्माण के लिए कटिबद्ध है।

- 164.31 करोड़ रुपये की राशि से पटना के फुलवारीशरीफ में परिवहन परिसर का निर्माण कार्य किया गया है।
- 92.80 करोड़ रुपये की लागत से दरभंगा में तारामंडल–सह–ज्ञान एवं विज्ञान संग्रहालय का निर्माण कार्य किया गया है।
- 88.01 करोड़ रुपये की लागत से पटना के शास्त्रीनगर में वरीय पदाधिकारियों के आवास का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है। 61.46 करोड़ रुपये की लागत से विकास भवन एवं 32.98 करोड़ रुपये की लागत से सिंचाई भवन का आधुनिकीकरण का कार्य पूर्ण है। 43.76 करोड़ रुपये की से पटना में ''कर भवन'' का निर्माण कार्य किया गया है।
- सात निश्चय–1 के अन्तर्गत पूर्व से पूर्ण 28 जिलों के अतिरिक्त कुल 204.84 करोड़ रुपये लागत से 2 जिलों यथा आरा एवं कटिहार में अभियंत्रण महाविद्यालय का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।
- सात निश्चय–1 के अन्तर्गत पूर्व से पूर्ण 12 जिलों के अतिरिक्त कुल 109.05 करोड़ रुपये की लागत से 3 जिलों यथा भोजपुर, अरवल एवं जहानाबाद में राजकीय पॉलिटेकनिक का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।
- सात निश्चय–1 के अन्तर्गत पूर्व से पूर्ण 48 पुरूष आई०टी०आई० एवं 19 महिला आई०टी०आई० के अतिरिक्त बिहार के विभिन्न जिलों में कुल 9 पुरूष आई.टी.आई. एवं 2 महिला आई.टी.आई. का निर्माण पूर्ण हो चुका है।
- सात निश्चय–2 के अन्तर्गत स्वीकृत कुल 7 पुरूष आई.टी.आई एवं 2 महिला आई.टी.आई. के विरूद्ध समस्तीपुर (दलसिंहसराय) में 1 पुरूष–सह–महिला आई.टी.आई. का निर्माण कार्य हो चुका है।
- 973.35 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न जिलों में कुल 21 पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग की छात्राओं के लिए 520 आसन वाला +2 कन्या आवासीय विद्यालय भवनों का निर्माण कार्य, 889.26 करोड रुपये की लागत से बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना के भवन का निर्माण कार्य, 740.82 करोड़ रुपये की लागत से राजगीर में राज्य खेल अकादमी –सह–अन्तर्राष्ट्रीय मानक के क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कार्य एवं 640.55 करोड़ रुपये की लागत से पटना में ए०पी०जे० अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

- गर्दनीबाग आवासीय परिसर में 518.63 करोड़ रुपये की लागत से 752 इकाई का पदाधिकारी आवासन जिसमें 48 इकाई आवासन का कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष 704 इकाई आवासन निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा 281.62 करोड़ रुपये की लागत से 752 इकाई का तृतीय श्रेणी के कर्मियों हेतु आवासन की योजना का कार्य प्रगति पर है।

- 314.09 करोड़ रुपये की लागत से वैशाली में बुद्धा सम्यक दर्शन संग्रहालय–सह–स्तूप का निर्माण कार्य, 267.24 करोड़ रुपये की लागत से बिहटा (पटना) में राज्य आपदा रिस्पोन्स सेन्टर भवन का निर्माण कार्य, 250.00 करोड़ रुपये की लागत से बिहटा में विकास प्रबंधन संस्थान का निर्माण कार्य, 179.64 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न जिलों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए कुल 36 अद्द 100 आसन वाला छात्रावास का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

- सात निश्चय–1 के अन्तर्गत कुल 73.13 करोड़ रुपये की लागत से बक्सर जिला में अभियंत्रण महाविद्यालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

- 186.42 करोड़ रुपये की लागत से पटना समाहरणालय भवन का निर्माण कार्य, 158.00 करोड़ रुपये की लागत से पटना संग्रहालय का उन्नयन कार्य, 152 करोड़ रुपये की लागत से 18 जिलों में आपदा रिस्पोन्स सेन्टर–सह– प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण कार्य, 136.15 करोड़ रुपये की लागत से राज्य अतिथि गृह बोधगया का निर्माण कार्य, 84.49 करोड़ रुपये की लागत से पटना में बापू टावर का निर्माण कार्य, 37.93 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न जिलों में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए कुल 7 अद्द 100 आसन वाला छात्रावास का निर्माण कार्य, 30.52 करोड़ रुपये की लागत से पटना में राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध संस्थान का निर्माण कार्य एवं 61.62 करोड़ रुपये की लागत से विश्वेश्वरैया भवन का आधुनिकीरण का कार्य अग्रिम चरण में है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में स्कीम मद में 4,007.51 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 1,005.15 करोड़ रुपये कुल 5,012.66 करोड़ रुपये बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

ग्रामीण कार्य विभाग

- राज्य के 100 या उससे अधिक आबादी वाले सभी असम्पर्कित बसावटों/टोलों को सम्पर्कता प्रदान करने हेतु नये पथों के निर्माण के साथ–साथ पूर्व निर्मित ग्रामीण पथों के सुदृढ़ीकरण

एवं अनुरक्षण कार्य हेतु राज्य सरकार कृतसंकल्पित है।

- **मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (अन्य राज्य योजना सहित)**– राज्य के सभी जिलों में 250 से अधिक जनसंख्या वाले सभी टोलों/बसावटों को वर्ष 2024–25 तक बारहमासी एकल सड़क सम्पर्कता प्रदान करने का लक्ष्य है। इस योजना के अंतर्गत अबतक कुल 57703.28 कि0मी0 पथों एवं 785 पुलों का निर्माण कार्य किया जा चुका है तथा शेष पथों एवं पुलों का कार्य निर्माण के विभिन्न चरणों में है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में 3,000 कि0मी0 लम्बाई के ग्रामीण पथों का निर्माण कराने का लक्ष्य है।

- **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना** :– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना–I के अंतर्गत अबतक 53238.21 कि0मी0 पथों एवं 1142 पुलों का निर्माण कार्य कराया गया है तथा 248 कि0मी सडकें एवं 61 पुलों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना–II** अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 2456.47 कि0मी0 ग्रामीण पथों के उन्नयन एवं 103 पुलों के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हुई है जिसमें से 2428.63 कि0मी0 पथों एवं 98 पुलों का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। 15.47 कि0मी0 पथों एवं 04 पुलों का कार्य प्रगति में है। **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना–III** अंतर्गत 6162.89 कि0मी0 लम्बाई के पथों के उन्नयन एवं 609 पुलों के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हुई है जिसमें से 2842.14 कि0मी0 पथों एवं 53 पुलों का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। 1433.54 कि0मी0 पथों एवं 98 पुलों का कार्य प्रगति में है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत 2,700 कि0मी0 लम्बाई के ग्रामीण पथों एवं 550 पुलों का निर्माण कराने का लक्ष्य है।

- **मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ अनुरक्षण कार्यक्रम** – राज्य सरकार द्वारा बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति, 2018 लागू की गई है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में 10,000 कि0मी0 लम्बाई के ग्रामीण पथों के मरम्मति एवं अनुरक्षण कराये जाने का लक्ष्य है।

- **ग्रामीण टोला निश्चय सम्पर्क योजना** :– इस योजना के तहत अबतक कुल लक्षित 4643 बसावटों/टोलों को सम्पर्कता प्रदान करते हुए 3977.30 कि0मी0 सड़कों का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण कर लिया गया है।

- **मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (अवशेष)** :– 'मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (अवशेष)' अन्तर्गत राज्य के सभी 38 जिलों में 100 या इससे अधिक की अबादी के छूटे हुए 7209 असम्पर्कित ग्रामों/टोलों/ बसावटों को बारहमासी एकल सम्पर्कता प्रदान करने के क्रम में 8283 कि0मी0 ग्रामीण पथों के निर्माण एवं इसका पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य किया जायेगा। इस योजना की कुल अनुमानित लागत 9038.73 करोड़ रुपये है। अब तक कुल 1829

किलोमीटर की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में कुल 1360 कि0मी0 लंबाई के ग्रामीण पथों का निर्माण कराने का लक्ष्य है।

- **मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजनाः**– राज्य के सभी जिलों में चिन्हित ग्रामीण सड़कों के पुनर्निर्माण/उन्नयन द्वारा ग्रामीण सड़क नेटवर्क को मजबूत किये जाने के उद्देश्य से विभिन्न योजना से निर्मित एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि से बाहर हुए वैसे ग्रामीण पथ जिनकी निरूपण अवधि पूर्ण हो चुकी है अथवा निरूपण अवधि के पूर्व ही निरूपित यातायात को प्राप्त कर लिया गया है (लगभग 10,000 कि0मी0 पथों) के उन्नयनार्थ पुनर्निर्माण/सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण हेतु योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना अन्तर्गत अब तक कुल 403 पथों (लम्बाई 1668.93 किलोमीटर) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किये जाने के पश्चात् कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। शेष पथों के लिए अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है।

- **कृषि रोड मैपः**– चतुर्थ कृषि रोड मैप (2023–28) के अधीन आर0 आई0 डी0 एफ0 ऋण सम्पोषित राज्य योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में 346 उच्च स्तरीय आर0 सी0 सी0 पुल निर्माण कार्यों हेतु कार्रवाई की गयी है। इन संरचनाओं के निर्माण से जल जमाव वाले क्षेत्रों से जल निकासी कर उपलब्ध भूमि को कृषि योग्य बनाने में मदद मिलेगी तथा कृषि उत्पादों की बाजार तक पहुँच में सुगमता होगी।

- **आधारभूत संरचनाओं का निर्माण** :– राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत संरचना के विकास के लिए उन्नत कोटि की बारहमासी सड़कों का निर्माण प्रमुख है। इसके लिए राज्य के सभी असम्पर्कित गाँवों/टोलों को सम्पर्कता प्रदान करने हेतु नये पथों के निर्माण के साथ–साथ पूर्व निर्मित ग्रामीण पथों के सुदृढ़ीकरण एवं अनुरक्षण कार्य हेतु राज्य सरकार कृत–संकल्पित है। अब तक कुल 1,18,348 बसावटों को सम्पर्कता प्रदान करते हुए 1,15,203.76 कि0मी0 पथों का निर्माण कराया गया है एवं अवशेष 10,942 बसावटों को सम्पर्कता प्रदान करने हेतु कुल 13,962.83 कि0मी0 पथों का निर्माण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 2,124 उच्च स्तरीय आर0सी0सी0 पुलों का भी निर्माण कराया गया है, तथा अवशेष 1006 पुलों का निर्माण एक साथ कार्य प्रगति में है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में स्कीम मद में 7,409.13 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 2,123.18 करोड़ रुपये कुल 9,532.31 करोड़ रुपये बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

योजना एवं विकास विभाग

- **मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजनाः**— वर्ष 2011—12 में राज्य के सभी जिलों में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना प्रारंभ की गयी है। वित्तीय वर्ष 2023—24 से प्रति विधान मंडल सदस्य की अनुशंसा हेतु अनुमान्यता राशि 3 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 4 करोड़ रुपये की गई है।

- **मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजनाः**— इस योजना अन्तर्गत कुल 7,02,943 आवेदकों को स्वयं सहायता भत्ता का भुगतान किया गया है जिसपर कुल व्यय 969.80 करोड़ रुपये है।

- **जीवनांक सांख्यिकीः**— राज्य के सभी जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण इकाइयों में CRS Portal के माध्यम से जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण का कार्य किया जा रहा है। जन्म और मृत्यु की घटनाओं का रजिस्ट्रीकरण के प्रति आम लोगों में जागरूकता लाने हेतु दैनिक समाचार पत्र, टेलीविजन आदि के माध्यम से प्रचार—प्रसार कराया जा रहा है।

- **कृषि सांख्यिकीः**— कृषि सांख्यिकी के आंकड़ों की शुद्धता, विश्वसनीयता एवं समयबद्धता को सुनिश्चित किये जाने हेतु जिओ टैगिंग Mobile App (CCE App) के माध्यम से फसल कटनी प्रयोग सम्पादित किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2024—25 में स्कीम मद में 2,001.78 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 214.70 करोड़ रुपये कुल 2,216.48 करोड़ रुपये बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

- पेयजल गुणवत्ता के राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सभी ग्रामीण परिवारों को 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से जलापूर्ति की जा रही है, जो राष्ट्रीय औसत से 15 लीटर अधिक है।

- 'हर घर नल का जल' निश्चय के तहत गैर गुणवत्ता प्रभावित 16,426 वार्डों के 3,393 छूटे हुए टोलों/बसावट में पेयजल की व्यवस्था हेतु जलापूर्ति योजना के निर्माण तथा 5 वर्षो के परिचालन एवं रख—रखाव के लिए 1063.46 करोड़ रुपये की योजना का क्रियान्वयन प्रारंभ है।

- 'हर घर नल का जल' निश्चय के तहत भूजल गुणवत्ता से प्रभावित 30,207 वार्डों के 7,326 छूटे हुए टोलों/बसावट में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हेतु जलापूर्ति योजना के निर्माण तथा 5 वर्षो के परिचालन एवं रख—रखाव के लिए 3642.72 करोड़ रुपये की योजना का क्रियान्वयन

प्रारंभ है।

- 'हर घर नल का जल' निश्चय अंतर्गत 56,447 वार्डों के कुल 84.46 लाख परिवारों को 'नल का जल' उपलब्ध कराने का लक्ष्य के विरूद्ध दिनांक 15.11.2023 तक 55,949 वार्डों में कार्य पूरा किया है और 83.24 लाख परिवारों को जलापूर्ति की जा रही है।
- 30,2077 ग्रामीण वार्ड भूजल गुणवत्ता से प्रभावित हैं। 4,709 वार्डों के भूजल में आर्सेनिक, 3789 वार्डों के भूजल में फ्लोराईड और 21709 वार्डों के भूजल में आयरन की मात्रा निर्धारित अनुमान्य सीमा से अधिक है। इन वार्डों में मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) और अन्य योजना अंतर्गत जल शुद्धिकरण संयंत्र युक्त जलापूर्ति योजनाएं अधिष्ठापित की गई हैं और प्रभावित वार्डों में शोधित जलापूर्ति की जा रही है।
- आर्सेनिक प्रभावित वार्डों में से 4,683 वार्डों में 'नल का जल' उपलब्ध कराने का कार्य पूर्ण हो चुका है और 6.74 लाख परिवारों को आर्सेनिक मुक्त जलापूर्ति की जा रही है।
- फ्लोराईड प्रभावित वार्डों में से 3780 वार्डों में 'नल का जल' उपलब्ध कराने का कार्य पूर्ण हो चुका है और 4.64 लाख परिवारों को शोधित जलापूर्ति की जा रही है।
- आयरन प्रभावित वार्डों में से 21,282 वार्डों में कार्य पूर्ण हो चुका है और 35.13 लाख परिवारों को आयरन मुक्त पेयजल की आपूर्ति की जा रही है।
- राज्य के गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र में 1118 पाईप्ड जलापूर्ति योजनाओं में पाईप लाईन का विस्तार करते हुए लाभुक परिवारों को 'नल का जल' उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई है। साथ ही, पूर्व से स्वीकृत योजनाओं के माध्यम से आच्छादित क्षेत्र के सभी 8148 वार्डों के 11.28 लाख परिवारों को 'नल का जल' उपलब्ध कराया जा रहा है। इस लक्ष्य के विरूद्ध 8138 वार्डों के 11.20 परिवारों को 'नल का जल' उपलब्ध कराया जा चुका है।
- गंगा नदी से पानी लेकर राज्य के बक्सर, भोजपुर, वैशाली, बेगूसराय, पटना एवं भागलपुर जिलों के 1070 आर्सेनिक प्रभावित वार्डों में जलापूर्ति प्रारंभ कर दी गई है। मुंगेर जिला के खड़गपुर झील के पानी को शुद्ध कर 13 फ्लोराईड प्रभावित वार्डों में जलापूर्ति की जा रही है। नवादा जिला में फुलवरिया डैम के पानी को शुद्ध कर रजौली प्रखण्ड के 89 वार्डों में जलापूर्ति की जा रही है। पनचाने नदी में ट्यूवबेल अधिष्ठापित कर नालन्दा जिला के सिलाव एवं राजगीर प्रखण्ड के 102 वार्डों में जलापूर्ति की जा रही है। पश्चिम चंपारण जिला के बूढ़ी

गंडक नदी में ट्यूवबेल अधिष्ठापित करते हुए चनपटिया प्रखण्ड के 44 ग्रामीण वार्डों में जलापूर्ति की जा रही है। बेगूसराय जिला के बूढ़ी गंडक नदी के पानी को शुद्ध कर चेरिया बरियारपुर प्रखण्ड के 70 वार्डों में जलापूर्ति की जा रही है। लखीसराय जिला में बुधौली बंकर बहुग्रामीय योजना से 22 वार्डों में जलापूर्ति की जा रही है। वैशाली जिला में बिदुपुर बहुग्रामीय जलापूर्ति योजना से 159 वार्डों में जलापूर्ति की जा रही है। भोजपुर जिला में मौजमपुर बहुग्रामीय जलापूर्ति योजना से आर्सेनिक प्रभावित 97 वार्डों में जलापूर्ति की जा रही है। भागलपुर जिला में कहलगाँव–पीरपैंती बहुग्रामीण जलापूर्ति योजना से आर्सेनिक प्रभावित 236 वार्डों में जलापूर्ति की जा रही है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में स्कीम मद में 1,447.65 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 400.57 करोड़ रुपये कुल 1,848.22 करोड़ रुपये बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

श्रम संसाधन विभाग

कुशल कामगारों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सरकार के सात निश्चय योजना के अन्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की गयी है। गत वर्ष राघोपुर (वैशाली) एवं एकमा (सारण) में नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना के साथ राज्य में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या 151 हो गयी है। इनमें से 117 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का अपना भवन है एवं शेष 34 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में से 05 संस्थानों का भवन निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है एवं अन्य निर्माणाधीन है। राज्य के कुल 151 संस्थानों में से 149 संस्थान NCVT से एवं 02 संस्थान SCVT से संबंधन प्राप्त है, जिनकी क्षमता 41 व्यवसायों में 32,828 युवाओं/युवतियों को प्रशिक्षित करने की है।

- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से Center of Excellence बनाये जाने के निमित्त टाटा टेक्नोलॉजी के साथ समझौता पत्र हस्ताक्षर किया गया है जिसके तहत संस्थानों में 23 नवीन एवं उन्नत कोर्स प्रारम्भ किये जाऐंगे। इससे प्रतिवर्ष 60 हजार प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रथम चरण में 60 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में Center of Excellence बनाये जाने का काम लगभग पूरा हो चुका है तथा प्रशिक्षण का कार्य प्रारम्भ हो चुका है। आगामी वित्तीय वर्ष में द्वितीय चरण के 89 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को Center of Excellence बनाया जाएगा।

- बिहार राज्य से बाहर अथवा विदेश में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के कल्याणार्थ संचालित बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना अन्तर्गत अनुदान की राशि में वृद्धि की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में अब तक 144 लाभुकों को राशि उपलब्ध करायी गयी है।

- "बिहार शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना 2011" के तहत वित्तीय वर्ष 2023–24 में अब तक राज्य में कुल 2074 लाभुकों/आश्रितों के बीच 12.06 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करायी गयी है।

- बाल श्रम उन्मूलन अन्तर्गत धावादल के माध्यम से सघन अभियान चलाकर बाल श्रम उन्मूलन की दिशा में बाल श्रमिकों की विमुक्ति जारी है। इसके लिए Child Labour Tracking System सॉफ्टवेयर को अद्यतन किया गया है। मुख्यमंत्री राहत कोष से अबतक 2592 बाल श्रमिकों को 25,000 रुपये की दर से कुल 6.48 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करायी गयी है।

- बिहार कौशल विकास मिशन अन्तर्गत विभिन्न प्रशिक्षण योजनाओं यथा–कुशल युवा प्रोग्राम, डोमेन स्किलिंग, RTD (भर्ती–प्रशिक्षण–तैनाती) एवं RPL (पूर्वाजित ज्ञान प्रमाणन) में वित्तीय वर्ष 2023–24 (31 दिसम्बर, 2023 तक) में कुल 2,09,340 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है, तथा जॉब कैम्प/प्लेसमेंट ड्राईव के माध्यम से 31,000 से अधिक युवाओं को सीधे रोजगार का अवसर प्रदान किया गया है। संकल्प योजना के अन्तर्गत टायर फिटर, स्ट्रीट फूड विक्रेता, स्ट्रीट वेंडर्स तथा पटना नगर निगम के अन्तर्गत गरीब महिलाओं को ई–कार्ट ड्राईविंग का प्रशिक्षण कराकर नवाचारी प्रयोग किए गए हैं।

- वित्तीय वर्ष 2023–24 में माह दिसम्बर, 2023 तक नियोजन मेला के माध्यम से 25,403 आवेदकों एवं नियोजन कैम्प के माध्यम से 21,521 आवेदकों सहित कुल 46,924 आवेदकों को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया गया है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में स्कीम मद में 957.53 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 268.89 करोड़ रुपये कुल 1,226.42 करोड़ रुपये बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

ऊर्जा विभाग

- राज्य के लगभग 2 करोड़ उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति सुचारू रूप से हो रही है। शहरी क्षेत्रों में औसतन लगभग 23–24 घंटे तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 21–22 घंटे विद्युत की आपूर्ति की जा रही है। सम्प्रति बिहार में विद्युत की उपलब्धता लगभग 9000 मेगावाट है, जिसमें 2486 मेगावाट बिजली नवीन एवं नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त होती है। भविष्य में बाढ़ का एक एवं बक्सर तथा नॉर्थ कर्णपुरा थर्मल पावर स्टेशन की दो–दो निर्माणाधीन इकाईयों से बिहार को लगभग 2099 मेगावाट अतिरिक्त बिजली प्राप्त होगी।

- **जल–जीवन–हरियाली अभियान** के तहत राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कजरा (लखीसराय) में 1810.37 करोड़ रुपये की लागत से बैटरी स्टोरेज प्रणाली के साथ 185 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा परियोजना का अधिष्ठापन किया जा रहा है। राज्य के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल यथा राजगीर, बोधगया एवं पटना शहर के कुछ हिस्सों को परम्परागत ऊर्जा के स्थान पर चौबीसों घंटे **हरित ऊर्जा** के माध्यम से बिजली उपलब्ध कराने के लिए सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (SECI) के साथ **210 मेगावाट** हरित ऊर्जा की आपूर्ति हेतु एकरारनामा किया गया है। इसके अंतर्गत दिन में सौर ऊर्जा के माध्यम से तथा सूर्यास्त के बाद अगले सूर्योदय तक सौर ऊर्जा से संचालित पम्प स्टोरेज प्लांट के माध्यम से आवश्यक मात्रा में बिजली उपलब्ध होगी। इस परियोजना को जुलाई, 2024 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

- वर्तमान में कार्यरत ग्रिड उपकेंद्रों की संख्या विगत एक वर्ष में 161 से बढ़कर **164** तथा संचरण लाईन की लम्बाई 18,740 सर्किट किलोमीटर से बढ़कर **19,527** सर्किट किलोमीटर हो गयी है। इसके फलस्वरूप, कुल विद्युत निकासी क्षमता 13,544 मेगावाट से बढ़कर **14,024** मेगावाट हो गयी है। वर्ष 2024–25 तक ग्रिड सब–स्टेशनों की कुल संख्या बढ़कर **176** हो जाएगी।

- राज्य सरकार के **चतुर्थ कृषि रोडमैप (2023–2028)** अन्तर्गत कृषि हेतु पृथक फीडरों के सोलराईजेशन तथा विद्युत संरचना के निर्माण के साथ–साथ **4.80 लाख** कृषि पम्प सेटों को निःशुल्क नया विद्युत संबंध दिया जाना है। विद्युत संरचना के निर्माण तथा कृषि हेतु निःशुल्क विद्युत संबंध प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा **मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना फेज–2** अन्तर्गत 2190.75 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इसके अतिरिक्त कृषि हेतु निर्मित 1354 डेडीकेटेड फीडरों को सौर ऊर्जा से ऊर्जान्वयन की भी योजना है।

- **मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना** अन्तर्गत विभिन्न श्रेणी के विद्युत

उपभोक्ताओं को विद्युत खपत में प्रति यूनिट अनुदान दिया जा रहा है। कृषि उपभोक्ताओं को अतिरिक्त अनुदान देते हुए मात्र **70 पैसे प्रति यूनिट** की दर से सस्ती बिजली उपलब्ध करायी जा रही है। महंगे डीजल की जगह सस्ती बिजली के उपयोग से फसल के लागत मूल्य में कमी आयी है जिसका सीधा लाभ किसानों को प्राप्त हो रहा है। वित्तीय वर्ष 2023–24 के टैरिफ निर्धारण के क्रम में आयोग द्वारा ऊर्जा शुल्क में 24.10 प्रतिशत की वृद्धि की गई। परन्तु, राज्य सरकार द्वारा अनुदान की राशि बढ़ाकर कुल 13,114 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई ताकि उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त वित्तीय भार न पड़े।

- **स्मार्ट प्री–पेड मीटरः**– बिहार देश का पहला राज्य है, जहाँ बिजली उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। अबतक **25 लाख से अधिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर** लगाये जा चुके हैं।

- **निजी आवासीय भवनों पर ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट का अधिष्ठापनः**– राज्य में वितरण कम्पनियों द्वारा निजी आवासीय भवनों पर ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट का अधिष्ठापन किया जा रहा है। इसके लिए केन्द्र सरकार द्वारा दिये जा रहे अनुदान के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त 25 प्रतिशत का अनुदान दिया जा रहा है। अबतक कुल 2,344 निजी आवासीय भवनों पर 9 मेगावाट से अधिक क्षमता की ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाये जा चुके हैं।

- **राज्य के विभिन्न सरकारी भवनों** के छत पर CAPEX MODEL के तहत 9.90 मेगावाट क्षमता का ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लान्ट के अधिष्ठापन का कार्य किया जा चुका है।

- **बिहार राज्य जल विद्युत निगमः**– बिहार राज्य में वर्तमान में कुल **13** जल विद्युत परियोजनाएँ उत्पादनरत हैं, जिसकी कुल क्षमता **54** मेगावाट है। इसके अतिरिक्त कुल 9.3 मेगावाट क्षमता की 11 जल विद्युत परियोजनाएँ निर्माणाधीन हैं।

- **रोजगार सृजनः**– अगले वित्तीय वर्ष में ऊर्जा विभाग अधीनस्थ बिहार स्टेट पावर (हो०) कं0 लि0 एवं इसकी अनुषंगी कम्पनियों में विभिन्न सेवा संवर्गों के कुल 2640 पदों पर नियुक्ति प्रस्तावित है, जिसमें से मुख्यतः तकनीशियन ग्रेड–III के 2000 पदों पर नियुक्ति की जानी है। चालू वित्तीय वर्ष में अबतक विद्युत कम्पनियों में विभिन्न परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया

गया है, जिसमें कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से बड़े पैमाने पर कुशल एवं अकुशल श्रमिकों को रोजगार प्राप्त हुए हैं।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में स्कीम मद में 1,586.52 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 9,836.16 करोड़ रुपये कुल 11,422.68 करोड़ रुपये बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

- सरकार के सात निश्चय कार्यक्रम के अंतर्गत युवा उप मिशन **''अवसर बढे, आगे पढ़े''** के तहत राज्य के सभी जिलों के लिए एक अभियंत्रण महाविद्यालय एवं एक पोलिटेकनिक संस्थान स्थापित एवं संचालित है।
- नवस्थापित सभी अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं पोलिटेकनिक संस्थानों में उच्च स्तर के प्रयोगशालाओं का निर्माण किया गया है जिसे आगे और सुदृढ़ किया जाना प्रस्तावित है।
- सुशासन के कार्यक्रम 2020–25 के तहत अभियंत्रण शिक्षा को सुदृढ़ करने हेतु बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय के कार्यप्रणाली को सुदृढ़ किया जायेगा। इस हेतु भवनों के निर्माण एवं अन्य कार्य (फर्नीचर) हेतु कुल 66.9211 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।
- राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों में उभरते हुए तकनीक यथा–इंटरनेट ऑफ थिंग्स आर्टिफिसियल इन्टेलिजेंस, 3डी प्रिन्टिग, रोबोटिक्स, इंडस्ट्रीयल ऑटोमेशन, इलेक्ट्रीक वेहिकल, ड्रोन टेक्नोलॉजी, ऑप्टिकल फाइबर में प्रशिक्षण की गुणवता बढाने तथा उद्योग के मांग के अनुसार व्यवहारिक कौशल निर्माण एवं इस हेतु मनोनीत नॉलेज पार्टनर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना द्वारा 33 राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों में द्वितीय चरण में सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की योजना का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु 122.86 करोड़ रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।
- वित्तीय वर्ष 2023–24 में 02 नये पोलिटेकनिक संस्थानों, राजकीय पोलिटेकनिक, बाढ़/राजकीय पोलिटेक्निक (टेक्सटाईल टेक्नोलॉजी) भागलपुर संचालित किया गया है। गया अभियंत्रण महाविद्यालय, गया में Bachelor of Architecture (B.Arch) की पढ़ाई हेतु 40 सीटों के लिए Council of Architecture (COA) द्वारा मान्यता प्रदान की गई है।

- पूर्व से कार्यरत शिक्षकों के अतिरिक्त राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में कुल 1258 पदों पर तथा राजकीय पोलिटेक्निक संस्थानों में कुल 720 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त बिहार लोक सेवा आयोग से सहायक प्राध्यापक के कम्प्यूटर साईंस एंड इंजीनियरिंग के पदों पर नियुक्ति हेतु 202 सफल अभ्यर्थियों की अनुशंसा प्राप्त हुई है जिसके आलोक में नियुक्ति की कार्रवाई की जा रही है।

- तारामंडल–सह–विज्ञान संग्रहालय, दरभंगा के प्रथम चरण का निर्माण कार्य पूर्ण है एवं जून, 2023 से यह आमजन के लिए संचालित है। उप–क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र एवं नव–प्रवर्त्तन केन्द्र, गया का निर्माण 5.99 करोड़ रुपये से किया गया है एवं जुलाई 2023 से यह आमजन के लिए संचालित है। इन्दिरा गाँधी विज्ञान परिसर, तारामंडल, पटना का आधुनिकीकरण किया जा रहा है जिसका कार्य अंतिम चरण में है।

- राज्य के छात्रों को गणित विषय में अभिरूचि उत्पन्न करने तथा प्रतिभा के आधार पर उन्हें प्रोत्साहित किये जाने के उद्देश्य से बिहार काउन्सिल ऑन साईन्स एण्ड टेक्नोलॉजी एवं बिहार मैथमेटिकल सोसासटी के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय गणित दिवस का आयोजन जिला एवं राज्य स्तर पर किया गया है।

- सरकार के सात निश्चय–2 के तहत निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय क्रियाशील हो चुका है। बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय से सम्बद्ध राज्य के सभी अभियंत्रण महाविद्यालयों में पाठ्यक्रमवार एवं कोटिवार कुल सीटों का एक तिहाई महिला अभ्यर्थियों के नामांकन के लिए क्षैतिज रूप से आरक्षित है।

- राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों में कुल सीटो की संख्या 10,965 से बढकर 13,835 तथा राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों में डिप्लोमा स्तर पर नवीनतम विधाओं सहित सीटो की संख्या 12,321 से बढकर 16,245 हो गई है।

- स्थापित एवं संचालित 38 राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं 46 राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों के शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं अन्य भवनों तथा कैम्पस परिसर में क्रमशः 500 Mbps एवं 300 Mbps की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ नेटवर्किंग एवं वाई–फाई की सुविधा हेतु दो वर्षों (वित्तीय वर्ष 2023–24 तथा 2024–25) के लिए कुल 47.15 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

- **पहल कार्यक्रम**– राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों में पदस्थापित शिक्षकों द्वारा रोस्टर तैयार कर गणित, विज्ञान, रसायन, भौतिकी एवं अंग्रेजी

विषय में स्थानीय स्कूली छात्र/छात्राओं को अध्ययन एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु मार्गदर्शन प्रदान किये जाने के उद्देश्य से निःशुल्क कार्यक्रम **''पहल''** की शुरूआत की गई है तथा नियमित रूप से इसकी कक्षाएँ आयोजित की गयी है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में स्कीम मद में 438.45 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 633.86 करोड़ रुपये कुल 1,072.31 करोड़ रुपये बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

आपदा प्रबंधन विभाग

- वर्ष 2023 में राज्य में बाढ़ से 05 जिलों **यथा, सुपौल, सहरसा, किशनगंज, दरभंगा एवं मधुबनी के** अन्तर्गत लगभग 3.81 लाख मानव आबादी तथा लगभग 0.42 लाख पशु प्रभावित हुए। बाढ़ प्रभावितों के बीच लगभग 28902 ड्राई राशन पैकेट एवं 37597 पॉलीथीन शीट्स का वितरण किया गया। बाढ़ प्रभावित 54686 परिवारों को 7000 रुपये प्रति परिवार की दर से सहायता राशि का भुगतान किया गया है।

- **एस०डी०आर०एफ० वाहिनी मुख्यालय, बिहटा (पटना) के परिसर में स्थायी संरचनाओं का निर्माण कार्यः**– राज्य आपदा मोचन बल (SDRF) राज्य मुख्यालय, बिहटा (पटना) के परिसर में 25 एकड़ की भूमि पर 287.52 करोड़ रुपये की लागत से स्थायी भवन व अन्य सुविधाओं का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसे अगले दो वर्षों के अन्दर पूर्ण कर लिया जाएगा।

- District Emergency Response Facility-cum-Training Centre :- राज्य में आपदाओं के दौरान रिस्पौंस से संबंधित गतिविधियों के बेहतर संचालन एवं रिस्पौंस टीमों के सुव्यवस्थित प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्द्धन के उद्देश्य से चरणबद्ध तरीके से राज्य में 38 स्थानों पर District Emergency Response Facility-cum-Training Centre का निर्माण कराया जा रहा है। प्रत्येक सेंटर पर राज्य आपदा रिस्पौंस बल (SDRF) की एक टीम को राहत एवं बचाव तथा संचार उपकरणों के साथ तैनात किया जाएगा।

- **राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र (SEOC) का सुदृढ़ीकरणः**– आपदाओं के आने पर प्रभावी एवं त्वरित ढंग से राहत एवं बचाव कार्यों के संचालन के दौरान राज्य मुख्यालय, जिला मुख्यालय एवं विभिन्न हितधारकों के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित करने हेतु राज्य मुख्यालय

स्तर पर सरदार पटेल भवन, पटना में क्रियाशील राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र (3) का सुदृढ़ीकरण किया गया है, जिसके अन्तर्गत SEOC में नवीन तकनीक आधारित संचार प्रणाली, यंत्र एवं उपस्कर, हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन आदि की समुचित व्यवस्था की गई है।

- सरदार पटेल भवन, पटना में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस नवीकृत राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र तथा निर्णय समर्थन प्रणाली (Decision Suport System) का शुभारंभ दिनांक 31.01.2024 को किया गया है। इससे आपदा प्रबंधन कार्यों का और बेहतर ढ़ंग से समन्वय के साथ निष्पादन किया जा सकेगा।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में स्कीम मद में 1.28 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 5,274.97 करोड़ रुपये कुल 5,276.25 करोड़ रुपये बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 को लागू करने वाला बिहार देश का प्रथम राज्य है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में क्रमशः 85.12% एवं 74.53% जनसंख्या को आच्छादित करने का लक्ष्य निर्धारित है, जिसके विरूद्ध वर्तमान में 1.91 करोड़ पूर्वीकत्ताप्राप्त गृहस्थी एवं अन्त्योदय परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है।

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के तहत FPS Automation योजनान्तर्गत वर्तमान में राज्य के सभी जन वितरण प्रणाली दुकानों में PoS मशीन का अधिष्ठापन किया गया है, जिसके माध्यम से लाभुकों के बायोमेट्रिक सत्यापन के पश्चात् पात्र लाभुकों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। One Nation One Ration Card की योजना भी राज्य के उपभोक्ताओं के लिए लागू है।

- विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्था 2023–24 में राज्य के पंजीकृत किसानों से धान की अधिप्राप्ति भारत सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य के आधार पर नोडल अभिकरण बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के द्वारा किसानों को 48 घंटे के अन्दर भुगतान कर धान खरीदे जाने की व्यवस्था खरीफ विपणन मौसम 2023–24 अन्तर्गत की गई है।

- खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में कुल 236 नियुक्तियां एवं वित्तीय वर्ष 2023–24 में कुल 24 नियुक्तियां की गयी है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में स्कीम मद में 1,056.74 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 193.46 करोड़ रुपये कुल 1,250.20 करोड़ रुपये बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

पर्यटन विभाग

- राज्य में विभिन्न पर्यटकीय संरचनाओं का विकास, होटलों का विकास, परिवहन के साधनों का विकास, अहम पर्यटक गंतव्य पर रोप–वे निर्माण इत्यादि पहल की गई है। वर्ष 2023 में राज्य में 8 करोड़ से अधिक पर्यटक पहुंचे हैं। राज्य में पिछले पांच वर्षों में पर्यटकों की यह सर्वाधिक आमद है।

- गया जी धाम में दिनांक 08.09.2023 को उच्च स्तरीय सुविधाओं से युक्त धर्मशाला निर्माण की आधारशिला रखी गयी है। 120 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस धर्मशाला में श्रद्धालुओं को गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं मिलेगी। दिनांक 13.12.2023 को सीतामढ़ी जिलान्तर्गत **मां जानकी जन्म स्थली पुनौराधाम** के विकास कार्य का शिलान्यास किया गया है। राज्य में यात्रा के दौरान पर्यटकों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु ''सत्कार केंद्र'' का विकास किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा पर्यटकों के आवासन की सुविधा के लिए तीन 5–स्टार होटल बनाने का निर्णय लिया गया है।

- राज्य के पर्यटक स्थानों को देश के कोने–कोने तक पहुंचाने के लिए विभाग की ओर से कई नवीन पहल किये गए हैं। इसके तहत फोटोग्राफी प्रतियोगिता, रील मेकिंग प्रतियोगिता, कंटेंट राइटिंग प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया है।

- टूरिज्म अनुभव को उच्चतम शिखर तक पहुंचाने के लिए गाईड की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता है। विभाग द्वारा राज्य के सभी गाईडों के लिए 6 सप्ताह का एक अत्यंत आधुनिक प्रशिक्षण होटल प्रबंधन संस्थान, हाजीपुर तथा बोधगया में आयोजित किया गया है। विभाग द्वारा गाईडों के लिए ड्रेस कोड भी निर्धारित किया गया है।

- बिहार का उत्तरी छोर हिमालय का तराई क्षेत्र है, जहां वाल्मिकीनगर टाईगर रिजर्व में 50 से अधिक टाईगर संरक्षित अवस्था में उपलब्ध हैं। इसी तरह संपूर्ण बिहार नदी मार्गो, झील तथा पोखरों से आच्छादित है, जिन्हें पर्यटकीय दृष्टिकोण से विकसित करने हेतु विशेष प्रयास किया जा रहा है। वहीं बिहार के दक्षिण में पड़नेवाली कैमूर, रोहतास की पहाड़ियाँ तथा मुंगेर, जमुई तथा बाँका के जलाशयों, जल–प्रपात तथा जंगल भी इको–टूरिज्म की दृष्टि से अत्यंत

मनोरम हैं। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के साथ मिलकर इको–टूरिज्म का विकास किया जा रहा है। इसके लिए कुछ गतिविधियों यथा–ट्रेकिंग, साईकिल रूट्स, नाईट कैम्पिंग, मोटर साईकल ट्रिप्स आदि के लिए विशेष प्रयास किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में स्कीम मद में 420.00 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 42.44 करोड़ रुपये कुल 462.44 करोड़ रुपये बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

गृह विभाग

- बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में आवश्यकता आधारित सीधी नियुक्ति के 48,447 पद एवं ERSS द्वितीय चरण के 19,288 पद सहित पुलिसकर्मियों के कुल 67,735 विभिन्न पदों का सृजन किया गया है तथा आपात अनुक्रिया एवं सहयोग प्रणाली (Emergency Response Support System (ERSS) Dial-112 के प्रथम चरण हेतु पुलिस संवर्ग एवं गैर पुलिस संवर्ग के कुल 7,808 पदों का सृजन किया गया है। केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्त्ती) द्वारा 21,391 पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन दिया गया है। सृजित 48,447 पदों में से पुलिस अवर निरीक्षक एवं समकक्ष पद के 2,000 पद, सिपाही एवं समकक्ष के 19,469 पद एवं सिपाही चालक के 2,800 पद कुल 24,269 पदों को विमुक्त करने तथा नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

- **यातायात पुलिस संभाग** :– 28 जिलों में 4,215 यातायात बल की स्वीकृति 28 पुलिस उपाधीक्षक (यातायात) सहित प्राप्त हुई। राज्य के नवसृजित 28 जिलों में यातायात थानों एवं पुलिस उपाधीक्षक (यातायात) को कुल 84 वाहन उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गयी है। पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर एवं बिहारशरीफ (नालंदा) अन्तर्गत स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत यातायात प्रबंधन का कार्य बेहतर ढंग से प्रारम्भ किया गया है। सम्पूर्ण राज्य में दिनांक 01.11.2023 से मैनुअल चालान बंद करते हुए 1,527 HHD मशीनों के माध्यम से फोटोग्राफिक साक्ष्य के साथ पारदर्शी तरीके से यातायात प्रवर्तन की कार्रवाई की जा रही है।

- **बिहार अग्निशमन सेवा** :– सहायक प्रमण्डलीय अग्निशमन पदाधिकारी के 21 पदों, जिला अग्निशमन पदाधिकारी के 19 पदों, अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी के 53 पदों एवं अग्नि चालक के 88 पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

- **अभियोजन निदेशालय** :– सहायक अभियोजन पदाधिकारी के 553 पदों के विरूद्ध 541 पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। निम्न वर्गीय लिपिक एवं कार्यालय परिचारी के क्रमशः 69 पदों एवं 45 पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई की जा रही है।

- **पुलिस प्रशासनः**– थाना/ओ0पी0 के भवन निर्माण, जिलों में पुलिस पदाधिकारियों के कार्यालय भवन का निर्माण एवं पूर्व से पुलिस भवन निर्माण मद में सृजित दायित्व के विरूद्ध बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम को राशि उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2024–25 में निर्माण मद में 300 करोड़ रुपये कर्णांकित किया गया है।

- **बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम** द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 में विशेष सुरक्षा दल के लिए पटना में हज भवन के पीछे कार्यालय एवं बैरक आवास का निर्माण कार्य किया गया है। एस0सी0एस0टी0, नक्सल थाना, ग्रेड–4 थाना, ग्रेड–3 थाना, ग्रेड–2 थाना, पर्यटक थाना सहित कुल 86 थाना भवनों का निर्माण किया गया है। पुलिस पदाधिकारियों/कर्मियों के आवास हेतु कुल 147 यूनिट का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है। 42 थानों में आगंतुक कक्ष का निर्माण किया गया है। 02 पुलिस जिलों यथा, रोहतास एवं बगहा में जिला वितंतु भवन का निर्माण कार्य किया गया है। बिहार पुलिस एकेडमी के प्रांगण में 4,000 सिपाहियों के प्रशिक्षण के लिए आवासन हेतु बैरक एवं क्लास रूम के भवन का निर्माण कार्य किया गया है। पटना, नवगछिया, किशनगंज, शेखपुरा, अररिया, मधेपुरा, मधुबनी एवं गोपालगंज पुलिस लाईन का निर्माण कार्य किया गया है। बिहार महिला स्वाभिमान विशेष सशस्त्र पुलिस वाहिनी, वाल्मीकिनगर में भवनों का निर्माण कार्य किया गया है। मॉडल थाना, यातायात थाना, ग्रेड–3 थाना, ग्रेड–2 थाना, नक्सल थाना, रेल थाना, अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला थाना के कुल 165 थाना भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। पुलिस पदाधिकारियों/कर्मियों के आवासन हेतु 454 यूनिटों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। सिपाहियों के आवासन हेतु कुल 16,303 यूनिट बैरक सभी सुविधाओं सहित का निर्माण किया जा रहा है। विशेष महिला पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र में केन्द्रवार बुनियादी सुविधाओं के निर्माण कार्य हेतु प्रथम चरण में दो योजना– बी0वी0स0पु0–02 डेहरी एवं बी0वी0स0पु0–06 मुजफ्फरपुर में निर्माण कार्य प्रगति पर है। बिहार अग्निशमन, गृह रक्षा वाहिनी के कुल 15 योजनाओं का निर्माण कार्य कराया जा रहा है।

- **पुलिस प्रशासन के ढाँचागत सुदृढ़ीकरणः**– इस मद में वित्तीय वर्ष 2023–24 में पुलिस मुख्यालय अन्तर्गत जिला/इकाईयों के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरण/उपस्करों के क्रय

हेतु 09 पुरानी योजनाओं तथा राज्य के 40 जिलों में सेटेलाईट आधारित पोलनेट–2 एवं Fly Away Terminal के अधिष्ठापन के लिए आवश्यक उपकरणों के क्रय हेतु कुल लागत राशि 57.73 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है। राज्य के 09 शहरों में एकीकृत CCTV कैमरा एवं ट्रैफिक सिग्नल के अधिष्ठापन, पुलिस प्रशासन के ढाँचागत सुदृढ़ीकरण मद में पुलिस बल के विभिन्न प्रकार के उपकरणों एवं उपस्करों के क्रय, राज्य के जिला एवं अनुमंडलीय न्यायालयों एवं Tribunals में CCTV कैमरा अधिष्ठापित करने हेतु द्वितीय चरण की परियोजना की स्वीकृत राशि, थाना/ओ0पी0 में CCTV कैमरा अधिष्ठापित करने की स्वीकृत योजना की शेष राशि विमुक्त करने एवं Safe City Surveillance की स्वीकृत परियोजना के लिए वर्ष 2024–25 में 150 करोड़ रुपये कर्णांकित किया गया है।

- **पुलिस आधुनिकीकरण हेतु राष्ट्रीय स्कीम** –Crime and Criminal Tracking Network & System (CCTNS) परियोजना के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2023–24 में कुल 20 करोड़ रुपये विमुक्त किया गया है। CCTNS परियोजना के अन्तर्गत राज्य के विभिन्न जिलों के कुल 967 थानों को Online CCTNS Network से जोड़ा जा चुका है एवं थानों के सभी तरह के रिकार्ड का सफलतापूर्वक real-time में CCTNS System में प्रविष्टि की जा रही है। CCTNS को ICJS/ITSSO/NDSO Network से भी जोड़ दिया गया है। इसके अतिरिक्त वैसे 324 थानों/ओ0पी0 तथा जिला पुलिस अंतर्गत करीब 50 क्षेत्रीय कार्यालयों जो CCTNS से आच्छादित नहीं है, को भी CCTNS से आच्छादित करने हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। CCTNS परियोजान्तर्गत Citizen Service Portal का कार्य प्रक्रियाधीन है। राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, बिहार पटना में CCTNS प्रशिक्षण का आयोजन कर अभी तक कुल 600 पुलिस पदाधिकारियों/कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है। यह अनवरत जारी है तथा कुल 4,000 पुलिस पदाधिकारियों/कर्मियों को CCTNS से प्रशिक्षित करने का लक्ष्य इस वर्ष पूरा कर लिया जाएगा।

- ERSS **परियोजनाः**– परियोजना के प्रथम चरण के विस्तारीकरण एवं द्वितीय चरण के क्रियान्वयन हेतु कुल अनुमानित लागत राशि 766 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गयी है। यह परियोजना 24x7x365 कार्यरत है। यह आपातकालीन स्थिति में पीड़ित व्यक्तियों तक यथाशीघ्र बेहतर आपात सेवा प्रदान करती है जिसका अत्याधुनिक केन्द्रीकृत Command & Control Centre पटना में है। शुरूआत में माह जुलाई 2022 में मात्र 8,882 Event दर्ज किया गया जो बढ़कर माह दिसम्बर 2023 में 97,271 Event हो गया है। परियोजना के संचालन हेतु प्रथम चरण में कुल 7,808 पद में Command & Control Centre के लिए 391, जिलों में तैनात ERVs के लिए 7,311 तथा Dedicated

Organizational Structure के 106 पद स्वीकृत किया गया है।

- **कारा विभागः**— कारा विभाग अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022—23 में राज्य के कारागों के जीर्णोद्धार के उद्देश्य से राज्य की 16 काराओं में 34 अद्द अतिरिक्त बंदी कक्ष के निर्माण की स्वीकृति 104.73 करोड़ रुपये की लागत पर प्रदान की गई है एवं निर्माण कार्य प्रगति पर है। राज्य की विभिन्न 30 काराओं में जल—जमाव की समस्या के निराकरण हेतु नाला निर्माण कार्य इत्यादि के लिए 16.67 करोड़ रुपये की लागत पर स्कीम की स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य के 22 काराओं में 30 क्षमता के पुरूष कक्षपाल बैरक एवं 20 क्षमता के महिला कक्षपाल बैरक के निर्माण की स्वीकृति 59.53 करोड़ रुपये की लागत पर प्रदान की गई है। राज्य के 30 काराओं में संसीमित बंदियों के प्रयोजनार्थ शौचालय—सह—स्नानागार निर्माण हेतु 19.58 करोड़ रुपये की लागत पर स्कीम की स्वीकृति प्रदान की गई है। 41 काराओं में Frisking Room का निर्माण एवं सुरक्षात्मक उपकरणों के अधिष्ठापन की स्वीकृति प्रदान की गई है। आदर्श केन्द्रीय कारा, बेऊर, पटना, केन्द्रीय कारा मोतिहारी, पूर्णिया, बक्सर, शहीद जुब्बा सहनी केन्द्रीय कारा, भागलपुर, शहीद खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर, महिला मंडल कारा, भागलपुर एवं बक्सर में नये उद्योगों के अधिष्ठापन हेतु विभिन्न प्रकार के मशीनों के क्रय किए जाने के लिए कुल 4.84 करोड़ रुपये की लागत पर स्कीम की स्वीकृति प्रदान की गई है। भागलपुर जिला में कहलगांव अनुमंडल में उपकारा के निर्माण हेतु 42.37 करोड़ रुपये की लागत पर स्कीम की स्वीकृति दी गई है।

- **कब्रिस्तानों की घेराबन्दीः**— प्राथमिक सूची में चयनित 9273 कब्रिस्तानों में से अबतक 8519 कब्रिस्तानों की घेराबन्दी की जा चुकी है।

- **मंदिर चहारदीवारी निर्माण निधि योजनाः**— बिहार मंदिर चहारदीवारी निर्माण योजनान्तर्गत अबतक कुल 530 मंदिरों के चहारदीवारी के निर्माण की स्वीकृति दी गयी है, जिसमें से 451 योजनाएँ पूर्ण की जा चुकी है तथा शेष निर्माणाधीन है।

वित्तीय वर्ष 2024—25 में स्कीम मद में 855.28 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 1,5468.55 करोड़ रुपये कुल 1,6323.83 करोड़ रुपये बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

- अभिलेखों के ऑनलाईन प्रस्तुतीकरण हेतु एक पृथक Web Portal बनाया गया है, जिसमें वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2023—24 में लगभग 25 लाख पृष्ठों को अपलोड किया जा रहा है।

अगस्त क्रांति दिवस, हिन्दी दिवस, महात्मा गाँधी जयंती, लोक नायक जयप्रकाश नारायण जयंती, शिक्षा दिवस एवं डॉ० राजेन्द्र प्रसाद जयंती के अवसर पर उनसे संबंधित अभिलेखों को Web Portal पर प्रदर्शित किया गया है।

- राजभाषा हिन्दी को प्रतिष्ठित करने तथा उसे राज्य की जनता के बीच सहज, सुगम एवं लोकप्रिय बनाने के लिए राजभाषा निदेशालय द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का सफल कार्यान्वयन किया गया है। वर्ष 2023–24 से पुरस्कारों की राशि दोगुनी की गई है। राजभाषा हिन्दी के विकास एवं प्रचार–प्रसार हेतु अखिल भारतीय स्तर के हिन्दी के विद्धानों/कवियों के साथ वेबिनार, कविगोष्ठी, हिन्दी साहित्य समागम आदि का आयोजन किया गया है। वर्ष 2023–24 में हिन्दी के 35 साहित्यकारों एवं कवियों की जन्मतिथि/पुण्य तिथि समारोह आयोजित किये गये।

- द्वितीय राजभाषा उर्दू को प्रतिष्ठित करने तथा राज्य की उर्दू भाषी जनता के बीच सहज, सुगम एवं लोकप्रिय बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का सफल कार्यान्वयन किया गया है। उर्दू पुरस्कार, अनुदान योजना, जिला स्तर पर कार्यशाला/सेमिनार/वेबिनार का आयोजन के अतिरिक्त उर्दू भाषा एवं साहित्य के 22 दिवगंत विभूतियों की जयंती/पुण्य तिथि के अवसर पर स्मृति व्याख्यान का आयोजन जैसी विभिन्न योजनाएँ सफलतापूर्वक संचालित की गयी है। उर्दू भाषा को बढ़ावा देने के लिए जश्न–ए–उर्दू का आयोजन किया जाता है।

- राज्य एवं केन्द्र सरकार के मंत्रिगण तथा अन्य विशिष्ट व्यक्तियों के आवागमन हेतु राज्य के वायुयान/हेलीकॉप्टर का उपयोग किया जाता है। राज्य के अन्तर्गत सुदूर क्षेत्रों में विमान के आवागमन हेतु राजकीय हवाई अड्डा का पक्कीकरण, विस्तार, चहारदिवारी का निर्माण भवन निर्माण विभाग के माध्यम से कराया जा रहा है।

- बिहटा हवाई अड्डा पर सिविल इन्क्लेव के निर्माण हेतु 108 एकड़ के अतिरिक्त 08 एकड़ भूमि के अधिग्रहण की कार्रवाई समाहर्त्ता, पटना द्वारा किया जा रहा है।

- वित्तीय वर्ष 2024–25 में राज्य अवस्थित सभी जिलों के मुख्यालय में 24x7 नाईट लैंडिंग फैसिलिटी के साथ हैलीपैड का निर्माण, निदेशालय तथा बिहार उड्डयन संस्थान के लिए हैंगर, प्रशासनिक भवन एवं विशिष्ट/अतिविशिष्ट कक्ष का निर्माण, राज्य सरकार के स्वामित्व वाले हवाई पट्टियों के recarpeting and maintenance एवं चहारदिवारी का निर्माण कार्य, प्रशिक्षु विमान चालकों के लिए हॉस्टल निर्माण का कार्य, राजकीय हेलीकॉप्टर Dauphin VT-ENU, C-90, Cessna एवं Duchess हेलीकॉप्टर की मरम्मति तथा 02 नया Cessna

172R Glass Cockpit विमान के क्रय का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

- वित्तीय वर्ष 2023–24 में माननीय राष्ट्रपति एवं माननीय उपराष्ट्रपति, भारत के परिभ्रमण का सफल आयोजन के साथ–साथ बिहार परिदर्शन पर आये कुल 611 राज्य अतिथियों के आतिथ्य का सफल प्रबंधन किया गया। कोरिया, ब्रिटेन, फ्रांस, भूटान, नेपाल, रूस, ताइवान, यू०एस०ए०, जर्मनी, नार्वे, जापान, श्रीलंका, वियतनाम एवं इटली के महानुभावों का बिहार परिदर्शन सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ।
- विभाग द्वारा मुम्बई (महाराष्ट्र) एवं जगन्नाथपुरी (ओडीसा) में बिहार भवन हेतु जमीन ली गयी है एवं निर्माण की कार्रवाई की जा रही है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में स्कीम मद में 249.35 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 217.90 करोड़ रुपये कुल 467.25 करोड़ रुपये बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग

- सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार विभिन्न माध्यमों यथा होर्डिंग–फ्लैक्स, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आउटडोर पब्लिसिटी, विभिन्न विषयों पर वृत्तचित्र एवं फिल्म का निर्माण आदि के द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रेस रिलेटेड एक्टिविटीज, विशिष्ट अवसरों पर प्रेस कवरेज, सांस्कृतिक कार्यक्रम, नुक्कड़ नाटक, राज्य के प्रमुख मेलों एवं राजकीय महोत्सवों के अवसर पर प्रचार–प्रसार किया जाता है।
- **बिहार राज्य पत्रकार बीमा योजना** :– वित्तीय वर्ष 2023–24 में 783 पत्रकारों को बीमा से आच्छादित किया गया है।
- **पत्रकार पेंशन योजना** :– राज्य के 48 वरिष्ठ मीडिया कर्मी वर्त्तमान में पत्रकार पेंशन योजना से लाभान्वित हो रहे हैं।
- विभाग द्वारा इंफॉरमेशन टेक्नोलोजी का उपयोग करते हुए ई–प्लेटफॉर्म पर e-Advertisement, Social Media Communication Hub की स्थापना, Common Integrated Website का संचालन तथा PR Agency का उपयोग जैसे नवाचारी कार्य किये जा रहे हैं।
- सरकार द्वारा जनहित में चलाए जा रहे समाज सुधार अभियान का भी सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग द्वारा व्यापक प्रचार–प्रसार किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में स्कीम मद में 101.00 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 153.24 करोड़ रुपये कुल 254.24 करोड़ रुपये बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

निर्वाचन विभाग

- बिहार विधान परिषद् का सारण स्नातक, गया स्नातक/शिक्षक एवं कोशी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का द्विवार्षिक निर्वाचन, 2023 एवं बिहार विधान परिषद् का सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का उप निर्वाचन, 2023 सफलतापूर्वक संपन्न कराया गया।
- अर्हता तिथि 01.01.2023 के आधार पर निर्वाचक सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, 2023 भारत निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण, नियंत्रण एवं निर्देशन में कराया गया, जिसका अंतिम प्रकाशन दिनांक 27.01.2023 को सम्पन्न हुआ। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, 2023 के अवसर पर कुल 8,89,438 नये निर्वाचकों का पंजीकरण किया गया।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 848.33 करोड़ रुपये बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

संसदीय कार्य विभाग

- इस विभाग का मुख्य कार्य विधान मंडल की संयुक्त बैठक एवं अन्य बैठकों का आयोजन करवाना/दोनों सदनों की बैठक हेतु कार्यक्रम तैयार करना/विधान मंडल के प्रश्नों/ध्यानाकर्षण प्रस्तावों/निवेदनों/आश्वासनों के त्वरित कार्यान्वयन हेतु विभागीय परामर्श समितियों का गठन करना तथा उनकी बैठकों का आयोजन करना/विधान मंडलीय सदस्यों के वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधाओं की समीक्षा करना/विधायी कार्यो के संदर्भ में अन्य विभागों से समन्वय स्थापित करना है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में स्कीम मद में 7.15 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 2.72 करोड़ रुपये कुल 9.87 करोड़ रुपये बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

सामान्य प्रशासन विभाग

- **बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियमः**– वर्त्तमान में इसके अधीन 14 विभागों की कुल 153 सेवाएँ अधिसूचित हैं। दिनांक–21.12.2023 तक इसके अधीन कुल 37.51 करोड़ से

अधिक आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें 37.29 करोड़ से अधिक आवेदनों का निष्पादन किया जा चुका है। सामान्य प्रशासन विभाग की सेवाएं पूरे तौर पर ऑनलाईन किया गया है। दिल्ली एन.सी.आर. एवं आस–पास रहने वाले बिहारवासी बिहार सदन, द्वारिका, नई दिल्ली स्थित लोक सेवा केन्द्र से तथा मुम्बई में रह रहे बिहारवासी बिहार फाउंडेशन कार्यालय, मुम्बई स्थित लोक सेवा केन्द्र से बिहार सरकार की विभिन्न लोक सेवाओं को प्राप्त कर सकते हैं।

- बिहार सरकार द्वारा 05 जून 2016 को **बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम** को लागू किया गया। इसके माध्यम से राज्य सरकार के विभागों की 514 योजनाएँ, कार्यक्रम एवं सेवाएं अधिसूचित है। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम के अंतर्गत दिनांक–21.12.2023 तक 14.92 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें 14.63 लाख आवेदन को सफलतापूर्वक निष्पादित किया गया है।

- **बिहार सरकारी सेवक शिकायत निवारण प्रणाली** के अंतर्गत दिनांक–21.12.2023 तक 9771 शिकायतें दर्ज की गयी है जिसमें से 9020 का सफलतापूर्वक निष्पादन किया गया है।

- राज्य कर्मियों की कार्मिक संरचना, सेवा शर्त, देय लाभ, सेवा पुस्तिका एवं उनमें अभिलेखों के डिजीटलीकरण एवं सेवा संबंधी सुविधाएँ सरलता से प्रदान करने के उद्देश्य से **मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली** लागू की गयी है। वर्त्तमान में सभी नियमित सरकारी सेवकों का वेतन भुगतान इस प्रणाली के माध्यम से किया जा रहा है। इस प्रणाली के सभी मॉडयूल लागू हो जाने से सरकारी सेवकों को उनके पूरे सेवावृत्त की जानकारी डिजीटल माध्यम से उपलब्ध होगी तथा सेवा के सभी प्रक्रमों में पारदर्शिता के साथ कम से कम समय में निर्णय लेने में सहूलियत होगी। इससे सरकारी कर्मियों की सेवा संबंधी शिकायतों में भी कमी आएगी।

- राज्य के प्रशासनिक हित में राज्याधीन सेवाओं में प्रोन्नति के पदानुक्रम में विहित वेतनमान के साथ उच्चतर पद का प्रभार देने हेतु **''अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023''** अधिसूचित की गयी है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में स्कीम मद में 174.00 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 858.82 करोड़ रुपये कुल 1,032.82 करोड़ रुपये बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

- महात्मा गांधी के चम्पारण सत्याग्रह शताब्दी वर्ष के अवसर पर महात्मा गांधी से जुड़े स्थलों बेतिया एवं मोतिहारी जिलों में 2,000 क्षमतायुक्त प्रेक्षागृह का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा मुजफ्फरपुर में इसके निर्माण हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

- राज्य में चाक्षुष एवं प्रदर्श कला के संवर्द्धन एवं विकास हेतु सांस्कृतिक संरचना निर्माण योजना के तहत प्रमंडलीय जिला मुख्यालयों में 600 क्षमता वाले प्रेक्षागृह–सह–आर्ट गैलरी का निर्माण कार्य 07 जिलों में पूर्ण कर लिया गया है तथा भागलपुर जिला में प्रेक्षागृह–सह–आर्ट गैलरी निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।

- राज्य में सांस्कृतिक वातावरण के निर्माण हेतु बिहार आर्ट थियेटर, कालिदास रंगालय, शकुन्तला प्रेक्षागृह, पटना एवं भारतीय नृत्य कला मंदिर, पटना के प्रेक्षागृह एवं भवन के जीर्णोद्धार कार्य हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है।

- बिहार राज्य में जी–20 (Labour Engagement Group) की दो दिवसीय बैठक का आयोजन जून, 2023 में किया गया जिसमें देश–विदेश से आए 150 आगन्तुकों को बिहार की संस्कृति से अवगत कराने हेतु **''सांस्कृतिक बिहार''** कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार के विभिन्न पारम्परिक लोकगीत एवं लोकनृत्य प्रस्तुत किये गये। साथ ही, बिहार के विकास में महिलाओं के योगदान को प्रर्दशनी के माध्यम से दर्शाया गया।

- वित्तीय वर्ष 2023–24 में राज्य के कलाकारों द्वारा न केवल अपने राज्य में बल्कि अन्य राज्यों में जैसे– राष्ट्रीय युवा उत्सव, विरासत लोकजीवन एवं विरासत उत्सव, लोक रंग उत्सव, जयपुर आदि सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रदर्शन किया गया।

- वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं स्मृति स्तूप का निर्माण 301.40 करोड़ रुपये की लागत से कराया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में स्कीम मद में 62.00 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 198.00 करोड़ रुपये कुल 260.00 करोड़ रुपये बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

विधि विभाग

- व्यवहार न्यायालय, कैमूर (भभुआ) एवं बिरौल में कुल 80.23 करोड़ रुपये की लागत राशि से कुल 35 कोर्ट रूम का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। व्यवहार न्यायालय, डेहरी (रोहतास),

औरंगाबाद एवं मधुबनी में कुल 33 कोर्ट रूम का निर्माण कार्य हेतु 83.13 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है।

- व्यवहार न्यायालय, मधुबनी एवं औरंगाबाद में कुल 4.28 करोड़ रुपये की लागत से कोर्ट रूमों को Digital Computer Room में परिवर्तित किया गया है। व्यवहार न्यायालय, बक्सर में परिवार न्यायालय भवन के निर्माण कार्य हेतु 3.46 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है। व्यवहार न्यायालय, बाँका, बक्सर, भोजपुर (आरा), मुजफ्फरपुर एवं दाउदनगर (औरंगाबाद) में कुल 90 पी0ओ0 आवासीय क्वार्टर का निर्माण कार्य हेतु कुल 63.51 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। व्यवहार न्यायालय, भागलपुर, खगड़िया एवं जमुई में Excise Court भवन का निर्माण कार्य तथा पालीगंज में हाजत भवन का निर्माण कार्य हेतु 17.54 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
- अदालतगंज, पटना परिसर में पटना उच्च न्यायालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के आवासन हेतु फेज–2 के अंतर्गत बहुमंजिला आवासीय भवन का निर्माण कार्य के निमित्त कुल 97.58 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
- व्यवहार न्यायालय, अरवल, सीतामढ़ी, भोजपुर (आरा), बेनीपुर (दरभंगा), दरभंगा, बेनीपट्टी (मधुबनी), झंझारपुर (मधुबनी), वीरपुर (सुपौल), सुपौल, उदाकिशुनगंज (मधेपुरा) एवं मधेपुरा में कुल 101 कोर्ट रूम का निर्माण कार्य प्रगति में है।
- व्यवहार न्यायालय, अरवल, आरा, दरभंगा, गया, मधेपुरा, मधुबनी, झंझारपुर (मधुबनी), समस्तीपुर, औरंगाबाद, सहरसा, निर्मली (सुपौल), जहानाबाद, भागलपुर एवं बगहा (प0 चम्पारण) में न्यायिक पदाधिकारियों हेतु कुल 236 न्यायिक आवासीय भवनों का निर्माण कार्य प्रगति में है।
- व्यवहार न्यायालय, अररिया, कैमूर, झंझारपुर (मधुबनी), पूर्णियां, वीरपुर (सुपौल), रोसड़ा (समस्तीपुर) एवं समस्तीपुर में लॉयर्स हॉल का निर्माण कार्य प्रगति में है।
- व्यवहार न्यायालय, निर्मली (सुपौल), महनार (वैशाली), सारण (छपरा), गोगरी (खगड़िया), बायसी (पूर्णिया), बनमनखी (पूर्णिया) एवं धमदाहा (पूर्णिया) में कुल 80 कोर्ट रूम निर्माण की योजना प्रस्तावित है।
- व्यवहार न्यायालय, गया, शेखपुरा, छपरा, बेनीपुर (दरभंगा), दरभंगा, बेलसंड (सीतामढ़ी),

शाहपुर पटोरी (समस्तीपुर), बायसी (पूर्णियॉ), बनमनखी (पूर्णियाँ), धमदाहा (पूर्णियाँ) एवं गोगरी (खगड़िया) में कुल 204 पी0ओ0 आवासीय क्वॉटर का निर्माण की योजना प्रस्तावित है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में स्कीम मद में 11.00 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 1,304.13 करोड़ रुपये कुल 1,315.13 करोड़ रुपये बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

सूचना प्रावैधिकी विभाग

- **बिहार स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क** (BSWAN) :– BSWAN 3.0 परियोजना हेतु 564 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी है।
- **बिहार वन** :– एकीकृत पोर्टल के माध्यम से लोक सेवाओं को प्रदान करने के उद्देश्य से Unified Service Delivery Platform (Bihar One) का विकास प्रक्रियाधीन है।
- राज्य सरकार के सभी कार्यालयों में पारदर्शिता के साथ विकास एवं सरकारी कार्यक्षमता में गुणोत्तर वृद्धि के लिए e-Office परियोजना का क्रियान्वयन सम्प्रति 26 विभागों, 52 निगम/बोर्ड/समिति/मिशन/सोसाईटी, 02 जिलों तथा 03 प्रमंडलों में किया जा रहा है।
- राज्य के सभी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एक ही पोर्टल पर उपलब्ध कराये जाने हेतु सर्विस प्लस फ्रेमवर्क का क्रियान्वयन किया जा रहा है। वर्त्तमान समय में कुल 6 विभागों के 72 सेवाओं को माइग्रेट (Migrate) किया जा चुका है। इसके माध्यम से प्रतिदिन औसतन डेढ़ लाख बिहारवासी विभिन्न ऑनलाईन सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं।
- राज्य में IT उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने एवं IT/ITeS & ESDM प्रक्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से Investment Promotion & Facilitation Cell की स्थापना की गयी है।
- राज्य में आईटी कंपनियों एवं स्टार्टअप से ऑफिस स्थल की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए PATNA STPI के विस्तारीकरण हेतु कुल 26.55 करोड़ रुपये स्वीकृत की गयी है।
- **सूचना प्रावैधिकी संबंधी प्रचार–प्रसार योजना** :– वित्तीय, विनियामक और संस्थागत सुधारों के माध्यम से आईटी/आईटीईएस एवं इलेक्ट्रॉनिक प्रक्षेत्र केन्द्रित अत्याधुनिक बुनियादी अवसंरचनाओं का पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने हेतु एवं प्रचार–प्रसार में

आई०टी० नीति, 2024 का शुभारंभ हो गया है। साथ ही, विभाग की ओर से साईबर सुरक्षा के संदर्भ में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आई०टी० आधारित परियोजना अन्तर्गत कार्यों के निष्पादन में हो रही कठिनाईयों के निदान हेतु विभागों एवं निगमों के कर्मियों/पदाधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में स्कीम मद में 237.00 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 41.44 करोड़ रुपये कुल 278.44 करोड़ रुपये बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

निगरानी विभाग

- सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेन्स नीति लागू की गयी है एवं कई मोर्चों पर एक साथ काम किया जा रहा है।
- बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 के तहत प्रत्यानुपातिक धनार्जन से संबंधित मामलों में लोक सेवकों द्वारा अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति अधिहरण की कार्रवाई के क्रम में जनवरी, 2023 से अबतक कुल 04 मामलों में कुल 1.43 करोड़ रुपये की चल एवं अचल सम्पत्ति को जब्त करने हेतु माननीय न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है।
- निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा वर्ष 2023 में (दिनांक 18.12.2023 तक) ट्रैप से संबंधित 29 काण्ड, प्रत्यानुपातिक धनार्जन से संबंधित 06 काण्ड एवं पद के दुरूपयोग से संबंधित 01 काण्ड सहित कुल 36 काण्ड दर्ज किये गये।
- ट्रैप के काण्डों में 29 लोक सेवकों एवं 03 गैर लोक सेवकों को कुल 13 लाख रुपये रिश्वत की राशि के साथ गिरफ्तार किया गया। 7.65 करोड़ रुपये के अवैध सम्पत्ति अर्जन करने के आरोप में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा कुल 06 प्रत्यानुपातिक धनार्जन से संबंधित काण्ड दर्ज किया गया, जिसमें अभियुक्तों के विभिन्न ठिकानों की तलाशी के क्रम में कुल 1.14 करोड़ रुपये की नगद राशि तथा सोने के जेवरात एवं करोड़ों रुपये के चल एवं अचल सम्पत्ति से संबंधित कागजात/दस्तावेज जब्त किये गये हैं।
- विशेष निगरानी इकाई द्वारा लोक सेवकों के विरूद्ध 04 मामलों में माननीय विशेष न्यायालय में अंतिम प्रपत्र समर्पित किये गये हैं एवं 03 वरीय पदाधिकारियों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की

गयी है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 45.60 करोड़ रुपये बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

वित्त विभाग

- समेकित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली का नया संस्करण (Version) CFMS 2.0 अंतर्गत विभिन्न मॉड्यूल्स को वर्ष 2024–25 में चरणबद्ध तरीके से लागू करने की योजना है।
- सितम्बर, 23 के त्रैमास की राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 87वीं बैठक दिनांक 20.12.2023 को माननीय वित्त मंत्री, बिहार की अध्यक्षता में मुजफ्फरपुर में सम्पन्न हुई। 30 सितम्बर, 2023 को बैंकों का कुल जमा 4,75,237 करोड़ रुपये और कुल ऋण 2,68,803 करोड़ रुपये था। इस प्रकार बैंकों का साख–जमा अनुपात (CD Ratio) 56.56 प्रतिशत रहा है जो कि गत वर्ष की इसी अवधि के CD Ratio से अधिक है।
- वर्ष 2023–24 (द्वितीय तिमाही सितम्बर, 23 तक) वार्षिक साख योजना (ACP) के लक्ष्य 2,63,150 करोड़ रूपये के विरूद्ध उपलब्धि 1,37,275 करोड़ रूपये हुई है। यह वार्षिक लक्ष्य का 52.17 प्रतिशत है।
- वर्ष 2023–24 (द्वितीय तिमाही सितम्बर, 23 तक) कृषि क्षेत्र में निर्धारित लक्ष्य 94,150 करोड़ रुपये के विरूद्ध 41,044 करोड़ रुपये वितरित किये गये हैं जो लक्ष्य का 43.59 प्रतिशत है।
- MSME के अंतर्गत वर्ष 2023–24 (द्वितीय तिमाही सितम्बर, 23 तक) में 89,480 करोड़ रुपये लक्ष्य के विरूद्ध 42,945 करोड़ रुपये वितरित किए गए है जो कि वार्षिक लक्ष्य का 47.99 प्रतिशत है।
- वर्ष 2023–24 (द्वितीय तिमाही सितम्बर, 23 तक) में प्रधानमंत्री जन–धन योजना के तहत खोले गये 18.14 लाख खातों में 136 करोड़ रुपये जमा हैं। दिनांक 30.09.23 तक राज्य में समेकित रूप से 585.73 लाख जन धन खाते खोले जा चुके हैं।
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत वर्ष 2023–24 (द्वितीय तिमाही सितम्बर, 23 तक) 36.63 लाख नये पंजीकरण (enrolments) किये गये हैं। सितम्बर, 23 तक राज्य में समेकित रूप से 213.36 लाख पंजीकरण किये जा चुके हैं। इस बीमा योजना में सितम्बर, 23 तक 2,644 दावे प्राप्त हुए एवं 2,025 दावों का निष्पादन किया गया है।

- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजनान्तर्गत वर्ष 2023–24 (द्वितीय तिमाही सितम्बर, 23 तक) में 13.32 लाख नये पंजीकरण (enrolments) हुए हैं। सितम्बर, 23 तक इस योजना में राज्य में समेकित रूप से 88.94 लाख लोगों का पंजीकरण हो चुका है। इस अवधि तक 10,232 दावे प्राप्त हुए एवं 9368 दावों का निष्पादन किया गया है।
- वर्ष 2023–24 (द्वितीय तिमाही सितम्बर, 23 तक) अटल पेंशन योजनान्तर्गत लक्ष्य 6.36 लाख के विरूद्ध 4.61 लाख लोगों का पंजीकरण हुआ है। इस योजना के अंतर्गत राज्य में सितम्बर, 23 तक समेकित रूप से 44.49 लाख लोगों का पंजीकरण हो चुका है।
- दिनांक–30.09.2023 को राज्य में 7,987 बैंक शाखाएँ, 53,998 BC Agents, 7,167 ATMs तथा 82,048 PoS Machine कार्यरत हैं।
- राज्यवासियों के बीच डिजिटल लेन–देन को बढ़ावा देने के लिए जहानाबाद, अरवल एवं शेखपुरा के 100% बैंक में जमा खातों के डिजिटलाईजेशन के बाद अब राज्य के सभी जिलों को इसके लिए चिह्नित किया गया है। इन जिलों में सभी जमा खाताओं के डिजिटलाईजेशन करने का लक्ष्य सितम्बर 2024 तक पूरा किया जाना है।
- अंकेक्षण निदेशालय में माह जनवरी 2024 में बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना द्वारा अनुशंसित 370 अंकेक्षकों एवं 138 सहायक अंकेक्षण अधिकारी की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है।
- गुलजारबाग प्रेस के आधुनिकीकरण के क्रम में नई मशीनों के क्रय किये जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है । साथ ही, प्रेस के पुराने व जर्जर भवनों के जीर्णोद्धार एवं मरम्मती का कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है।
- गुलजारबाग प्रेस के पुराने तकनीक के अप्रयुक्त मशीनों को अलग कर म्यूजियम की स्थापना की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 स्कीम मद में 788.20 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 1,946.30 करोड़ रुपये कुल 2,734.50 करोड़ रुपये बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

खेल विभाग

- राज्य में खेल अवसंरचनाओं का निर्माण, संचालन, अनुरक्षण, खेल के क्षेत्र में शिक्षा ग्रहण, उच्च स्तरीय प्रशिक्षण, बुनियादी ढांचा स्थापित करने, खिलाड़ियों, खेल प्रशिक्षकों तथा वरीय

खिलाड़ियों के लिए कल्याणकारी गतिविधियों का आयोजन, खेल उद्योग को बढ़ावा एवं रोजगार के अवसर प्रदान करने और राज्य खेल संघों को संवर्द्धित करते हुए राज्य में खेल के सर्वांगीण विकास के प्रायोजनार्थ कला, संस्कृति एवं युवा विभाग से अलग एक नया **खेल विभाग (Department of Sports)** का गठन किया गया है।

- **बिहार राज्य खेल प्राधिकरण** :– प्राधिकरण द्वारा खिलाड़ियों, खेल प्रशिक्षकों, खेल अधिकारियों के क्षमता विकास हेतु कार्यशाला, संगोष्ठी आदि का आयोजन एवं देश के अंदर और बाहर स्थित प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान में प्रशिक्षण कराया जायेगा। खेल मंत्रालय, भारत सरकार, भारतीय खेल प्राधिकरण, खेल परिषद, भारतीय ओलंपिक संघ, और जिला/राज्य/राष्ट्रीय स्तर के संघों के बीच समन्वय स्थापित कर राज्य में खेलों के विकास हेतु बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के द्वारा कार्य किया जा रहा है।

- **राज्य खेल अकादमी–सह–अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम निर्माण** :– राजगीर (नालंदा) में राज्य खेल अकादमी–सह–अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण हेतु 90 एकड़ भूमि अधिग्रहित कर 740 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण कार्य प्रगति पर है। इस स्टेडियम में 23 खेलों का अत्याधुनिक खेल अवसंरचना का निर्माण एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएँ युक्त क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है।

- **बिहार खेल विश्वविद्यालय** :– खेल विश्वविद्यालय की स्थापना राजगीर (नालंदा) में राज्य खेल अकादमी के अवसंरचना के साथ किया जा रहा है।

- **एकलव्य राज्य आवासीय खेल प्रशिक्षण केन्द** :– मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अन्तर्गत एकलव्य राज्य आवासीय खेल प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से विद्यालय में अध्ययनरत प्रतिभाओं (बालक/बालिका) का चयन कर उन्हें वैज्ञानिक, योजनाबद्ध प्रशिक्षण, पौष्टिक आहार एवं आधुनिक खेल उपकरणों की सुविधा प्रदान कर उनकी प्रतिभा को निखारने का कार्य किया जाता है।

- **मेडल लाओ नौकरी पाओ** :– अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में देश का प्रतिनिधित्व अथवा पदक प्राप्त करने वाले एवं राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता में पदक प्राप्त करने वाले सामान्य एवं दिव्यांग खिलाड़ियों को राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में वर्ग–ग से लेकर वर्ग–ख तक के पदों पर नियुक्ति दी जा रही है।

- **बिहार खेल सम्मान समारोह** :– वित्तीय वर्ष 2023–24 में 411 खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों

को पुरस्कृत एवं सम्मानित करने हेतु कुल 4.25 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी है।

- **मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अंतर्गत प्रखण्ड स्तरीय स्टेडियम निर्माण** :– मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अन्तर्गत राज्य में खेल का वातावरण तैयार करने हेतु खेल अवसंरचना विकसित करने के क्रम में विभिन्न जिलों के अधीन प्रखण्ड स्तर पर स्टेडियम निर्माण हेतु अबतक 370 स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति दी गई है, जिसमें 222 स्टेडियमों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

- **मोईनुलहक स्टेडियम, पटना** :– मोईनुलहक स्टेडियम, राजेन्द्र नगर, पटना का नवनिर्माण नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के द्वारा किया जा रहा है। मोईनुलहक स्टेडियम परिसर में निर्माण होने वाली सभी खेल अवसंरचनाए अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप होंगी।

- **खेल भवन–सह–व्यायामशाला का निर्माण** :– मुख्यमंत्री खेल विकास योजनान्तर्गत राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में खेल भवन–सह–व्यायामशाला भवन का निर्माण का लक्ष्य है जिसके अन्तर्गत 29 जिलों में व्यायामशाला–सह–खेल भवन के निर्माण की स्वीकृति दी गयी है। अबतक 24 जिलों में खेल भवन का निर्माण कार्य पूर्ण है।

- **आधुनिक खेल अवसंरनाओं का विकास**:– खेल मंत्रालय, भारत सरकार की **खेलो इण्डिया योजना** के अंतर्गत राज्यों में आधुनिक खेल अवसरंचनाओं यथा–सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक, हॉकी एस्ट्रोटर्फ, बहुद्देशीय इण्डोर हॉल, तरणताल, फुटबॉल मैदान आदि का निर्माण होना है। अबतक 10 खेल अवसंरचना निर्माण योजना की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दी जा चुकी है तथा इसके निर्माण हेतु 20.50 करोड़ रुपये भारत सरकार से बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को प्राप्त है। 35 खेल अवसरंचना के निर्माण की स्वीकृति हेतु अनुरोध किया गया है।

- **स्टेट लेवल खेलो इण्डिया सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस** :– युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बिहार राज्य के लिए पाटलिपुत्र खेल परिसर, कंकड़बाग, पटना में एथलेटिक्स, कुश्ती एवं भारोत्तोलन खेल विधा हेतु Khelo India State Centre of Excellence के रूप में चयन किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में स्कीम मद में 150.00 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 33.20 करोड़ रुपये कुल 183.20 करोड़ रुपये बजट उपबंध का

माननीय अध्यक्ष महोदय,

माननीय सदस्यों एवं आम जनता की जानकारी हेतु **वर्ष 2024–25 बजट का सारांश** सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ।

- बिहार राज्य का बजट आकार वर्ष 2023–24 में 2,61,885.40 करोड़ रुपये था तथा वर्ष 2024–25 में बढ़कर 2,78,725.72 करोड़ रुपये हो गया है।
- वित्तीय वर्ष 2024–25 में वार्षिक स्कीम का कुल बजट अनुमान 1,00,000.00 करोड़ रुपये है, जो वित्तीय वर्ष 2023–24 के बजट अनुमान के बराबर है।
- वित्तीय वर्ष 2024–25 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का बजट अनुमान 1,78,706.09 करोड़ रुपये है, जो वित्तीय वर्ष 2023–24 के बजट अनुमान 1,61,855.67 करोड़ रुपये से 16,850.42 करोड़ रुपये अधिक है।
- वर्ष 2024–25 में कुल व्यय में स्कीम व्यय 35.88 प्रतिशत तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 64.12 प्रतिशत है।
- वित्तीय वर्ष 2024–25 में कुल पूंजीगत व्यय 53,048.72 करोड़ रुपये अनुमानित किया गया है जो कि कुल व्यय का 19.03 प्रतिशत है, जिसमें:–

  i. **पूंजीगत परिव्यय** – वर्ष 2024–25 में 29,415.91 करोड़ रुपये का पूंजीगत परिव्यय अनुमानित किया गया है, जिसमें सामान्य सेवाओं में 4,731.42 करोड़ रुपये, सामाजिक सेवाओं में 6,077.05 करोड़ रुपये एवं आर्थिक सेवाओं में 18,607.44 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित है।

  ii. **ऋण अदायगियाँ** – वर्ष 2024–25 में 22,392.72 करोड़ रुपये की राशि ऋण के रूप में वापस की जानी है, जिसमें 1,770.72 करोड़ रुपये की राशि केन्द्र सरकार के ऋणों की है एवं 20,621.99 करोड़ रुपये की राशि पूर्व में लिये गये आंतरिक ऋणों से संबधित है।

  iii. **ऋण एवं पेशगियाँ** – वर्ष 2024–25 में राज्य सरकार द्वारा 1,240.09 करोड़ रुपये का ऋण दिया जाना प्रस्तावित है, जिसमें मुख्यतः बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम हेतु 700.00 करोड़ रुपये, ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिए 396.05 करोड़ रुपये, बिजली

परियोजना के कम्पनियों को कर्ज के लिए 85.03 करोड़ रुपये, परिवहन सेवाओं हेतु 20.00 करोड़ रुपये एवं सरकारी कर्मचारियों के लिए 39.00 करोड़ रुपये दिया जाना है। पूर्व में दिये गये ऋणों की वापसी से राज्य सरकार को 439.18 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त होना अनुमानित है। इस प्रकार कुल शुद्ध ऋण 800.92 करोड़ रुपये दिया जाना प्रस्तावित है।

- वित्तीय वर्ष 2024–25 में कुल राजस्व व्यय 2,25,677.00 करोड़ रुपये अनुमानित किया गया है, जो कुल व्यय का 80.97 प्रतिशत एवं वित्तीय वर्ष 2023–24 के बजट अनुमान 2,07,848.00 करोड़ रुपये से 17,829.00 करोड़ रुपये अधिक है।

- वर्ष 2024–25 में वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान एवं ऋण वापसी पर कुल 1,46,531.86 करोड़ रुपये व्यय होंगे जिसमें वेतन हेतु 42,950.11 करोड़ रुपये, प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय के शिक्षकों, कर्मचारियों एवं अन्य कर्मियों के लिए वेतन अनुदान हेतु 23,914.73 करोड़ रुपये, संविदा कमिर्यों के वेतन हेतु 4,951.97 करोड़ रुपये, पेंशन हेतु 31,796.13 करोड़ रुपये, ब्याज भुगतान हेतु 20,526.19 करोड़ रुपये एवं ऋण वापसी पर 22,392.72 करोड़ रुपये व्यय अनुमानित है।

- वित्तीय वर्ष 2024–25 में कुल राजस्व प्राप्तियाँ 2,26,798.40 करोड़ रुपये अनुमानित है जो कि वित्तीय वर्ष 2023–24 के बजट अनुमान 2,12,326.97 करोड़ रुपये से 14,471.44 करोड़ रुपये अधिक है।

- वित्तीय वर्ष 2024–25 में राज्य के अपने स्रोतों से कर राजस्व के रूप में 54,300.00 करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है जिसमें 42,500.00 करोड़ रुपये वाणिज्यकर, 7,500.00 करोड़ रुपये स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क, 3,700.00 करोड़ रुपये परिवहन कर एवं 600.00 करोड़ रुपये भू–राजस्व से प्राप्त होगा।

- वित्तीय वर्ष 2024–25 में राज्य के अपने स्त्रोतों से गैर कर राजस्व के रूप में 7,325.86 करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है, जो कि वित्तीय वर्ष 2023–24 के बजट अनुमान 6,511.74 करोड़ रुपये की तुलना में 814.12 करोड़ रुपये अधिक है। इसमें खनन से 3,500.00 करोड़ रुपये, ब्याज प्राप्तियों से 1,719.26 करोड़ रुपये शामिल है।

- **ऋण उगाही** – वित्तीय वर्ष 2024–25 में 51,688.14 करोड़ रुपये का ऋण लिया जाना प्रस्तावित है। राज्य के आंतरिक ऋण में भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से बाजार ऋण

45,888.14 करोड़ रुपये, नाबार्ड से 2,700.00 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय आवास बैंक से 300.00 करोड़ रुपये एवं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक से 300.00 करोड़ रुपये तथा बाह्य एजेंसियों यथा एशियन विकास बैंक, विश्व बैंक इत्यादि से 2,500.00 करोड़ रुपये कुल 51,688.14 करोड़ रुपये का सकल (Gross) ऋण लिया जाना प्रस्तावित है।

- **XVवें वित्त आयोग** की अनुशंसा की प्रत्याशा में वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु निर्धारित 9,121.20 करोड़ रुपये के अन्तर्गत राज्य आपदा रिस्पौंस कोष (SDRF) मद में 1,639.00 करोड़ रुपये, पंचायती राज स्थानीय निकायों के लिए 4,114.00 करोड़ रुपये एवं नगर निकायों के लिए 2,119.00 करोड़ रुपये तथा स्वास्थ्य प्रक्षेत्रों के लिए 1,249.20 करोड़ रुपये प्रस्तावित है।

- **षष्ठम् राज्य वित्त आयोग** की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2024–25 में स्थानीय निकायों को 6,639.00 करोड़ रुपये का अनुदान प्रस्तावित है जिसमें 3,706.00 करोड़ रुपये Devolution के रूप में तथा 2,633.00 करोड़ रुपये अनुदान के रूप में प्रस्तावित है। 6,639.00 करोड़ रुपये में पंचायती राज संस्थाओं को 4,120.35 करोड़ रुपये तथा शहरी स्थानीय निकायों को 2,518.65 करोड़ रुपये प्रस्तावित है। प्रस्तावित राशि का प्रावधान पंचायती राज विभाग तथा नगर विकास एवं आवास विभाग के संबंधित बजट शीर्षों में किया गया है।

- वर्ष 2023–24 में राजस्व अधिशेष 4,478.97 करोड़ रुपये एवं वर्ष 2024–25 में 1,121.41 करोड़ रुपये अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में 29,095.42 करोड़ रुपये राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान है जो कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद 9,76,514.00 करोड़ रुपये का 2.98 प्रतिशत है।

केन्द्र सरकार से प्राप्ति

- केन्द्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी वर्ष 2023–24 में 102,737.26 करोड़ रुपये अनुमानित थी। वर्ष 2024–25 में बजट अनुमान 1,13,011.92 करोड़ रुपये अनुमानित की गयी है।

- वित्तीय वर्ष 2024–25 में राज्य को केन्द्र सरकार से सहायक अनुदान के रूप में 52,160.62 करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है, जो वित्तीय वर्ष 2023–24 के बजट अनुमान 53,377.92 करोड़ रुपये से 1,217.30 करोड़ रुपये कम है। वर्ष 2024–25 में अनुमानित 52,160.62 करोड़ रुपये की मदवार राशि निम्नवत् है–

क्रमांक	मदें	राशि (करोड़ रुपये में)
1	**केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम**	**43019.82**
2	**15वें वित्त आयोग जिसमें**	**9121.20**
	(क) राज्य आपदा राहत कोष	1639.00
	(ख) ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान	4114.00
	(ग) शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान	2119.00
	(घ) स्वास्थ्य प्रक्षेत्र को अनुदान	1249.20
3	**केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम**	**19.60**
	कुल	**52190.62**

- वित्तीय वर्ष 2024–25 में केन्द्रीय प्रक्षेत्र स्कीम के लिए 19.63 करोड़ रुपये व्यय का प्रावधान है।

ऋण प्रबंधन

- वर्ष 2005–06 में राज्य सरकार पर कुल बकाया ऋण GSDP का 56.36 प्रतिशत था। बेहतर वित्तीय प्रबंधन के कारण वर्ष 2022–23 के अन्त में कुल बकाया ऋण 2,93,307.17 करोड़ रुपये है जो राज्य के GSDP का 39.03 प्रतिशत है।

- अनुसूचित जातियों एवं जन जातियों के लिए कर्णांकित राशि :– अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों पर व्यय होने वाली राशि को अलग से लघुशीर्ष में प्रदर्शित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में अनुसूचित जातियों के लिए 17,049.70 करोड़ रुपये एवं अनुसूचित जन जातियों के लिए 1,443.95 करोड़ रुपये प्रावधानित की गई है।

सर्वाधिक खर्च

राज्य सरकार वर्ष 2024–25 में शिक्षा पर 52,639.03 करोड़ रुपये व्यय करेगी। गृह विभाग को 16,323.83 करोड़ रुपये, राज्य की शहरी एवं ग्रामीण सड़कों पर ग्रामीण कार्य विभाग तथा पथ निर्माण विभाग का 15,235.11 करोड़ रुपये, स्वास्थ्य पर 14,932.09 करोड़ रुपये एवं ग्रामीण विकास पर 14,296.71 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है। ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत 11,422.68 करोड़ रुपये तथा समाज कल्याण विभाग एवं कमजोर वर्गों के पेंशन, आँगनबाड़ी,

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग से संबंधित विभागों में 12,377.26 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान है।

माननीय अध्यक्ष महोदय,

मैंने पूर्व में सरकार की उपलब्धियों तथा आने वाले वर्ष के विभागवार कार्यक्रमों को सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है। अब मैं वित्तीय वर्ष 2023–24 के पुनरीक्षित अनुमान तथा अगले वित्तीय वर्ष 2024–25 के बजट अनुमानों को संक्षेप में प्रस्तुत कर रहा हूँ।

आय–व्यय अनुमानों का संक्षिप्त विवरण :–

क्र.	विवरण	2023–24 का बजट पुनरीक्षित प्राक्कलन (करोड़ रुपये)	2024–25 का बजट प्राक्कलन (करोड़ रुपये)
1	कुल राजस्व प्राप्ति	214494.26	226798.40
2	राज्य सरकार का राजस्व	56981.89	61625.86
3	संघीय करों में राज्य का हिस्सा	102737.26	113011.92
4	केन्द्र से प्राप्त सहायक अनुदान	54775.11	52160.62
5	राजस्व व्यय	250023.82	225677.00
6	राजस्व बचत(–) / घाटा(+)	35529.56	-1121.40
7	पूंजीगत प्राप्ति	63037.96	52127.31
8	पूंजीगत व्यय	64926.70	53048.72
9	कुल प्राप्ति	277532.22	278925.72
10	कुल व्यय	314950.52	278725.72
11	राजकोषीय घाटा	76465.66	29095.43

समेकित निधि में राशि– वित्तीय वर्ष 2024–25 में सकल (Gross) व्यय 2,82,992.33 करोड़ रुपये प्रस्तावित है जिसमें निवल (Net) व्यय 2,78,725.72 करोड़ रुपये है। विदित है कि विनियोग विधेयक में सकल (Gross) व्यय प्रस्तावित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में सकल व्यय 2,82,992.33 करोड़ रुपये में मतदेय राशि 2,37,999.48 करोड़ रुपये एवं भारित राशि 44,992.84 करोड़ रुपये है।

समेकित निधि में भारित राशि– वित्तीय वर्ष 2024–25 के बजट में 44,992.83 करोड़ रुपये भारित मद में व्यय होनी प्रस्तावित है जिसमें सूद मद में 20,526.19 करोड़ रुपये, लोक ऋण की मूलधन वापसी में 22,392.72 करोड़ रुपये, निक्षेप निधि में 1,645.96 करोड़ रुपये, माननीय उच्च न्यायालय के व्यय हेतु 249.14 करोड़ रुपये, बिहार लोक सेवा आयोग के लिए 98.92 करोड़ रुपये, राज्यपाल सचिवालय हेतु 51.32 करोड़ रुपये, लोकायुक्त के लिए 7.70 करोड़ रूपये, बिहार विधान सभा के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष तथा बिहार विधान परिषद् के सभापति/उप सभापति के वेतन एवं भत्ते मद हेतु 1.81 करोड़ रूपये एवं माननीय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीशों के सेवानिवृति लाभ मद में 19.08 करोड़ रूपये प्रस्तावित है।

राजकोषीय घाटा :– राजकोषीय घाटा को नियंत्रण में रखने के लिए बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में लक्ष्य निर्धारित किये गये है। वर्ष 2024–25 में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.0 प्रतिशत तक सीमित रखने का लक्ष्य है। वित्तीय वर्ष 2024–25 का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 9,76,514.00 करोड़ रुपये अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में राजकोषीय घाटा 29,095.42 करोड़ रुपये अनुमानित है, जो राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 2.98 प्रतिशत है।

अध्यक्ष महोदय,

माननीय सदस्यों ने मेरा भाषण पूर्ण एकाग्रता से सुना है। इसके लिए मैं सदन के सभी सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। मैं वर्ष 2024–25 की वार्षिक वित्तीय विवरणी एवं अन्य बजट दस्तावेजों को सदन के समक्ष उपस्थापित कर रहा हूँ।

****

बिहार सरकार

वित्त विभाग
बिहार सरकार